उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण

2024-2025

भाग-1

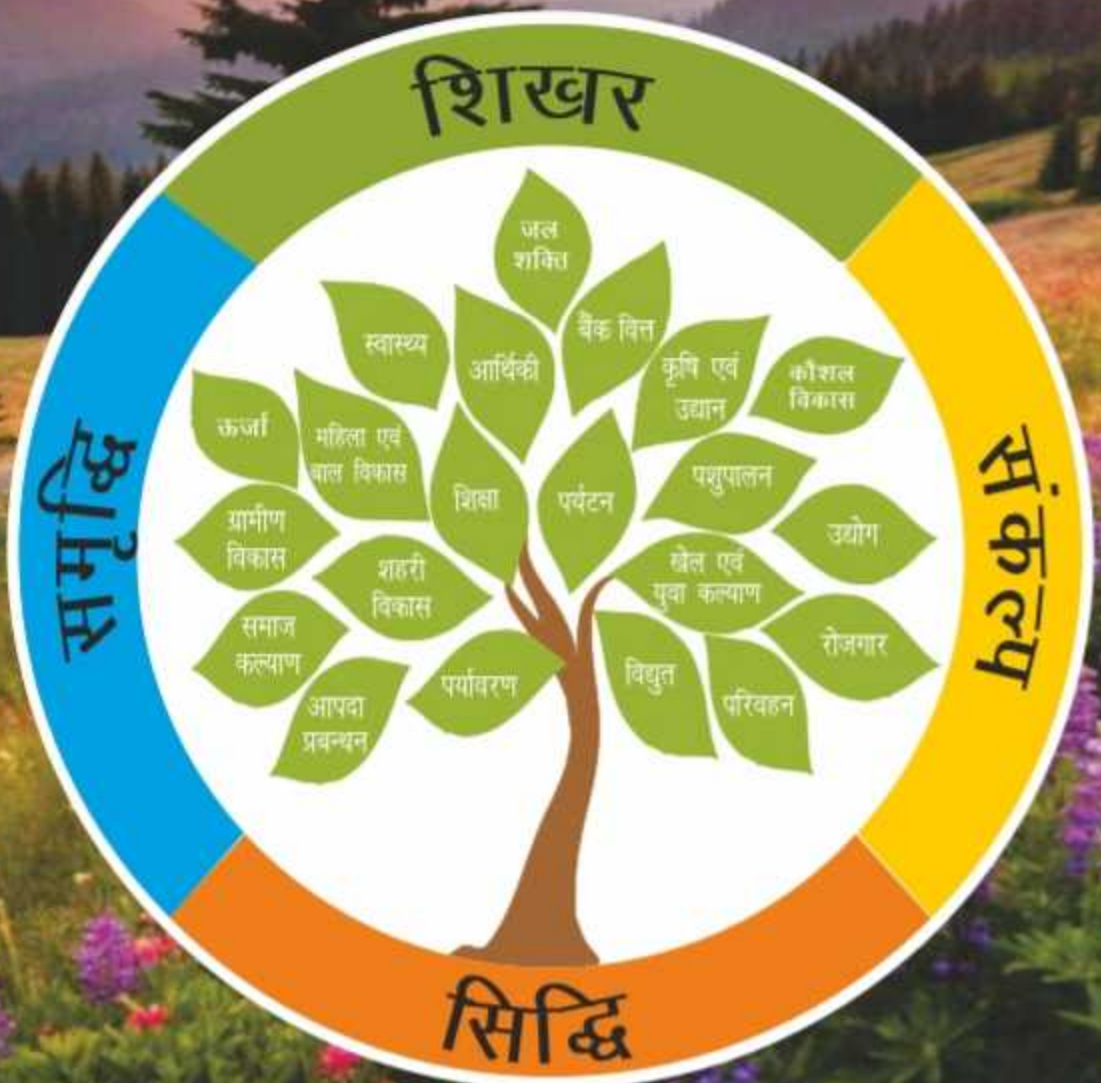

अर्थ एवं संख्या निदेशालय

नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार

आर्थिक सर्वेक्षण
उत्तराखण्ड
वर्ष 2024-25

अर्थ एवं संख्या निदेशालय
नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
37A, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड) 248013
दूरभाष / फैक्सः 0135–2712604
ई–मेलः dirdesuk@gmail.com | dir-des-uk@nic.in
वेबसाइटः www.des.uk.gov.in

राधा रतूड़ी
आई.ए.एस.
मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्राक्कथन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है जिसे बजट सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक सामाजिक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था के सामने आ रही चुनौतियों, अवसरों के साथ–साथ भविष्य हेतु विभिन्न रणनीतियों का समावेश कर राज्य के विकास का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया है। यह अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में विकास की दिशा तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के संबंध में व्यापक दृष्टकोण प्रस्तुत करता है। उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थापना के 25 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य द्वारा अपनी युवावस्था में विकास के कई आयाम स्थापित किये है परन्तु कई क्षेत्रों में अभी और गम्भीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को वर्ष 2025 तक दोगुना करने के उद्देश्य से राज्य की अद्योसरंचना, उद्योग, कृषि एवं उद्यान, सेवा क्षेत्र के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी का उच्चतम प्रयोग कर राज्य का समग्र विकास किया जा रहा है।

राज्य में महिला सशक्तिकरण, युवाओं के स्वालम्वन, दिव्यांगजनों तथा समाज के कमजोर वर्गों के समग्र विकास हेतु विभिन्न नीतियो को तैयार किये जाने का प्रयास किया गया है, जिनका प्रभाव भी शीघ्र ही राज्य के विकास पर दृष्टिगोचर होगा। राज्य में वर्ष 2025 में समग्र प्रयासो से शीघ्र ही राष्ट्रीय खेलो का सफलतापूर्वक आयोजन किया जाना है। सशक्त उत्तराखण्ड @25 के अन्तर्गत राज्य के अवस्थापना विकास, औद्योगिक निवेश, पर्यटन, शहरी विकास, उर्जा, जैसे क्षेत्रों के साथ–साथ जैविक कृषि, उद्यानीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु लक्ष्य निर्धारित कर निश्चित समयावधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 में वित्तीय वर्ष 2024–25 की माह दिसम्बर तक की विभिन्न विभागों की वास्तविक उपलब्धियों तथा माह मार्च तक की प्रस्तावित कार्यक्रमों/योजनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है। यह प्रकाशन अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा ससमय तैयार किया गया है, जो कि सराहनीय है।

आशा है कि प्रस्तुत प्रकाशन राज्य की सामाजार्थिक स्थिति एवं विकासात्मक गतिविधियों का आंकलन करने के अपने उददेश्य में सफल होगा। उक्त प्रकाशन नीति–निर्धारकों, योजना निर्माताओं, सांख्यिकीविदों एवं शोधकर्ताओं के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024–25 (भाग–1) को और अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनाने हेतु प्राप्त सुझावों का स्वागत है।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम
आई.ए.एस.
सचिव

उत्तराखण्ड शासन

नियोजन विभाग
उत्तराखण्ड शासन
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन,
सचिवालय, 4 सुभाष मार्ग,
देहरादून (उत्तराखण्ड)

प्रस्तावना एवं आभार

उत्तराखण्ड राज्य का अष्टम् आर्थिक सर्वेक्षण भाग– 01 वर्ष 2024–25 को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, द्वारा तैयार किया गया है। विगत वर्षो की भॉति इस संस्करण में राज्य की अर्थव्यस्था से संबंधित विभिन्न उतार चढावों, विगत वर्षों की उपलब्धियों के साथ–साथ चालू वर्ष में राज्य द्वारा आर्थिक सामाजिक क्षेत्र की उपलब्धियों को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

उत्तराखण्ड राज्य 09 नवम्बर, 2024 को अपनी स्थापना के 24 वर्ष पूर्ण कर चुका है तथा 25 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में विभक्त राज्य में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है, कृषि, बागवानी, वानिकी, पर्यटन तथा उर्जा राज्य के ग्रोथ ड्राइवर्स है जिनके उचित एवं समावेशी उपयोग से राज्य की आर्थिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया जा सकता है।

उत्तराखण्ड की अर्थ व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के समान ही है। यह न तो पूर्णतया पूंजीवादी और न ही पूर्ण समाजवादी है यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राज्य में कुछ क्षेत्रों (जैसे उर्जा, सिंचाई आदि) में सरकारी नियोजन, अधिकांश क्षेत्रो (कृषि, व्यापार आदि) में व्यापार तंत्र (मांग पूर्ति व कीमत क पर आधारित) तथा कुछ क्षेत्रों (शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार आदि) में दोनो के माध्यम से आर्थिक विकास संचालित होता है, आर्थिक नियोजन की दृष्टि से राज्य में विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली है जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विषमताओं को दूर करना है। विकेन्द्रित नियोजन के अन्तर्गत राज्य मे जिला योजना के अन्तर्गत लगभग ₹ 1000 करोड़ की योजनाओं का जनपद में जिला योजना समिति के माध्यम से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राज्य के स्थापना के समय से ही आर्थिक विकास की ऊंची दर पाये जाने की प्रवृति है, प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष 2001 में 2.9 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2010 में बढकर 9.5 प्रतिशत हो गई, कोविड महामारी के प्रभाव से यह वर्ष 2020–21 में ऋणात्मक (–12.10 प्रतिशत) हो गई परन्तु वर्ष 2023–24 में धनात्मक होकर 7.83 प्रतिशत हो गई है। उत्तराखण्ड में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2001–2002 में लगभग ₹ 16232 थी जो वर्ष 2023–24 में ₹ 2,46,178 हो गई है, यही नही राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2023–24 में 3,32,998 करोड रूपये का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखण्ड के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले पांच वर्षों में लगभग 7.50 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हो रही है।

उत्तराखण्ड में प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी पहले की तुलना में घटी है साथ ही वर्ष 2023–24 में यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में सबसे कम है। द्वितीयक क्षेत्र की भागीदारी पूर्व की अपेक्षा बढी है और वर्ष 2023–24 में 43.46 प्रतिशत हो गई है। तृतीयक क्षेत्र की भागेदारी में पूर्व में वर्षों की अपेक्षा आंशिक कमी हुई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की सापेक्षिक स्थिति प्रदेश में व्यावसायिक संरचना व विकास की अवस्था को दर्शाता है।

आय की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर कम निर्भरता व द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान राज्य में आर्थिक विकास की उच्च अवस्था का प्रतीक होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण में वर्ष के दौरान विकास की प्रवृति के संबंध में अनुमान, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार हालातों की रूपरेखा और सुधार के उपायों को बताने का प्रयास किया गया है। राज्य गठन के उपरान्त से ही सरकारों द्वारा कृषि एवं उद्यान में लगातार सुधारात्मक प्रयास किये गये है यही नही अपितु औद्योगिक उत्पादन को बढावा देने के लिए राज्य में औद्योगिक संस्थानों के गठन के साथ–साथ समय–समय पर निवेश सम्मेलन आयोजित कर निवेशको को उद्योगों को स्थापित करने हेतु विभिन्न नीतियां तैयार कर प्रोत्साहन प्रदान करने का कार्य किया गया है। आई0टी0 एवं सेवा जैसे क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है जो राज्य के समग्र विकास और अर्थ व्यवस्था में योगदान दे रहे है।

आर्थिक सर्वेक्षण के निर्माण में अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा विभागीय अधिकारियों के सहयोग से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गयी है। आर्थिक सर्वेक्षण के संकलित अध्यायों के परिमार्जन, परिवर्द्धन, परिनिरीक्षण एवं सम्पादन हेतु श्री सुशील कुमार, निदेशक की अध्यक्षता तथा श्री पंकज नैथानी एवं डॉ0 मनोज कुमार पंत अपर निदेशक के पर्यवेक्षण में गठित कोर टीम के सदस्यों– संयुक्त निदेशक, डॉ0 दिनेश चन्द्र बडोनी, उप निदेशक श्री निर्मल कुमार शाह, अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्री ललित मोहन जोशी, तथा अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री रितेश कुमार एवं श्री रितेश शर्मा, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, एवं श्रीमती ऋतु नेगी तथा अध्याय लेखन हेतु कोर कमेटी के सदस्यों के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक – सुश्री चित्रा, श्री टी0एस अन्ना, उप निदेशक – श्री मनीष राणा, डॉ0 इला पन्त बिष्ट, श्रीमती रश्मि हलधर एवं अर्थ एवं संख्याधिकारी – श्री ललित आर्य, श्रीमती ज्योति जोशी, श्री राजेश कुमार, श्री संजय शर्मा, श्री गोपाल गुप्ता, श्री अतुल आनन्द, डॉ0 मोनिका श्रीवास्तव, श्री लख्मी चंद, शोध अधिकारी श्री महेश चन्द कपिल, श्री सुरेश गोयल, तथा सहयोग हेतु अपर सांख्यिकीय अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, श्री अशोक कुमार, श्री आलोक कुमार, श्री बृजेश कुमार, सुश्री सीमा धीमान, श्री सुन्दर सिंह तोमर, श्री योगेन्द्र सिंह रौथाण, श्री मानसिंह कुवर, श्री मनोज कुमार, श्री अरविन्द कुमार सैनी, श्री जयपाल सिंह एवं श्री शैलेन्द्र कुमार विशेषज्ञ सी.पी.पी.जी.जी. का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हुए टंकण एवं अन्य कार्यो में सहयोग देने हेतु श्री दीपक सिंह गुसाई तथा अन्य समस्त डाटा एण्ट्री ऑपरेटरों/अन्वेषक–कम–संगणकों एवं पी0आर0डी0 कर्मचारियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अन्त में अर्थ एवं संख्या निदेशालय की ओर से श्री पुष्कर सिंह धामी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा, एवं मुख्य सचिव महोदया का आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने में प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके अतिरिक्त समस्त विभागों के विभागाध्यक्षों तथा विभागीय अधिकारियों का विभाग से सम्बन्धित आवश्यक तथ्य, सूचनायें, ऑकड़े तथा विवरण उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा प्रभारी सचिवों का उनके सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

आर्थिक सर्वेक्षण
वर्ष 2024–25
विषय सूची

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	शब्द संक्षेप	i-xiv
	राज्य की अर्थव्यवस्था	
1	उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन	01–14
2	राज्य आय एवं लोक वित्त	15–29
3	कराधान	30–42
4	भाव संचलन	43–48
	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र	
5	कृषि, गन्ना एवं उद्यान	49–78
6	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	79–96
7	सहकारिता	97–104
8	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	105–109
9	वन एवं पर्यावरण	110–123
	सेवा क्षेत्र	
10	परिवहन एवं संचार	124–134
11	पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन	135–152
12	बैंकिग एवं संस्थागत वित्त	153–173
	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	
13	विद्युत	174–193
14	जल संसाधन एवं प्रबन्धन	194–219
15	सड़क एवं रेल	220–226
16	उद्योग	227–251
17	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	252–266
	ग्रामीण एवं शहरी विकास	
18	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	267–287
19	शहरी विकास एवं आवास	288–299

क्रम संख्या	अध्याय विवरण	पृष्ठ संख्या
	मानव विकास	
20	शिक्षा	300–321
21	स्वास्थ्य	322–347
22	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	348–356
23	सतत् विकास लक्ष्य	357–363
24	खेल एवं युवा कल्याण	364–377
25	समाज कल्याण	378–397
	ई–सुशासन	
26	सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी	398–419
27	राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन	420–427
	परिशिष्ट	429–444

शब्द संक्षेप (Abbreviations)

AAI-	Airports Authority of India
ABC-	Animal Birth Control
AE-	Actual Estimates
ADB-	Asian Development Bank
AIC-	Artificial Insemination Centres
AICTE-	All India Council for Technical Education
AIDS-	Acquired Immune Deficiency Syndrome
AIF-	Agri Infrastructure Fund
AIIB-	Asian Infrastructure Investment Bank
AIIMS-	All India Institute of Medical Sciences
ALS-	Advance Life Support
AMRUT-	Atal Mission for Rejuvenation And Urban Transformation
AMR-	Automatic Meter Reading
ANC-	Ante Natal Care
ANM-	Auxiliary Nurse Midwifery
AMI-	Agricultural Marketing Infrastructure
ANC-	Absolute Neutrophil Count
APEDA-	Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority
APMC-	Agricultural Produce Marketing Committee
APO-	Annual Plan of Action
APY-	Atal Pension Yojana
ARC-	Advance Release Calendar
ART-	Anti-Retroviral Therapy
ASCAD-	Assistance To State For Control Of Animal Diseases
ASER-	Annual Status of Education Report
ASHA-	Accredited Social Health Activist
AT&C-	Aggregate Technical and Commercial
ATF-	Aviation Turbine Fuel
ATM-	Automated Teller Machine
AYUSH-	Ayurvedic, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy
BADP-	Border Area Development Programme
B to C-	Business to Customer
BAIF-	Bharatiya Agro Industries Foundation
BBBP-	Beti Bachao Beti Padhao
BBPS-	Bharat Bill Payment System
BCARLIP-	Bio-Diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Plan
BCC-	Basic Computer Course
BE-	Budget Estimates
BHMCT-	Bachelor of Hotel Management and Catering Technology
BIS-	Bureau of Indian Standards
BLC-	Beneficiary Led Construction

BLS-	Basic Life Support
BPL-	Below Poverty Line
BPO-	Business Process Outsourcing
BRAP-	Business Reforms Action Plan
BRO-	Border Roads Organisation
BRTF-	Border Roads Task Force
BSNL-	Bharat Sanchar Nigam Limited
BSUP-	Basic Service for Urban Poor
BVS-	Block vaccine store
CAD-	Computer-aided Design
CAF-	Common Application Form
CAGR-	Compound Annual Growth Rate
CALC-	Computer aided Learning Centre
CAMPA-	Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority
CAP-	Centre for Aromatic Plants
CAS-	Common Application Software
CBAC-	Context Based Access Control
CBE-	Community Based Events
CBOs-	Community Based Organisations
CBS-	Core Banking System
CCMP-	Cyber Crisis Management Technology
CCPs-	Cold chain Points
CCTNS-	Crime and Criminal Tracking Network & System
CCTV-	Closed Circuit Television
CD RATIO-	Credit Deposit Ratio
CDTP-	Community Development Through Polytechnics
CEA-	Central Electricity Authority
CEMB-	Center of Excellence in Mountain Biology
CGHS-	Central Government Health Scheme
CGSSD-	Credit Guarantee Scheme for Subordinate Debt
CGST-	Centre Goods & Services Tax
CHCs -	Community Health Centres
CII-	Critical Information Infrastructure
CIPET-	Central Institute of Plastics Engineering & Technology
CISF-	Central Industrial Security Force
CISO-	Chief Information Security Officer
CITIIS-	City Investment Innovation Integrated and Sustain
CLR-	Commissionerate of Land Revenue
CMERI-	Central Mechanical Engineering Research Institute
CMO-	Chief Medical Officer
CMP-	Comprehensive Mobility Policy
COVID-	Corona Virus Disease
CPCB-	Central Pollution Control Board

CPI-	Consumer Price Index
CSCs-	Common Service Centres
CSIR-	Council of Scientific & Industrial Research
CSO-	Central Statistics Office
CSP-	City Sanitation Plan
CSR-	Corporate Social Responsibility
CWC-	Central Water Commission
CWSN-	Children With Special Needs
DARC-	Drone Application and Research Centre
DAY-NRLM-	Deendayal Antodaya Yojana - National Rural Livelihood Mission
DBT-	Direct Benefit Transfer
DCCC-	Dedicated Covid Care Centre
DCH-	Dedicated Covid Hospital
DCHC-	Dedicated Covid Health Centre
DCUs-	Departmental Commercial Undertakings
DDRC-	District Disability Rehabilitation Centre
DDUGJY-	Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana
DEA-	Department of Economic Affair
DEDS-	Dairy Entrepreneurship Development Scheme
DES-	Directorate of Economics & Statistics
DGCA-	Directorate General of Civil Aviation
DGCIS-	Directorate of General of Commercial Intelligence and Statistics
DGFT-	Director General of Foreign Trade
DGPS-	Differential Global Positioning System
DIC-	District Industries Center
DIDF-	Dairy Infrastructure Development Fund
DIET-	District Institute of Education & Training
DILRMP-	Digital India Land Record Modernisation Programme
DIPP-	Department of Industrial Policy and Promotion
DMRC-	Delhi Metro Rail Corporation
DMS-	Distribution Management System
DMS-	Document Management System
DPA-	Direct Productive Activities
DPR-	Detailed Project Report
DPS-	District Project Societies
DQAS-	Daily Quick Audit System
DRI-	Differential Rate of Interest
DRIP-	Dam Rehabilitation Improvement Program
DSI-	Dynamic Systems Initiative
DST-	Department of Science & Technology
DSUCP-	Development of Smart Urban Cluster Project
DTH-	Direct To Home
DVS-	District Vaccine Store

DVS-	Dynamic Vapor Sorption
DWSM-	District Water and Sanitation Mission
EBB-	Educationally Backward Blocks
ECHS-	Ex-servicemen Contributory Health Scheme
EIA-	Environmental Impact Assessment
ECLGS-	Emergency Credit Line Guarantee Scheme
EEPC-	Engineering Export Promotion Council of India
EMI-	Equated Monthly Installment
E-NAM-	E-National Agriculture Market
EODB-	Ease Of Doing Business Score
EPI-	Export Preparedness Index
E-POS-	Electronic Point of Sale
ERP-	Enterprise Resource Planning
ESI-	Employees State Insurance
ETS-	Electronic Total Station
eVIN-	Electronic Vaccine Intelligence Network
EV-	Electric Vehicles
EWS-	Economically Weaker Section
FC-	Fitness Certificate
FCI-	Food Corporation of India
FDR-	Fixed Deposit Receipt
FHTC-	Functional Household Tap Connection
FIDF-	Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund
FIEO-	Federation of Indian Export Organization
FLCs-	Financial Literacy Centers
FMD-	Foot and Mouth Disease
FMS-	Facility Management Service
FPF-	Food Processing Fund
FPO-	Food Process Order
FPS-	Fair Price Shop
FRBMA-	Fiscal Responsibility and Budget Management Act
FRP-	Fibre-Reinforced Plastic
FRTU-	Feeder Remote Terminal Unit
FSA-	Food Security Allowance
FSD-	Foundation for Sustainable Development
FSI-	Forest Survey of India
FSSAI-	Food and Safety Standards Authority of India
G to C-	Government to Citizen
GBPS-	Gigabits per second
GCF-	Green Climate Fund
GDI-	Gender Development Index
GDP-	Gross Domestic Product
GER-	Gross Enrolment Ratio

GFCF-	Gross Fixed Capital Formation
GIS-	Geographic Information System
GIS-	Gas Insulated Switchgear
GIHM-	Government Institute of Hotel Management
GLOF-	Glacial Lake Outburst Flood
GMVN-	Garhwal Mandal Vikas Nigam
GoI-	Government of India
GPDP-	Gram Panchayat Development Plan
GPS-	Global Positioning System
GSDP-	Gross State Domestic Product
GST-	Goods & Services Tax
GSVA-	Gross State Value Added
GVA-	Gross Value Added
GVO-	Gross Value Output
H-	Hectare
HARC-	Himalayan Action Research Centre
HCI-	Hyper Convergent Infrastructure
HDI-	Human Development Index
HDPE-	High Density Polyethylene
HDR-	Human Development Report
HIV-	Human Immunodeficiency Virus
HLDSC-	High Level Data Standard Committee
HMIS-	Health Management Information System
HOPE-	Helping Out People Everywhere
HP-	Horse Power
HPSEBL-	Himachal Pradesh State Electricity Bill
HPPCL-	Himachal Pradesh Power Corporation Limited
HT-	High Tension
HTLS-	High Temperature Low Sag
HUF-	Hindu Undivided Family
HVDS-	High Voltage Distribution System
IAS-	Indian Administrative Services
ICAP-	Integrated Cluster Action Plan
ICDP-	Integrated Co-operative Development Programme
ICDS-	Integrated Child Development Scheme
ICT-	Information and Communications Technology
ICU-	Intensive Care Unit
IDA-	International Development Association
IEC-	Information, Education and Communication
IFAD-	International Fund for Agriculture Development
IFSR-	Indian Forest Survey Report
IGNOU-	Indira Gandhi National Open University
IGST-	Integrated Goods & Services Tax

IHM-	Institute of Hotel Management
IIFM-	Indian Institute of Forest Management
ILSP-	Integrated Livelihood Support Project
ILR-	Ice Line Refrigerators
IMA-	Integrated Modal Agriculture
IMD-	Indian Meteorological Department
IMR-	Infant Mortality Rate
IMIS-	Integrated Management Information System
INDCs-	Intended Nationally Determine Contributions
ISBT-	Inter-State Bus Terminus
ISRO-	Indian Space Research Organization
IT-	Information Technology
IIT-	Indian Institute of Technology
ITDA-	Information Technology Development Agency
IPCC-	International Panel on Climate Change
IPD-	In-Patient Departments
IPDS-	Integrated Power Development Scheme
IPHS-	Indian Public Health Standards
IPR-	Intellectual Property Rights
IRCTC-	Indian Railways Catering and Tourism Corporation
IRC-	India Roads Congress
IRS-	Incident Response System
ISAM-	Integrated Scheme for Agricultural Marketing
ISFR-	India State of Forest Report
ISM-	Indian School of Mines
ISO-	International Standards Organization
IVDP-	Integrated Village Development Project
IWMP-	Integrated Watershed Management Programme
JEE-	Joint Entrance Examination
JICA-	Japan International Cooperation Agency
JJM-	Jal Jeevan Mission
JLG-	Join Liability Group
JNNURM-	Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission
KCC-	Kisan Credit Card
KGBV-	Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya
KMS-	Knowledge Management System
KMVN-	Kumaon Mandal Vikas Nigam
KPIs-	Key Performance Indicators
KRC-	Key Resource Centre
KSY-	Kishori Shakti Yojana
KV-	Kilo Volt
KVIC-	Khadi and Village Industries Commission
LAN-	Local Area Network

LAP-	Local Area Plan
LBW-	Low Birth Weight
LED-	Light Emitting Diode
LFPR-	Labor Force Participation Rate
LGD-	Local Government Directory
LIG-	Low-Income Group
LPCD-	Liters Per Capita Daily
LT-	Low Tension
MAP-	Medicinal Aromatic Plants
MBA-	Master of Business Administration
MBBS-	Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
MBPS-	Megabits Per Second
MCP Card-	Mother & Child Protection Card
MDF-	Moderately Dense Forest
MDM-	Mid day Meal
MDT-	Multi Drug Therapy
MGNREGA-	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MIF-	Micro Irrigation Fund
MIG-	Middle Income Group
MIS-	Management Information System
MLD-	Millions of Liters per Day
MLHP-	Mid Level Health Providers
MM-	Millimeter
MMR-	Maternal Mortality Rate
MMS-	Miracle Mineral Solution
MNRE-	Ministry of New and Renewable Energy
MoRD-	Ministry of Rural Development
MOSPI-	Ministry of Statistics & Programme Implementation
MoU-	Memorandum of Understanding
MPCE-	Monthly Per Capita Expenditure
MPI-	Multidimensional Poverty Index
MPLS-	Multiprotocol label switching
MSBY-	Mukhyamantri Swasthya Bima Yojan
MSC-	Multi-Service Center
MSE-	Micro Small Enterprises
MSME-	Micro Small & Medium Enterprises
MSP-	Minimum Support Price
MSW-	Municipal Solid Waste
MTR-	Mass Transit Railway
MU-	Mega Unit
MVA-	Mega Volt Ampere
MV Tax-	Motor Vehicle Tax
MW-	Mega Watt

NAAC-	National Assessment and Accreditation Council
NABCONS-	Nabard Consultancy Services
NABH-	National Accreditation Board for Hospital
NABL-	National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories
NACO-	National AIDS Control Organisation
NAD-	National Asset Directory
NAMP-	National Air Quality Monitoring Programme
NAPDDR-	National Action Plan for Drug Demand Reduction
NAPSrC-	National Action Plan for Welfare of Senior Citizens
NAS-	National Assessment Survey
NCDC-	National Cooperative Development Corporation
NCDs-	Non-Communicable Diseases
NCERT-	National Council of Educational Research and Training
NCF-	National Curriculum Framework
NCIIPC-	National Critical Information Infrastructure Protection Centre
NCVT-	National Council of Vocational Training
NDMA-	National Disaster Management Authority
NDP-	Net Domestic Product
NDSI-	Normalized Difference Snow Index
NERS-	National Emergency Response System
NHAI-	National Highway Authority of India
NHM-	National Health Mission
NEET-	National Eligibility cum Entrance Test
NEFT-	National Electronic Fund Transfer
NEGP-	National e-Governance Plan
NFHS-	National Family Health Survey
NFSA-	National Food Security Act
NFSM-	National Food Security Mission
NHA-	National Health Authority
NHIDCL-	National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited
NHM-	National Health Mission
NIC-	National Informatics Centre
NIDA-	NABARD Infrastructure Development Assistance
NIE-	National Implementing Entity
NIELIT-	National Institute of Electronics and Information Technology
NIFT-	National Institute of Fashion Technology
NIH-	National Institute of Hydrology
NII-	National Information Infrastructure
NIMHANS-	National Institute of Mental Health and Neuro-Sciences
NIOS-	National Institute of Open Schooling
NIP-	National Infrastucture Pipeline
NIRD-	National Institute of Rural Development
NIT-	National Institutes of Technology

NITI-	National Institution for Transforming India
NITRA-	Northern India Textile Research Association
NKN-	National College Network
NMAET-	National Mission on Agricultural Extension & Technology
NMET-	National Mineral Exploration Trust
NMHP-	National Mental Health Programme
NMHS-	National Mission on Himalayan Studies
NMOOP-	National Mission on Oilseeds and Oil Palm
NMR-	Neo-Natal Mortality Rate
NMSA-	National Mission for Sustainable Agriculture
NOFN-	National Optical Fiber Network
NOHP-	National Oral Health Programme
NPA-	Non Performing Assets
NPCB-	National Programme for Control Blindness
NPCC-	National Project Construction Corporation
NPCDCS-	National Programme For Prevention and Control of Cancer, Diabetes, Cardiovascular Disease and Stroke
NPEGEL-	National Programme for Education of Girls at Elementary Level
NPHCE-	National Programme for Health Care of the Elderly
NPP-	National Panchayat Portal
NPPCD-	National Programme for Prevention and Control of Deafness
NPS-	National Pension Scheme
NPV-	Net Present Value
NQM-	National Quality Monitors
NRDWP-	National Rural Drinking Water Programme
NRLM-	National Rural Livelihood Mission
NSS-	National Service Scheme
NSRMP-	National Seismic Risk Management Project
NSQF-	National Skills Qualifications Framework
NSSO-	National Sample Survey Office
NTEP-	National Type Evaluation Programme
NTFP-	Non-Timber Forest Products
NTPC-	National Thermal Power Corporation
NTRO-	National Technical Research Organisation
NUHM-	National Urban Health Mission
NULM-	National Urban Livelihood Mission
NWMP-	National Water Quality Monitoring Programme
ODF-	Open Defecation Free
OF-	Open Forest
OFC-	Optical Fiber Cable
OMMAS-	Online Management Monitoring and Accounting System
OPD-	Out Patient Department
OPGW-	Optical Ground Wire

OPS-	Other Priority Sector
OTS-	One Time Settlement
PACCS-	Primary Agricultural Cooperative Credit Society
PACS-	Primary Agricultural Credit Societies
PAN-	Permanent Account Number
PCO-	Public Call Office
PCS-	Provincial Civil Services
PDF-	Portable Document Format
PE-	Provisional Estimates
PEQ-	Post Entry Quarantine
PESA-	Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act
PFC-	Power Finance Corporation
PFMS-	Public Financial Management System
PGCIL-	Power Grid Corporation of India Limited
PGS-	Participatory Guarantee System
PHCs-	Primary Health Centres
PhD-	Doctor of Philosophy
PIC-	Patent Information Centre
PIU-	Project Implementation Unit
PKVY-	Prampragat Krishi Vikas Yojana
PLFS-	Periodic Labor Force Survey
PMA-	Project Management Agency
PMAGY-	Pradhan Mantri Aadarsh Gram Yojana
PMEGP-	Prime Minister's Employment Generation Programme
PMFBY-	Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
PMFME-	Pradhan Mantri Formalization of Micro food processing Enterprises
PMGDISHA-	Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan
PMGSY-	Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
PMJAY-	Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna
PMJDY-	Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana
PMJJBY-	Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana
PM-KMY-	Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojna
PMKSY-	Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana
PMKUSUM-	Pradhan Mantri Kissan Urja Suraksha evam Utthan Mahaabhiyaan
PMKVY-	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana
PMMVY-	Pradhan Mantri Matri Vandana Yojana
PMMY-	Pradhan Mantri Mudra Yojana
PMSBY-	Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana
PM-SYM-	Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan
PMU-	Project Management Unit
PNB-	Punjab National Bank
PODF-	Producers Organization Development Fund
POP-	Point Of Presence

PPD-	Prearranged Payment Deposit
PPP-	Public Private Partnership
PRASAD-	Pilgrimage Rejuvenation And Spiritual Augmentation Drive
PRD-	Prantiya Raksha Dal
PRT-	Personal Rapid Transit
PSB-	Public Sector Banks
PTCUL-	Power Transmission Corporation Limited of Uttarakhand
PURNA-	Providing Ultra-Rich Nutrition to Adolescent Girls
PVC-	Poly Vinyl Chloride
PWD-	Person With Disability
RAD-	Rapid Application Development
RAFTAR-	Remuneration Approaches for Agriculture and Allied sector Rejuvenation
RAP-	Rural Authorized Person
RAPDRP-	Restructured Accelerated Power Development and Reforms Programme
RAS-	Recirculation Aquaculture System
RBF-	River Bank Filtration
RBSK-	Rashtriya Bal Swasthya Karyakram
RC-	Registration Certificate
RCH-	Reproductive and Child Health
RE-	Revised Estimates
RET-	Rare Endangered Threats
RERA-	Real Estate Regulatory Act
RFA-	Recorded Forest Area
RFID-	Radio Frequency Identification Data
RIDF-	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY-	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
RMSA-	Rashtriya Madhyamik Sikhsha Abhiyan
RMU-	Ring Main Unit
ROB-	Railway Over Bridge
ROR-	Records of Rights
ROT-	Receive Only Terminal
RPL-	Recognition of Prior Learning
RRB-	Regional Rural Banks
RSETI-	Rural Self Employment Training Institutes
RT-DAS-	Real Time Data Acquisition System
RTE-	Right To Education
RTGS-	Real Time Gross Settlement
RTI-	Research Triangle Institute
RTO-	Regional Transport Office
RUSA-	Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan
RUTF-	Ready to Use Therapeutic Food
RVs-	Recreational Vehicles
RVS-	Regional Vaccine Store

RVS-	Rapid Visual Screening
SAC-	Space Application Center
SAPCC-	State Action Plan on Climate Change
SBA-	Skill Birth Attendant
SC-	Scheduled Castes
SCADA-	Supervisory Control And Data Acquisition
SCERT-	State Council of Educational Research & Training
SCSP-	Special Component Sub Plan
SCVT-	State Council of Vocational Training
SDGs-	Sustainable Development Goals
SDI-	Strategic Defense Initiative
SDMIS-	School District Management Information System
SDRF-	State Disaster Response Fund
SECC-	Socio Economic Cast Census
SECI-	Solar Energy Corporation of India
SFS-	State Food Scheme
SGFI-	School Games Federation of India
SGHS-	State Government Health Scheme
SGST-	State Goods & Services Tax
SJVNL-	Satluj Jal Vidyut Nigam Limited
SHC-	Soil Health Card
SHG-	Self Help Group
SIDCUL-	State Industrial Development Corporation of Uttarakhand
SIEMAT-	State Institute of Educational Management & Training
SIT-	Satellite Interactive Terminal
SLBC-	State Level Bankers Committee
SMA-	Special Mention Account
SMAE-	Sub Mission on Agriculture Extension
SMAM-	Sub Mission on Agriculture Mechanization
SMPP-	Sub Mission on Plant Protection
SMSP-	Sub Mission for Seed and Planting
SNF-	Solids Non Fat
SNUSP-	Support to National Urban Sanitation Policy
SOC-	Social Overhead Capital
SOP-	Standard Operations Procedures
SPCB-	State Pollution Control Board
SPMRM-	Shyama Prasad Mukherji Rurban Mission
SPS-	Specialist Pharmacy System
SQM-	State Quality Monitors
SRB-	Sex Ratio at Birth
SRLM-	State Rural Livelihood Mission
SRS-	Sample Registration System
SSA-	Sarv Shiksha Abhiyan

SSDG-	State Service Delivery Gateway
SSIs-	Small Scale Industries
ST-	Scheduled Tribes
STIs-	Sexually Transmitted Infections
STP-	Sewerage Treatment Plant
STPI-	Software Technology Parks of India
STSAO-	Short Term Seasonal Agriculture Operation
SVEP-	Startup Village Entrepreneurship Programme
SVS-	State vaccine store
SWAN-	State Wide Area Networks
SWIS-	Sheep and Wool Improvement Scheme
SWSM-	State Water and Sanitation Mission
TAC-	Technical Assistance Center
TB-	Tuberculosis
TEQIP-	Technical Education Quality Improvement Programme
TERT-	Tata Energy Research Institute
TFR-	Total Fertility Rate
THDC-	Tehri Hydro Development Corporation
TMP-	Training Management Portal
ToR-	Term of Reference
TPS-	Town Planning Scheme
TRC-	Technical Resource Centre
TSP-	Tribal Sub Plan
U5MR-	Under Five Mortality Rate
UA-URIP-	Uttaranchal-Urban Reform Incentive Programme
UAV-	Unmanned Aerial Vehicle
UBRI-	Uttarakhand Biotechnology Research Institute
UBSE-	Uttarakhand Board of School Education
UCADA-	Uttarakhand Civil Aviation Development Authority
UCB-	Uttarakhand Council for Biotechnology
UCOST-	Uttarakhand Council of Science & Technology
UDID-	Unique Disability ID
UDISE-	Unified District Information System for Education
UDRP-	Uttarakhand Disaster Recovery Project
UDWDP-	Uttarakhand Decentralised Watershed Development Project
UGCIS-	Uttarakhand Geo-Special Constituency Information System
UHND-	Urban Health and Nutrition Day
UIDAI-	Unique Identification Authority of India
UJS-	Uttarakhand Jal Sansthan
UJVNL-	Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited
UKAVP-	Uttarakhand Awas and Vikas Parishad
UKHDR-	Uttarakhand Human Development Report
UKHSDP-	Uttarakhand Health System Development Programme

UKPFMS-	Uttarakhand Public Financial Management System
UKSDI-	Uttarakhand Special Data Infrastructure
UKSDM-	Uttarakhand Skill Development Mission
UKSSSC-	Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission
ULDB-	Uttarakhand Livestock Development Board
UMANG-	Unified Mobile Application for New-age Governance
UMTC-	Urban Mass Transit Company
UNDP-	United Nation Development Programme
UPCL-	Uttarakhand Power Corporation Limited
UPHC-	Urban Primary Health Centre
UPNRM-	Umbrella Programme for Natural Resources Management
UPSIDC-	Uttar Pradesh State Industrial Development Corporation
UREDA-	Uttarakhand Renewable Energy Development Agency
URIF-	Urban Reform Incentive Programme
URMIS-	Uttarakhand River Morphological Information System
URRDA-	Uttarakhand Rural Roads Development Agency
USAC-	Uttarakhand Space Application Centre
USAATA-	Uttarakhand Social Audit Accountability and Transparency Agency
USDMA-	Uttarakhand State Disaster Management Authority
USERC-	Uttarakhand Science Education and Research Centre
USRLM-	Uttarakhand State Rural livelihood Mission
USWAN-	Uttarakhand State Wide Area Network
USWDB-	Uttarakhand Sheep and Wool Development Board
UTDB-	Uttarakhand Tourism Development Board
UTGST-	Union Territory Goods and Service Tax
UTIITSL-	UTI Infrastructure Technology and Service Limited
VAT-	Value Added Tax
VDF-	Very Dense Forest
VHSNC-	Village Health, Sanitation and Nutrition Committee
VLTD-	Vehicle Location Tracking Device
VRA-	Vulnerability and Risk Analysis
VWSM-	Village Water and Sanitation Mission
WASH-	Wash Sanitation and Hygiene
WLL-	Wireless Local Loop
WPI-	Wholesale Price Index

राज्य की अर्थव्यवस्था

अध्याय–1
उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था का सिंहावलोकन
Overview of the Economy of Uttarakhand

1. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था

1.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023–24 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 8.2 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2024–25 में विकास दर 6.4 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.2 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 295.36 लाख करोड़ तथा वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 324.11 लाख करोड़ आंका गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 173. 82 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 184.88 लाख करोड़ रहने का अनुमान है।

1.3 वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्य संवर्धन मे वृद्धि मुख्यतः लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (14.0 प्रतिशत), वित्त, रियल स्टेट एवं पेशेवर सेवाएं (10.3 प्रतिशत), कृषि, पशुपालन, वानिकी एवं मत्सय पालन (10.0 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (8.6 प्रतिशत), व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार सेवाए, (8.0 प्रतिशत) तथा विनिर्माण क्षेत्र (6.6 प्रतिशत) मे अनुमानित है।

1.4 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2024–25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.6 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.0 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 55.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.5 देश में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023–24 में ₹ 1,84,205 थी, जो वर्ष 2024–25 में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,00,162 होने का अनुमान है।

राज्य अर्थव्यवस्था

1.6 राज्य अर्थव्यवस्था में वर्ष 2023–24 में अनन्तिम अनुमान के अनुसार 7.83 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गई है जबकि वर्ष 2024–25 में विकास दर 6.61 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

1.7 प्रचलित भावों पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वर्ष 2023–24 में ₹ 332.99 हजार करोड़ तथा वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 378.24 हजार करोड़ अनुमानित किया गया है। स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011–12) पर GDP वर्ष 2023–24 में ₹ 204.32 हजार करोड़ की तुलना में वर्ष 2024–25 में लगभग ₹ 217.82 हजार करोड़ रहने का अनुमान है।

1.8 वर्ष 2024–25 के दौरान मूल्य संवर्धन में वृद्धि मुख्यतः लोक प्रशासन एवं अन्य सेवा (13.58 प्रतिशत), निर्माण उद्योग (12.08 प्रतिशत), मत्सय पालन (9.39 प्रतिशत), रेलवे (9.04 प्रतिशत), परिवहन एवं संचार सेवाएं (8.64 प्रतिशत), खनन एवं उत्खनन (7.50 प्रतिशत) तथा वित्त सेवाएं (6. 78 प्रतिशत) में अनुमानित है।

1.9 संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2024–25 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 9.34 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 44.65 प्रतिशत तथा तृतीयक क्षेत्र का योगदान 46.02 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

1.10 राज्य में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2023–24 में ₹ 2,46,178 थी, जो वर्ष 2024–25 में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹ 2,74,064 होने का अनुमान है।

2. राज्य आय एवं लोक वित्त

2.1 वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90करोड़ है जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90करोड़ है जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.2 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.3 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹4873.38 करोड़ आंकी गयी हैं, जो कि वर्ष 2023–24में ₹4174.73 करोड थी।

2.4 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) मे ₹13637.15 करोड़ आंका गया हैं जो कि वर्ष 2023–24में ₹12348.25 करोड थी।

2.5 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹2889.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 14.73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में ₹1313.38 करोड, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹539.94 करोड़ की अनुमानित है।

3–कराधान

3.1 वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2023–24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर ₹11,288.90 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक कुल राजस्व संग्रह ₹8,875.42 करोड़ (₹55. 82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है।

3.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹1,836.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹1,936.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है,

3.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non-GST) में क्रमशः ₹9,379 करोड़ तथा ₹2,675 करोड़, इस प्रकार कुल ₹12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है।

3.4 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में कुल 2,06,315 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 57,644 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,63,959 हो चुकी है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2024–25 मे माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल (CGST+ IGST+ SGST+CESS) ₹15,617.74 करोड़ का संग्रहण किया गया है जो कि गतवर्ष की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹14,359.28 करोड़ से 09 प्रतिशत अधिक है।

3.6 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजनाः– जनहित में शासन/विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 18.11. 2025 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹10. 00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.7 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1828.50 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय ₹1970.00 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7.74 प्रतिशत अधिक है।

3.8 वर्ष 2023–24 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹4038.69 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2024–25 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4439.00 करोड़ के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2024 तक ₹3343.97 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है।

4– भाव संचलन

4.1 राज्य स्तर पर जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि देखी गई, मार्च में कमी के उपरान्त अप्रैल, मई, में वृद्धि व जून 2024 में पुनः कमी एवं जुलाई से अक्टूबर तक लगातार वृद्धि के उपरान्त नवम्बर व दिसम्बर में हल्की कमी परिलक्षित हुई है।

4.2 राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2024 में मुद्रास्फीति की दर (+) 5.1 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2024 माह में अधिकतम स्तर(+) 5. 69 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

5–कृषि, गन्ना एवं उद्यान

5.1 ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी. एम–किसान)''योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में दिनांकः 31 दिसम्बर, 2024 तक 8.89 लाख कृषक पंजीकृत है तथा ₹ 2926.24 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

5.2 मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में ₹ 405.56 लाख धनराशि की कार्ययोजना पर जनपदों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 100570 मृदा नमूनों के लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 98% की पूर्ति कर ली गयी है।

5.3 परम्परागत कृषि को बढावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 78000 है0 में जैविक कृषि कार्यकम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।

5.4 उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 73.16 करोड का पॉच वर्ष (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

5.5 बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित है।

5.6 राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (CMRKVY) का संचालन जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर एवं चंपावत में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य लागत ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9.60 लाख प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है।

6 पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य

6.1 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है।

6.2 मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अन्तर्गत राज्य के पशुपालकों को 90 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण (Interest subvention) उपलब्ध करवाकर पशुपालन आधारित गतिविधियों में भागीदार बनाते हुए उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जो पलायन रोकने में सहायक भी होगा।

6.3 महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 402.13 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 394.15 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

6.4 राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 से नवीन योजना "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" संचालित की गयी है।

6.5 "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" अन्तर्गत राज्य में प्रथम बार महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा एक पूर्ण महिला आधारित गतिवधि "मत्स्य सहेली" प्रारम्भ की गयी है।

7–सहकारिता

7.1 किसानों की आय दो गुना करने के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 से संचालित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमान्त तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्यो हेतु ₹ 01.00 लाख तथा कृषियेत्तर कार्यो यथा पशुपालन, जड़ी–बूटी, सगन्ध पादप, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य, मुर्गी पालन, मशरुम, पुष्प उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि–यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली–हाउस, आदि कार्योंआदि कार्यो हेतु ₹ 3.00 लाख तक एवं स्वंय सहायता समूहों को ₹ 5.00 लाख तक की धनराशि का ब्याजरहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

7.2 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से राज्य में संचालित 'राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना' के अन्तर्गत चार क्षेत्रक सहकारिता, मत्स्य, भेड़ बकरी पालन एवं डेयरी विकास के अन्तर्गत जनपदवार विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही है।

8– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

8.1 राज्य में वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पी0एच0एच0 एवं अन्त्योदय अन्न योजना एवं राज्य खाद्य योजना प्रचलित है। उक्त योजनाओं में

वर्तमान में लगभग 23.91 लाख राशनकार्ड धारक प्रचलित हैं।

8.2 उत्तराखण्ड राज्य में अन्त्योदय अन्न योजना के राशनकार्ड धारकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 से "मुख्यमंत्री अन्त्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना" के अन्तर्गत वर्ष में 03 गैस रिफिल निःशुल्क वितरित की जा रही है।

8.3 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय परिवार के राशनकार्ड धारकों को प्रति कार्ड 08 रू0 प्रति कि0ग्रा0 की दर से 01 कि0ग्रा0 प्रति माह नमक सब्सिडाईज्ड दरों पर वितरण किया जा रहा है।

8.4 ''वन नेशन वन राशन कार्ड'' (ONORC) योजना के अन्तर्गत वितरण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य देश में पांचवें स्थान पर है।

9– वन एवं पर्यावरण

9.1 वर्ष 2021 की भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,305.13 वर्ग किमी0 पाया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India) की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वनावरण 24,303.83 वर्ग किमी0 पाया गया। दो वर्षों की अवधि में वनावरण में 1.3 वर्ग किमी0 की कमी पायी गयी है।

9.2 प्रदेश में वर्ष 2022 में भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गुलदारों की संख्या का आंकलन किया गया, जो कि 3115 पाया गया। प्रदेश मे वर्ष 2008 की गणना में गुलदारों की संख्या 2335 आंकलित की गयी थी। इस प्रकार वर्ष 2022 की गणना में गुलदारों की संख्या में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

10–परिवहन एवं संचार

10.1 राज्य की सीमा पर परिवहन विभाग की चैकपोस्टों को समाप्त करते हुए ए0एन0पी0आर0 कैमरों की स्थापना की जा रही है। उक्त कैमरों के माध्यम से इलैक्ट्रानिक इनफोर्समेन्ट की कार्यवाही गतिमान है। उक्त ए0एन0पी0आर0 कैमरों के माध्यम से दिसंबर, 2024 तक 102872 चालान किए गए एवं ₹ 250.99 लाख का प्रशमन शुल्क वसूल किया गया है।

10.2 वर्तमान में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में ऐसे शासकीय वाहनों हेतु, जिनकी मॉडल सीमा 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, के स्क्रैपिंग हेतु पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा की व्यवस्था की गई है। उत्तराखण्ड परिवहन विभाग द्वारा अभी तक 05 फर्मों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति जारी की गई है।

10.3 उत्तराखण्ड परिवहन निगम के कार्यशालाओं मे उपलब्ध भण्डारो को Computerized किये जाने हेतु NIC, देहरादून के सहयोग से Inventory Management System Software Develop किया जा रहा है, जिसके माध्यम से भण्डारो के समस्त कार्य Online Portal से सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है,

11– पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन

11.1 चारधाम यात्रा–2024 के अन्तर्गत बद्रीनाथ में 14.35 लाख, केदारनाथ में 16.52 लाख, गंगोत्री में 8.15 लाख, यमुनोत्री में 7.15 लाख एवं हेमकुण्ड साहिब में 1.84 लाख कुल 48.01 लाख श्रद्धालुओं/यात्रियों द्वारा वर्ष 2024 में चारधाम तथा श्री हेमकुण्ड साहिब के दर्शन किये गये है।

11.2 जनपद अल्मोडा के अन्तर्गत श्री जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया, मास्टर प्लान में प्रस्तावित ₹ एक सौ तैंतीस करोड पिच्चसी लाख (₹ 133.85 करोड़) के

कार्यो के सापेक्ष ₹ इक्कीस करोड़ चौतीस लाख (₹ 21.34 करोड़) की वित्तीय स्वीकृति अब तक जारी की गयी है।

11.3 ग्रामीण पर्यटन विकसित करने तथा पलायन को रोकने के उद्देश्य से ''दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होमस्टे) विकास योजना'' प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निवासियों को होमस्टे निर्माण हेतु 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 15.00 लाख का पूंजी अनुदान तथाा प्रथम 05 वर्षो तक अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकतम ₹ 1.50 लाख की दर से ब्याज अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है। योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, 2024 तक कुल 969 व्यक्तियों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया है।

12–बैकिंग एवं संस्थागत वित्त

12.1 वर्ष 2024–25 मे 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में कुल 2,572 बैंक शाखाओं का नेटवर्क है जिनमें से 47.12 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों, 23. 72 अर्द्धशहरी क्षेत्रों तथा 29.16 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में कार्य कर रही है। वर्तमान में 1212 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में, 610 शाखाएं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में तथा 750 शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

12.2 30 सितम्बर 2024 तक राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल 1417 शाखाओं का नेटवर्क है। एस.बी.आई की सबसे ज्यादा 445, पी.एन.बी. की 297 और बैंक ऑफ बड़ोदा की 134 शाखाएं हैं। निजी क्षेत्रों के बैंकों का 490 शाखाओं का नेटवर्क हैं।

12.3 30 सितम्बर 2024 तक राज्य के बैंकों ने आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित 6 राष्ट्रीय मानकों की तुलना में 3 राष्ट्रीय मानकों, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में अग्रिम, कमजोर वर्ग ऋण तथा महिला ऋण को अर्जित किया है।

12.4 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अन्तर्गत 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 38.04 लाख ग्राहकों को आच्छादित किया गया है।

12.5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): बैंकों द्वारा उत्तराखण्ड में 30.09.2024 तक चालू वित्त वर्ष 2024–25 में इस योजना के अन्तर्गत 86830 नए सूक्ष्म उद्यमियों को ₹1439.12 करोड़ का नए ऋण स्वीकृत किये गये है।

12.6 किसान क्रेडिट कार्ड के अन्तर्गत 30.09.2024 तक बैंकों द्वारा योजना की शुरूआत से जरूरतमंद किसानों को कुल 613748 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं, जिसमें से गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 179412 नये किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये है।

13–विद्युत

13.1 पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत सम्मानित उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 300 यूनिट तक बिजली का लाभ प्राप्त कर सकते है। इस योजना के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को केन्द्र सरकार द्वारा 1 कि0वा, 2 कि0वा0 एवं 3 कि0वा0 तक के सोलर प्लांट स्थापित करने पर रू0 33,000/–, रू0 66,000/– एवं रू0 85,800/– तक की सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा 1, 2 एवं 3 कि0वा0 पर क्रमशः रू0 17,000/–,रू0 34,000/– एवं रू0 51,000/– तक की सब्सिडी दिया जाना प्रावधानित है।

13.2 पी0एम0 सूर्य घर–मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्ताओं से कुल 31407 आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसके सापेक्ष 31381 आवेदन पत्र अनुमोदित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 11966 (42.53 मे0वा0 क्षमता) सोलर प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। योजना के अन्तर्गत कुल 12160 उपभोक्ताओं को रू0 97.51 करोड़ की सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

14– जल संस्थान एवं प्रबन्धन

14.1 जल जीवन मिशन (JJM-MIS) पोर्टल पर उपलब्ध आंकडों के अनुरूप दिनांक 31.03. 2024 तक 13,64,620 ग्रामीण परिवारों को घरेलू क्रियाशील नल संयोजन (FHTCs) उपलब्ध कराये जा चुके थे। तदोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 88,538–एफ.एच.टी.सी. के सापेक्ष वर्ष 2024–25 में दिनांक 21.12.2024 तक 43,205 FHTCs दिए जा चुके है। इस प्रकार वर्तमान तक कुल 14,07,825 (97.05%) ग्रामीण परिवार नल संयोजन सुविधा से आच्छादित किये जा चुके हैं

14.2 भारत सरकार द्वारा संचालित पोर्टल पर राज्यान्तर्गत जनपदवार कुल 19,123 विद्यालय के सापेक्ष 19,103 (99.93%) विद्यालयों तथा 16,439 आंगनवाडी केन्द्रों के सापेक्ष 16,437 (99.99%) आंगनवाडी केन्द्रों में वर्तमान तक नल संयोजन सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

14.3 राज्य में कुल 430.92 एम.एल.डी. क्षमता के 70 सीवर शोधन सयंत्र स्थापित हैं। जिनका उपयोग कर लगभग 321.92 एम.एल.डी. सीवेज का परिशोधन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य में 178.17 एम.एल.डी. क्षमता के 35 सीवर शोधन सयंत्र निर्माणाधीन/प्रस्तावित है।

14.4 राज्य में सिंचाई के तीन प्रमुख संसाधनों में नहरें, नलकूप तथा पम्प नहरें हैं। दिसम्बर 2024 तक विभाग के अधीन 3103 छोटी पर्वतीय एवं भावर नहरें हैं, इसके अतिरिक्त 1745 नलकूप व 324 लघुडाल नहरें निर्मित हैं। नहरों, नलकूपों एवं पम्प नहरों का कुल कमाण्ड 4.099 लाख हेक्टेयर है व खरीफ तथा रबी की सिंचन क्षमता क्रमशः 2.625 लाख है0 व 2.247 लाख है0, कुल 4.872 लाख है0 है, जिसके सापेक्ष कुल 3.184 लाख है0 में सिंचन सुविधा उपलब्ध है।

14.5 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत माह मार्च 2024 तक 212 सोलर बोरिंग पम्पसेट, 147 सोलर लिफ्ट योजना, 41950 सिंचाई हौज, 1151 हाईड्रम, 56767 बोरिंग पम्पसेट, 842 भूस्तरीय पम्पसेट, 731 मध्यम/गहरी बोरिंग, 32214 कि0मी0 सिंचाई गूल/पाईप लाइन, 33 छोटे गेटेड वियर एवं 455 आर्टीजन कूपों का निर्माण कर, 5,59,048 है0 सिंचन क्षमता का सृजन किया गया है।

15–सड़क एवं रेल

15.1 प्रदेश में वर्तमान तक 3595 किमी0 लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसमें शहरी लिंक रोड तथा बाईपास सम्मिलित हैं, इनमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 2033 किमी0 राष्ट्रीय राजमार्ग है

15.2 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम परियोजना के अन्तर्गत राज्य में चारों धामों को जोड़ने वाले राजमार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश में ऑल वैदर रोड के अन्तर्गत 46 नं0 कार्य, 737 किमी0 लम्बाई हेतु ₹9917 करोड़ के स्वीकृत हैं।

15.3 सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत श्री केदारनाथ धाम में कुल 47 नं0 कार्य, लागत ₹ 329.76 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 14 नं0 कार्य, लागत ₹ 95.13 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके है। 09 नं0 कार्य, लागत ₹ 116.67 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें माह जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया जाना प्रस्तावित है।

15.4 सी.एस.आर. के अन्तर्गत श्री बद्रीनाथ धाम में कुल 41 नं0 कार्य, लागत ₹ 441.20 करोड़ के स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 05 नं0 कार्य, लागत ₹ 70.75 करोड़ के पूर्ण किये जा चुके हैं एवं 30 नं0 कार्य, लागत ₹ 338.22 करोड़ के प्रगति पर है, जिन्हें शीघ्रातीशीघ्र पूर्ण कर

लिया जायेगा।

15.5 केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि–सेतु बन्धन (सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत कुल 06 नं0 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. निर्माण के कार्य, लागत ₹ 193.92 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिनकी डी.पी. आर. गठन का कार्य गतिमान है।

16– उद्योग

16.1 वर्ष 2024–25 (माह नवम्बर, 2024 तक) में कुल 88489 औद्योगिक इकाईयां कार्यरत हैं। गत 24 वर्षों में औद्योगिक इकाईयों में 6 गुणा से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि इसके सापेक्ष निवेश में 24 गुणा तथा रोजगार में 10 गुणा से अधिक की वृद्धि हुई है।

16.2 भारत सरकार द्वारा एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने, उन्हें टिकाऊ बनाने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियन के रूप में बदलने के लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पहल की शुरूआत की गई।

16.3 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को कार्यशाला भवन तथा संयंत्र व मशीनरी/उपस्कर में स्थायी पूंजी निवेश के वित्त पोषण हेतु अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्था, राज्य सरकार के सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था से लिये गये सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज दर सहायता प्रतिपूर्ति, अधिकतम 3 वर्ष तक देय है।

16.4 शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समूचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से "उत्तराखण्ड़ राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार" योजना के अंतर्गत राज्य के 54 शिल्पियों को पुरष्कार प्रदान किये गये। बी0पी0एल0 श्रेणी के 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिल्पियों को पेंशन प्रदान की जा रही है।

17–श्रम रोजगार एवं कौशल विकास

17.1 युवाओं का रूझान बढ़ाने के उद्देश्य से इण्डिया स्किल्स 2024 के अर्न्तगत विभिन्न कौशल के क्षेत्रों में प्रतियोगिता का आयोजन 15 मई 2024 से 19 मई 2024 के मध्य किया गया। जिसमें राज्य के 02 युवाओं को गोल्ड मेडल, 01 युवा को सिल्वर मेडल, 03 युवाओं को ब्रॉन्ज मेडल तथा 02 युवाओं को मेडल ऑफ एक्सीलेन्स प्रदान किये गये।

17.2 नाबार्ड योजनान्तर्गत 16 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 19 निर्माण कार्यो हेतु नाबार्ड से ₹5349.54 लाख की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसके क्रम में 19 निर्माण कार्यो हेतु ₹4481.123 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

17.3 आई0टी0आई काशीपुर में Schneider Electric के तकनीकी सहयोग से तथा आई0टी0आई0, हरिद्वार में Philips के सहयोग से Manufacturing के क्षेत्र में Centre of Excellence स्थापित किया गया है

17.4 जून 2023 से जून, 2024 तक की अवधि के लिये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) रिपोर्ट अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। सभी आयु समूहों में राज्य की बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत हो गयी है। जो एक सकारात्मक प्रकृति को दर्शाता है। 15–29 वर्ष के महत्वपूर्ण आयु समूह में बेरोजगारी दर विगत वर्षों के 14.2 प्रतिशत से घटकर 9.8 प्रतिशत हो गई है।

18– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

18.1 देश की उत्तरी सीमा (भारत–चीन) में अवस्थित सीमावर्ती गावों को विकसित करने तथा इन गावों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के वार्षिक बजट

में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा की गई।

18.2 वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत 523 योजनायें, रू0 520.13 करोड़ की गृह मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की गयी हैं, जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 93 योजनायें वी0वी0मद के अंतर्गत रू0 16.99 करोड़ की एवं 47 योजनायें कनवर्जेन्स मद के अंतर्गत रू0 175.25 करोड़ की स्वीकृत की गयी हैं।

18.3 प्रधानमन्त्री आवास योजना–ग्रामीण योजना के अन्तर्गत द्वितीय फेज वर्ष 2020–21 से 2023–24 तक 56623 आवास निर्माण का लक्ष्य प्राप्त हुए हैं एवं आवास प्लस सूची में 56014 लाभार्थी सम्मिलित हैं। जिसके सापेक्ष 56014 आवासों को स्वीकृत करते हुए 55511 आवासों को पूर्ण कराया जा चुका है।

18.4 निर्धन ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष दैनिक रोजगार के साथ आजीविका के सतत साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं को पैकेज के रुप में उपलब्ध कराने हेतु आजीविका पैकेज मॉडल प्रारम्भ किया गया है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से परिवार को एक से अधिक आजीविका परक परिसम्पत्ति उपलब्ध करायी जाएंगी जिससे उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आजीविका पैकेज में वर्तमान तक 37847 परिवारों का चयन किया जा चुका है जिसके सापेक्ष 36605 कार्य प्रारम्भ एवं 32886 कार्य पूर्ण किये गये हैं।

18.5 SARRA के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्यः महात्मा गांधी नरेगा एवं SARRA के सहयोग से राज्य में जल संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को वर्ष 2024 में प्रारम्भ किया गया है। Spring and River Rejuvenation Authority के अंतर्गत 4931 क्रिटिकल जल श्रोतो को चिह्नित करते हुए ग्राम स्तर, विकासखंड स्तर एवं जनपद स्तर पर जल संरक्षण कार्य किये जा रहे है।

18.6 मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास आयोग द्वारा चिन्हित 50 प्रतिशत तक पलायन प्रभावित कुल 474 गांवों में आवासित परिवारों /बेराजगार युवाओं/रिवर्स माइग्रेन्टस आदि को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में क्रियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रुप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम से पलायन रोकना तथा रिवर्स पलायन को बढ़ावा देना है।

19– शहरी विकास एवं आवास

19.1 स्थानीय नगरीय निकाय द्वारा व्यय के सापेक्ष स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय (वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 हेतु क्रमशः 15%, 22.8% एवं 30% (प्रस्तावित)) है ।

19.2 शहरी पथ विक्रेताओं हेतु सहायता के अन्तर्गत 20885 स्ट्रीट वेण्डर चिन्हित कर पहचान पत्र वितरित किये गये है, जिसके फलस्वरूप इन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रोजगार संवर्द्धन किया गया है।

19.3 प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फेरी व्यवसायियो के लिए 01 जून 2020 से लागू की गयी है। इस योजनान्तर्गत 56250 फेरी व्यवसायियों द्वारा आनलाईन पोर्टल पर आवेदन किया गया है, जिसमें बैकों द्वारा 43302 आवेदकों को ₹ 67.35 करोड ऋण स्वीकृत किया गया है।

19.4 अमृत उपयोजना 7 अमृत नगरों का जी0आई0एस0 मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिस हेतु स्वीकृत व्यय ₹ 3.58 करोड़ के सापेक्ष ₹ 2.87 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है तथा मास्टर प्लान पूर्ण रूप से तैयार किये जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 0. 71 करोड धनराशि अवमुक्त की जानी प्रस्तावित है।

19.5 अमृत 2.0 योजना के अमृत मित्र उपयोजना के अन्तर्गत देहरादून, हरिद्वार, रूड़की की 6 पार्को (लाला लाजपत राय पार्क, इन्दिरानगर कालोनी देहरादून, दून विहार कालोनी, तिलक पार्क जाखन, गोविन्दपुरी पार्क हरिद्वार, मीना एनक्लेव पार्क हरिद्वार, केशव एवं मालवीय पार्क रूड़की) के रखरखाव हेतु ₹ 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त ₹ 26.00 लाख के सापेक्ष ₹ 14.00 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

19.6 Integrated Urban Infrastructure Development in Rishikesh (IUIDH) परियोजना हेतु लगभग ₹ 170000.00 लाख (फेज–1 ₹ 70000 लाख एवं फेज–2 ₹ 100000.00 लाख) की लागत के अन्तर्गत यू0यू0एस0डी0ए0 द्वारा ऋषिकेश में पेयजल, सीवर, सड़क एवं परिवहन, जल निकासी, भू–निर्माण, अर्बन रिफार्म सेक्टरों में कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

19.7 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत कुल 20 आवासीय परियोजनाओं में 15960 आवासों का निर्माण गतिमान है।

19.8 राज्य में वाहन पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु आवास विभाग के माध्यम से सम्पूर्ण राज्य में वाहन पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण गतिमान है। राज्य के 171 स्थानों में पार्किंग परियोजनाओं का निर्माण किया जाना है जिसमें सरफेस पार्किंग की 56, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 96, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं। जिसमें 100 परियोजनाओं में ₹ 5096.20 लाख की डी0पी0आर0 स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

20– शिक्षा

20.1 जटिल भौगोलिक क्षेत्रों से विद्यालय आने–जाने वाले 7073 बच्चों को एस्कॉर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है।

20.2 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय छात्रावास योजना के अन्तर्गत अपवंचित एवं कमजोर वर्ग के छात्र–छात्राओं के लिए विभिन्न जनपदों में 19 आवासीय छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 1500 छात्र–छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की जाती हैं।

20.3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को अधिक समग्र, लचीला और कौशल विकास आधारित बनाना है, जिससे छात्रों को रोजगार एवं उद्यमिता के लिए बेहतर रूप से तैयार किया जा सके।

20.4 वर्ष 2024–25 में 500 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टी0सी0आई0ए0ल0 (Telecommunications Consultants India Limited) के माध्यम से वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय में 04 केन्द्रीय स्टूडियो कार्यरत हैं।

20.5 राज्य में पी.एम. श्री योजना का क्रियान्वयन 2022–23 से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में 141 (28 प्राथमिक, 11 हाईस्कूल एवं 102 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों तथा द्वितीय चरण में 84 (06 प्राथमिक एवं 78 इण्टरमीडिएट) विद्यालयों का चयन किया गया। वर्तमान में कुल 225 पी.एम. श्री विद्यालयों में योजना का क्रियान्वयन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मानदण्डों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

20.6 विश्वविद्यालयों तथा संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वर्ष 2023–24 में स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत्

छात्र–छात्राओं को अपने–अपने महाविद्यालयों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर कुल 2610 को सात करोड़ तिहत्तर लाख छिहत्तर हजार रूपये की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से निर्गत की गयी।

21– स्वास्थ्य

21.1 भारत सरकार की कार्ययोजना के अन्तर्गत समस्त स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उच्चीकरण किया जाना है एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य के 13 जनपदों में कुल 1939 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों को स्थापित किया गया है।

21.2 टेलीमेडिसिन के अन्तर्गत रूपयें 19.29 करोंड की लागत से 4 मेडिकल कॉलेज (हब) एवं 400 चिन्हित PHC (स्पोक) की माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर विषेशज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है। ऐजेन्सी द्वारा 400 स्पोक्स का भ्रमण कर निरीक्षण किया जा चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज में इसका हब विकसित किया जा चुका है। उक्त 400 पीएचसी तथा 4 मेडिकल कॉलेज में आवश्यक उपकरण (टेबलेट, प्रिन्टर तथा इन्टरनेट व्यवस्था) एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा चुका है।

21.3 विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में एवं मैडिकल कॉलेजों में कुल 60 करोंड रूपये की लागत की विस्तृत अधिप्राप्ति योजना विश्व बैंक के अनुमोदनोंपरान्त HLL द्वारा कुल 10 चिकित्सालयों/मेडिकल कॉलेजों कुल 169 शैयायें ICU को विकसित किया जा चुका है एवं हस्तानान्तरण प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।

21.4 उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ीकरण हेतु उत्तराखण्ड हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेंट परियोजना की कुल लागत 87.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर (638 करोड रू0) है जिसमें से विश्व बैंक द्वारा 70 मिलियन यू0एस0 डॉलर के ऋण की स्वीकृति की गई है तथा शेष 17.5 मिलियन यू0एस0 डॉलर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा एवं परियोजना की कुल अवधि 6 वर्ष है।

22– महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

22.1 प्रदेश के 13 जनपदों में कुल 105 बाल विकास परियोजनायें हैं। जिसमें से 08 शहरी क्षेत्रों में 97 ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित है। परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 20069 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 1250 शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में 18819 केन्द्र संचालित है।

22.2 राज्य में वर्ष 2024–25 में 2983 अतिकुपोषित बच्चे चिन्हित हुए है, बच्चों में कुपोषण खत्म करने व महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार हेतु वर्ष 2024–25 में प्राविधानित 1351.10 करोड के सापेक्ष 488.87 करोड की धनराशि स्वीकृति की गयी जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक 430.00 करोड व्यय किया गया है।

22.3 कुक्ड फूड के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर माता समिति के माध्यम से पका भोजन (hot cooked meal) प्रदान किया जा रहा है।

22.4 राज्य पोषित मुख्यमंत्री महिला सतत् आजीविका योजना के अन्तर्गत उत्ततराखण्ड राज्य की निराश्रित, विधवा एवं निर्बल वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों को उनकी आजीविका में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुये स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जाना है।

22.5 "मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना" के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र के पंजीकृत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को फोर्टीफाईड सुगन्धित दूध पाउडर डेरी विकास विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

22.6 मानदेय सेवा पर कार्यरत आंगनवाड़ी

कार्यकत्री/मिनी कार्यकत्री/सहायिका को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा अवधि के आधार पर न्यूनतम तीस हजार अधिकतम चौवन हजार रुपये तक की धनराशि दी जा रही है। योजना के अन्तर्गत वर्तमान तक 1764 लाभार्थीयों को लाभन्वित किया गया है।

23– सतत् विकास

23.1 नीति आयोग ने वर्ष 2021 तथा 2022 में सूचकांक जारी नहीं किया और दो साल बाद वर्ष 2023 में एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स जारी किया है। उतराखण्ड वर्ष 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर दसवें स्थान पर, 2019 में नौवे स्थान पर, 2020 में चौथे स्थान पर और वर्ष 2023 में केरल के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है।

23.2 एस0डी0जी0 के प्रारम्भिक एस.डी.जी. इंडेक्स कंपेंडियम जो कि 2015–16 से 2020–21 के लिए तैयार किये गया, उसमें 12 एस0डी0जी0 तथा 36 एस0डी0जी0 उपलक्ष्यों की मूलभूत प्रगति लक्षित हुई।

24–खेल एवं युवा कल्याण

24.1 राज्य में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु तैयारियां व अवस्थापना सुविधाओं का सृजन किया जा रहा है।

24.2 खेलों इंडिया योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद में 02–02 खेल हेतु 'खेलों इण्डिया' सेन्टर संचालित किये जा रहे हैं।

24.3 08 से 14 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 150 बालक एवं 150 बालिका कुल 3900 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500/– छात्रवृत्ति एवं 14 से 23 वर्ष के राज्य के खिलाड़ियों हेतु मा0 मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के 100 बालक एवं 100 बालिकाओं कुल 2600 खिलाड़ियों को प्रतिमाह 2000/– छात्रवृत्ति दिये जाने के साथ ही 10000/– प्रति खिलाड़ी खेल उपकरण हेतु दिया जा रहा है।

24.4 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखण्ड में राजपत्रित/अराजपत्रित पदों पर आउट आफ टर्न सेवायोजन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है

24.5 खेल विभाग में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों के मानदेय में 78 प्रतिशत से 140 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है। जिन कॉन्ट्रैक्ट खेल प्रशिक्षकों को पूर्व में ₹ 5,000, ₹ 7,000, ₹ 10,000, ₹ 14,000, ₹ 17,000 एवं ₹ 20,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, उनको वर्तमान में क्रमशः ₹ 12,000, ₹ 15,000, ₹ 20,000, ₹ 25,000, ₹ 35,000 एवं ₹ 45,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है।

24.6 उत्तराखण्ड राज्य में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दिनांक 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 में जनपद के छः जनपदों (देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़) में किया जायेगा।

25–समाज कल्याण

25.1 परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों का संचालन के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग हेतु छात्र के अभिभावक की वार्षिक आय ₹ 2.00 लाख निर्धारित है। कोचिंग अवधि में वाह्य विद्यार्थियों को ₹ 1500 प्रतिमाह तथा स्थानीय विद्यार्थियों को ₹ 750 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिए जाने का प्राविधान है।

25.2 कक्षा 01 से 08 तक के अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों, जिनके माता–पिता की मासिक आय ₹ 2,000 तक हो, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 0.30 लाख धनराशि व्यय करते हुऐ वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में भुगतान हेतु अवशेष कुल 39 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।

25.3 दव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंगों की खरीद हेतु अधिकतम ₹ 3500 तक अनुदान या कृत्रिम अंग क्रय कर दिये जाने का प्राविधान था, योजनान्तर्गत शासन के पत्रांक 106

दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 द्वारा बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकतम धनराशि ₹ 7000.00 अथवा कृत्रिम अंग अनुदान का मूल्य, जो भी कम हो तथा जिले के सरकारी चिकित्सालयों द्वारा संस्तुति की गयी हो, अनुदान के रूप में प्रदान की जायेगी।

26–सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

26.1 राज्य के आई0टी0 अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु Cyber Crisis Management Plan (CCMP) एवं Critical Information Infrastructure (CII) Guidelines को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य में साईबर हमलों से निपटने के लिये Sectoral Cert एवं Cert-UTK का गठन किया गया है। साईबर हमलों से निपटने के लिये Ministry of Electronics & Information Technology (MeitY) के दिशा–निर्देशों के अनुसार Adjudicating Office का गठन प्रगति पर है,

26.2 स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

26.3 राष्ट्रीय ई–शासन योजना के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उत्तराखण्ड हेतु स्टेट डाटा सेंटर, अपणि सरकार पोर्टल, एस0एस0डी0जी0 एवं स्टेट पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर (सी0एस0सी0), स्वान परियोजनायें स्वीकृत की गयी थी।

26.4 वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर अपणि सरकार पोर्टल, ई–गेटपास सिस्टम, सी0एम0 डैश बोर्ड, ई–ऑफिस, सी0एस0आर0 पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के ऐप्लीकेशन्स एवं सर्वर, डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

26.5 अपणि सरकार पोर्टल (पूर्व में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना) के अन्तर्गत 73 विभागों की 886 नागरिक सेवाओं को विकसित एवं एकीकृत करते हुए "अपणि सरकार पोर्टल" के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में नागरिकों का Web Portal, Mobile Apps ई–डिस्ट्रिक्ट एवं CSC केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

27.–राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन

27.1 डिजिटल इण्डिया लैण्ड रिकार्ड माडर्नाईजेशन प्रोग्राम योजनान्तर्गत प्रदेश की कुल 128 तहसीलों/उप तहसीलों के सापेक्ष 77 तहसीलों में माडर्न रिकार्ड रूम की स्थापना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है,

27.2 एग्री स्टैक योजना अन्तर्गत प्रदेश में खतौनियों में संयुक्त खातेदारी के स्थान पर प्रत्येक खातेदार व सहखातेदार की अंश निर्धारित पृथक–पृथक रियल टाईम खतौनी व खसरा तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

27.3 राज्य के 7441 ग्रामों में स्वामित्व योजना की कार्यवाही अगस्त, 2022 में पूर्ण की जा चुकी है। जिसके अन्तर्गत 278229 स्वामित्व अभिलेख तैयार किये है, तथा हितबद्ध धारकों को स्वामित्व अभिलेख वितरण किया जा चुका है।

27.4 राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, भारत सरकार (एनडीएमए) ने उत्तराखंड में 13

संवेदनशील हिमनदी झीलों की पहचान की है, जिसमें से 05 झीलों को उच्च जोखिम वाली झीलों की श्रेणी में रखा गया है। यूएसडीएमए द्वारा प्रथम चरण में दिनांक 15 से 22 अक्टूबर, 2024 तक जनपद चमोली के वसुंधराताल का स्थलीय सर्वेक्षण/बैथीमेट्री कार्य सम्पन्न किया गया।

27.5 उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत IIT रूड़की के माध्यम से भूकम्प चेतावनी तंत्र विकसित किया गया है, जिसके अन्तर्गत राज्य में कुल 177 सेंसर तथा कुल 112 साइरन स्थापित किये गये हैं। उक्त तंत्र की सहायता से उत्तराखण्ड राज्य में 5 मैग्नीट्यूड से ऊपर भूकम्प आने पर भू–देव (BHU-DEV) ऐप एवं सायरन के माध्यम से आम–जनमानस को पूर्व चेतावनी उपलब्ध करायी जाती है।

27.6 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा बलियानाला भूस्खलन नैनीताल, ग्वाल गाँव भूस्खलन, धारचूला (पिथौरागढ़), ग्लोगी भूस्खलन, मसूरी मार्ग, देहरादून, हल्दापानी भूस्खलन चमोली, बहुगुणा नगर कर्णप्रयाग सर्वेक्षण तथा ग्लोगी पावरहाउस, देहरादून एप्रोच मार्ग पर भूस्खलन से संबंधित सुरक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं।

अध्याय–2
राज्य आय एवं लोक वित्त
State Income and Public Finances

भूमिका: सकल राज्य घरेलू उत्पाद जिसे सामान्यतः राज्य आय (State Income) के नाम से भी जाना जाता है, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड है। यह अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है –प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र। तीनों क्षेत्रों के आधार पर राज्य की अर्थव्यवस्था का आंकलन निम्नानुसार किया गया है:–

2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान :

राज्य अर्थव्यवस्था के खण्डवार विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2011–12 एवं 2024–25 अग्रिम अनुमान के अनुसार राज्य का कुल राज्य सकल मूल्य वर्द्धन (प्रचलित भाव पर) प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र का तुलनात्मक योगदान चार्ट 2.1.1 एवं 2.1.2 में दर्शाया गया है:–

चार्ट 2.1.1 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2011–12

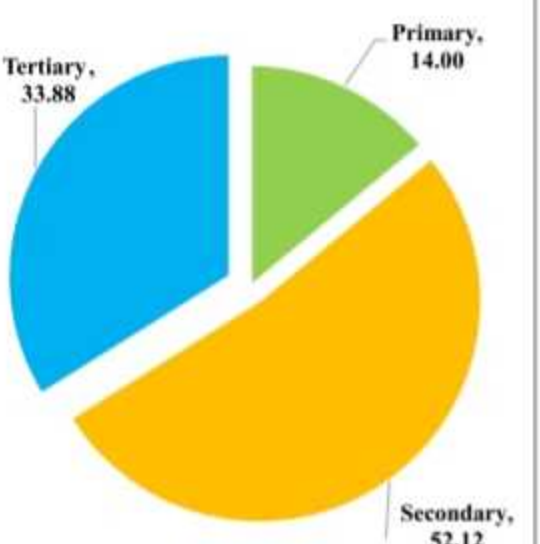

चार्ट 2.1.2 : अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों का योगदान प्रचलित भाव पर (प्रतिशत में) वर्ष 2024–25

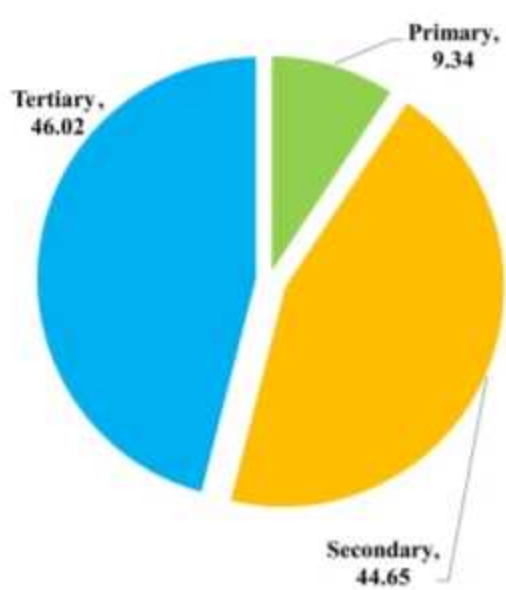

2.2 राज्य अर्थव्यवस्था की खण्डवार एवं उप–खण्डवार मूल्य वर्द्धन (Value Addition) एवं वृद्धि दरें :

वर्ष 2024–25 के अग्रिम अनुमान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के योगदान को निम्नानुसार तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है।

2.2.1 प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector): प्राथमिक क्षेत्र की विभिन्न मदों की चालू मूल्यों पर मद्वार उपलब्धियां (मूल्य वर्द्धन तथा वृद्धि दरें) तालिका–2.1 एवं चार्ट: 2.2 में प्रदर्शित है:–

तालिका–2.1

प्रचालित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के GDP के अनुमान तथा वृद्धि दरें

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. कृषि	11754	7.51	36.48
2. पशुपालन	8082	6.59	25.08
3. वानिकी एवं लठ्ठा बनाना	8070	4.38	25.04
4. मत्स्य पालन	153	12.53	0.48
5. खनन तथा उत्खनन	4166	10.03	12.93
कुल प्राथमिक क्षेत्र	**322225**	**6.82**	**100.00**

चार्ट 2.2 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

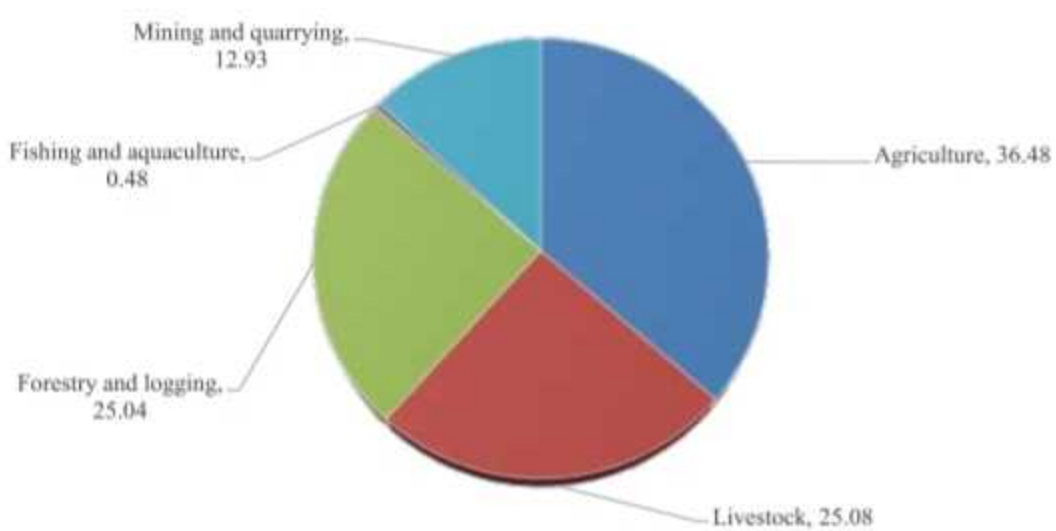

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत कृषि का योगदान सर्वाधिक 36.48 प्रतिशत रहा है।

2.2.2 द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector): द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, निर्माण तथा विद्युत, गैस, जल सम्पूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं सम्मिलित हैं। विनिर्माण के अन्तर्गत खाद्य, कपड़ा, लकड़ी, रबड़, आयरन व स्टील आदि विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण की आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2024–25 में द्वितीयक क्षेत्र की 15.50 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्राथमिक क्षेत्र के खनन् तथा उत्खनन् की आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सम्मल्लित करने पर औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भाव पर 15.35 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.2 एवं चार्ट 2. 3 में प्रदर्शित है:–

तालिका –2.2

प्राथमिक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2024–25		वर्ष 2024–25
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. विनिर्माण	90.238	12.07	58.56
2. विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	10.973	12.27	7.12
3. निर्माण	58.882	22.64	34.32
उप योग द्वितीयक क्षेत्र	**1,54,092**	**15.50**	**100.00**
औद्योगिक क्षेत्र	**1,58,258**	**15.35**	

चार्ट 2.3 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर द्वितीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

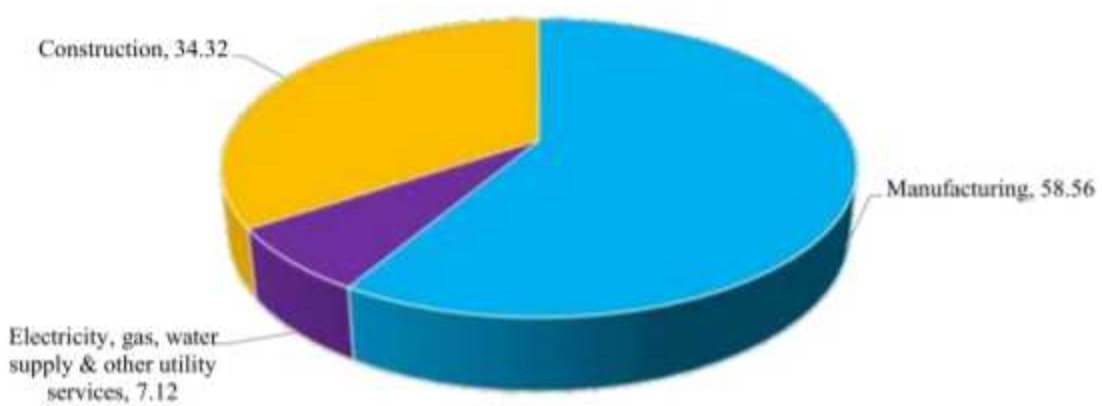

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर द्वितीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत विनिर्माण का योगदान सर्वाधिक 58.56 प्रतिशत रहा है।

2.2.3 तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector):

तृतीयक क्षेत्र में परिवहन, भण्डारण, संचार एवं प्रसारण सम्बन्धित सेवाएं व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, स्थावर सम्पदा, व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन तथा अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं। वर्ष 2024–25 में पुनरीक्षित अनुमानके अनुसार समग्र तृतीयक क्षेत्र में 10.78 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। प्रचालित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र के विभिन्न उप–खण्डों के मूल्य वर्द्धन के अनुमान तथा वृद्धि दरें तालिका–2.3 एवं चार्ट 2.4 मे प्रदर्शित है:–

तालिका –2.3

तृतीयक क्षेत्र	प्रचलित मूल्यों पर वर्श 2024–25		वर्श 2024–25
मदे	कुल मूल्य वर्द्धन (₹ करोड़ में)	वृद्धि दर (प्रतिशत में)	प्रतिशत अंश
1	2	3	4
1. परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवायें	29,965	11.32	18.87
2. व्यापार, होटल एवं जलपान गृह	60,594	8.64	**38.15**
3. वित्तीय सेवायें	11,031	14.74	**6.95**
4. स्थावर सम्पदा, अवास का स्वामित्व एवं व्यावसायिक सेवायें	19,325	12.09	**12.17**
5. लोक प्रशासन	14,817	14.76	**9.33**
6. अन्य सेवायें	23,080	10.42	**14.53**
उप योग तृतीयक क्षेत्र	**1,58,812**	**10.78**	**100.00**

चार्ट 2.4 : वर्ष 2024–25 में प्रचलित भावों पर तृतीयक क्षेत्र में उप क्षेत्रों का योगदान

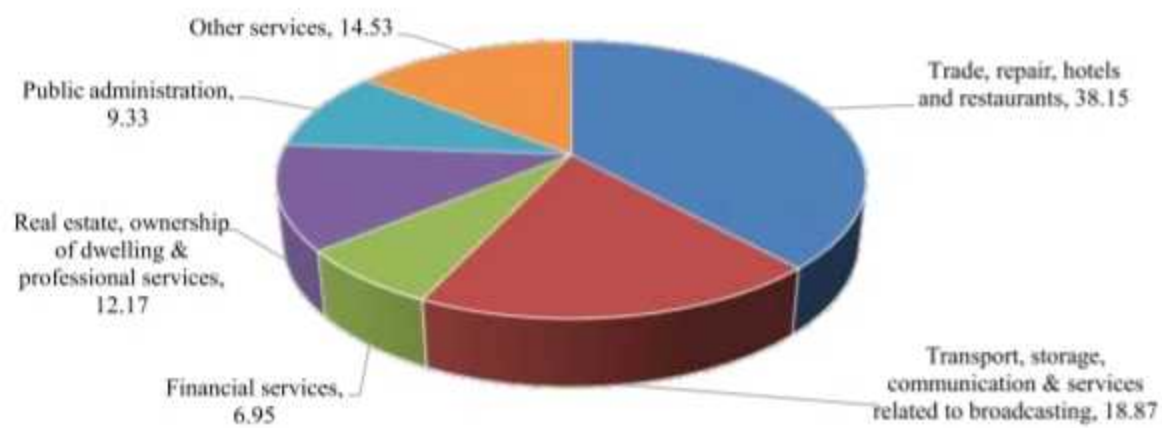

उक्तचार्ट के अनुसार वर्ष 2024–25 में प्रचलित मूल्यों पर तृतीयक क्षेत्र की उप मदों के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान सर्वाधिक 38.15 प्रतिशत रहा है।

2.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) Gross State Domestic Product (at Current Prices):

वर्ष 2024–25 के अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित भाव पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष 2023–24 (संशोधित) के ₹3,32,998 करोड़ की तुलना में ₹3,78,245 करोड़ अनुमानित है, जो कि 13.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान विनिर्माण (26.15%), व्यापार होटल एवं जलपान गृह (17.56%), निर्माण (15.32%), तथा परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण (8.68%) से संबंधित सेवा आदि आर्थिक गतिविधियों को जाता है। राज्य आय के अनुमान विभिन्न वित्तीय संस्थाओं, गैर वित्तीय संस्थाओं, सरकारी, निजी, गैर सरकारी उपक्रमों, स्थानीय निकायों, पारिवारिक उद्यमों आदि की आर्थिक गतिविधियों का आंकलन कर राज्य उत्पाद के आंकड़े तैयार किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वर्ष 2024–25 तक सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित भाव पर) निम्न चार्ट–2.5 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है:–

चार्ट 2.5 : प्रचलित भावों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (करोड़ रू0 में)

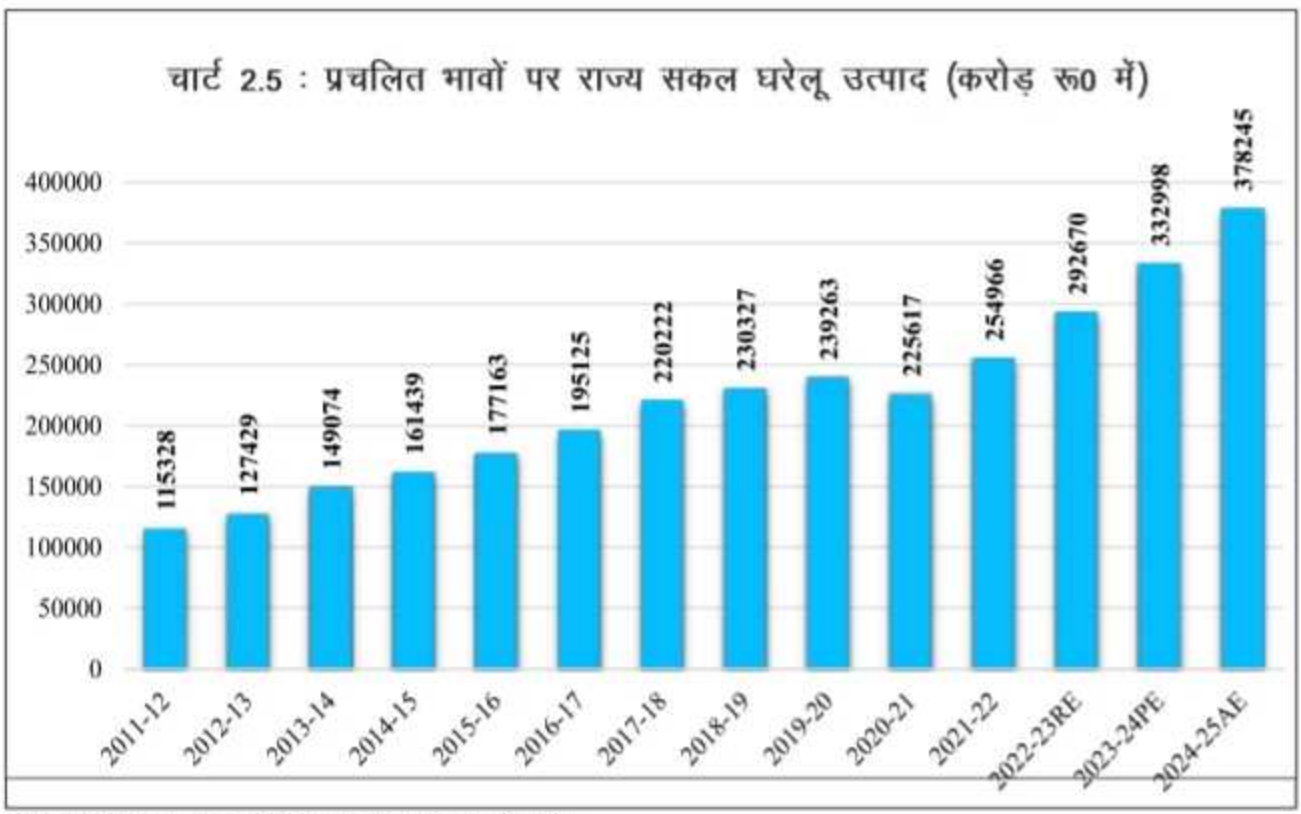

नोटः–वर्ष 2020–21, एवं वर्ष 2024–25 के अनुमान अनन्तिम हैं।
स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.5 स्थिर भावों पर आधार वर्ष 2011–12 के अनुसार वर्ष 2012–13 से 2024–25 तक की प्रदेश व देश की आर्थिक विकास दर चार्ट–2.6 में दर्शायी गई है:–

चार्ट 2.6 : आर्थिक विकास दर (स्थिर भाव पर)

नोटः–वर्ष 2020–21, एवं वर्ष 2024–25 के अनुमान अनन्तिम हैं।
स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.6 प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income):

राज्य निवल घरेलू उत्पाद (Net State Domestic Product) के आधार पर वर्ष 2024–25 अग्रिम अनुमानों में उत्तराखण्ड की प्रतिव्यक्ति आय प्रचलित भावों पर ₹ 2,74,064 अनुमानित है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ₹ 2,00,162 अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2023–24 (संशोधित) में अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिव्यक्ति आय ₹1,84,205 अनुमानित है जबकि उत्तराखण्ड राज्य की प्रतिव्यक्ति आय ₹2,46,178 अनुमानित है। वर्षवार प्रति व्यक्ति आय उत्तराखण्ड, हिमाचल एवं भारत का तुलनात्मक चार्ट 2.7 में दिखाया गया है–

चार्ट 2.7 : प्रति व्यक्ति आय का तुलनात्मक ग्राफ

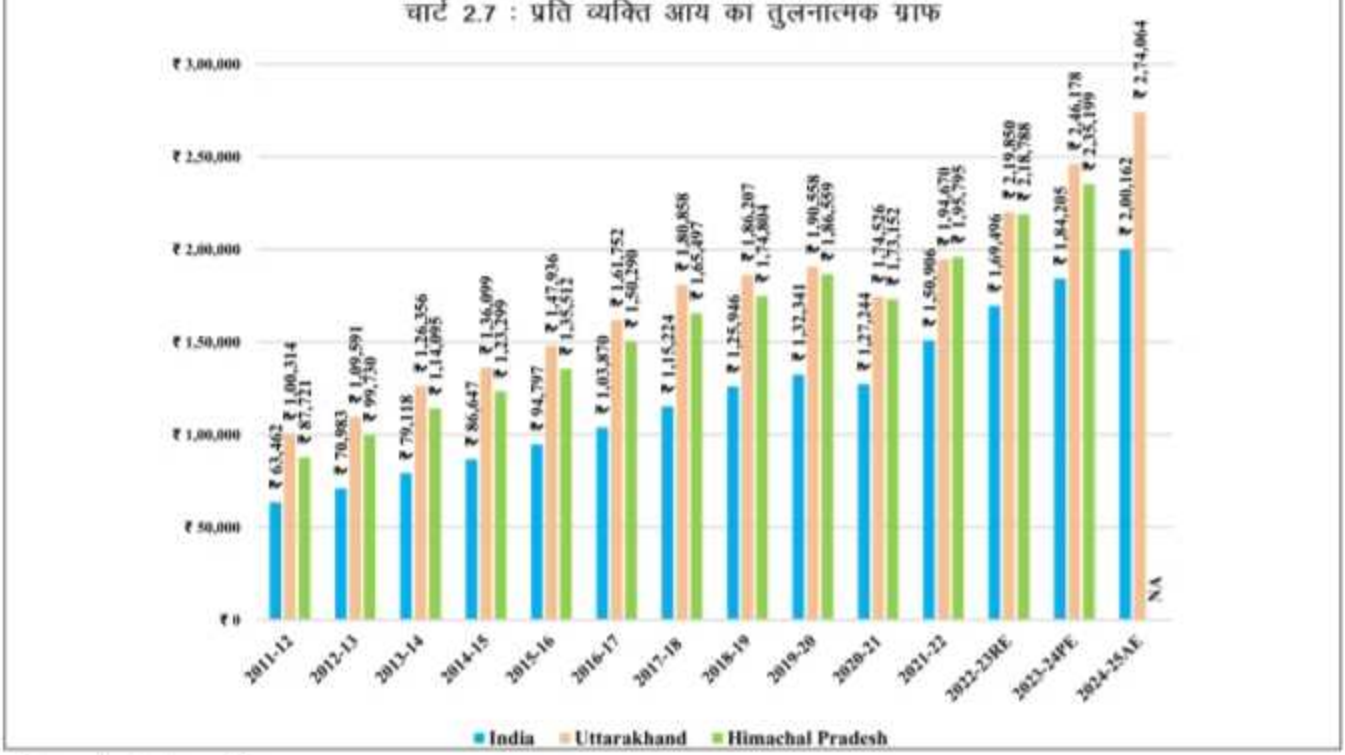

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

राज्य स्थापना के रजत जयन्ती वर्ष में राज्य की अर्थव्यवस्था में आये सकारात्मक परिवर्तन का तुलनात्मक विवरण :–

09 नवम्बर, 2000 को नवगठित किये गये 03 राज्य उत्तराखण्ड, झारखण्ड एवं छत्तीसगढ वर्ष 2025 में राज्य गठन की रजत जयन्ती मना रहे हैं। उत्तराखण्ड राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 2024–25 में वर्ष 2001–02 की तुलना में ₹15,826 करोड से बढकर ₹3,78,245 करोड अनुमानित है। वहीं दूसरी ओर राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो कि वर्ष 2001–02 में ₹16,232 थी, वर्ष 2024–25 में बढकर ₹2,74,064 होना अनुमानित है। उक्त के क्रम में तीनों राज्यों की अर्थव्यवस्था में आये सकारात्मक परिवर्तन को निम्न ग्राफों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है :–

1. अर्थव्यवस्था का आकारः–

चार्ट 2.8 : अर्थव्यवस्था के आकार का तुलनात्मक ग्राफ (करोड़ रु० में)

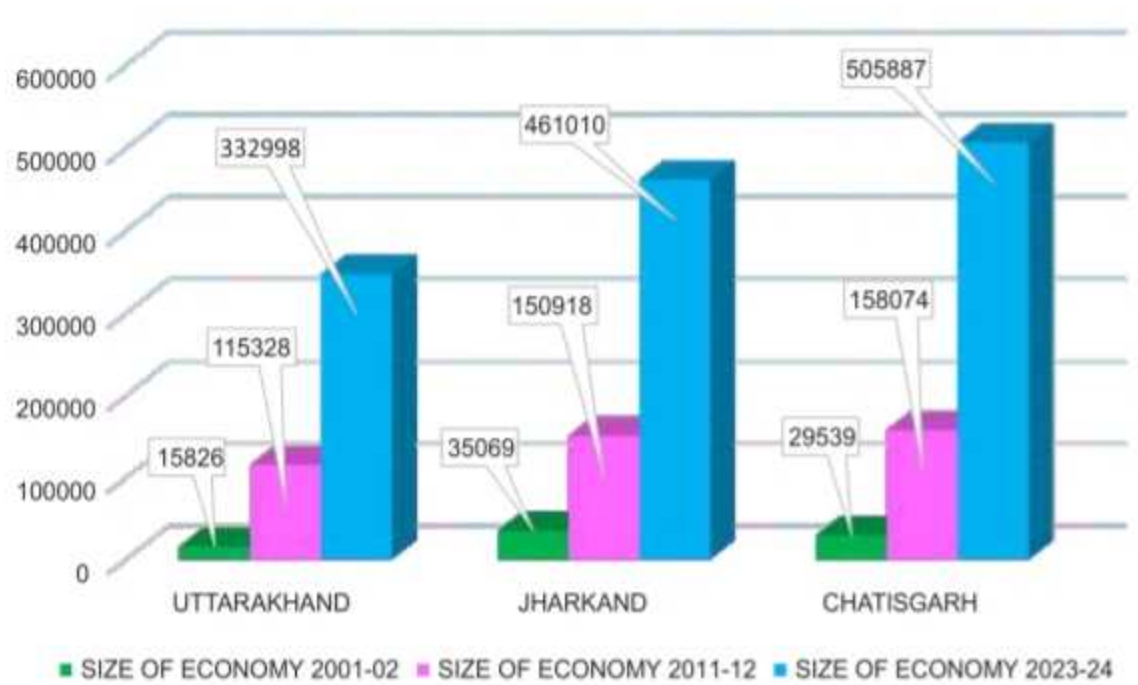

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2. प्रति व्यक्ति आय :–

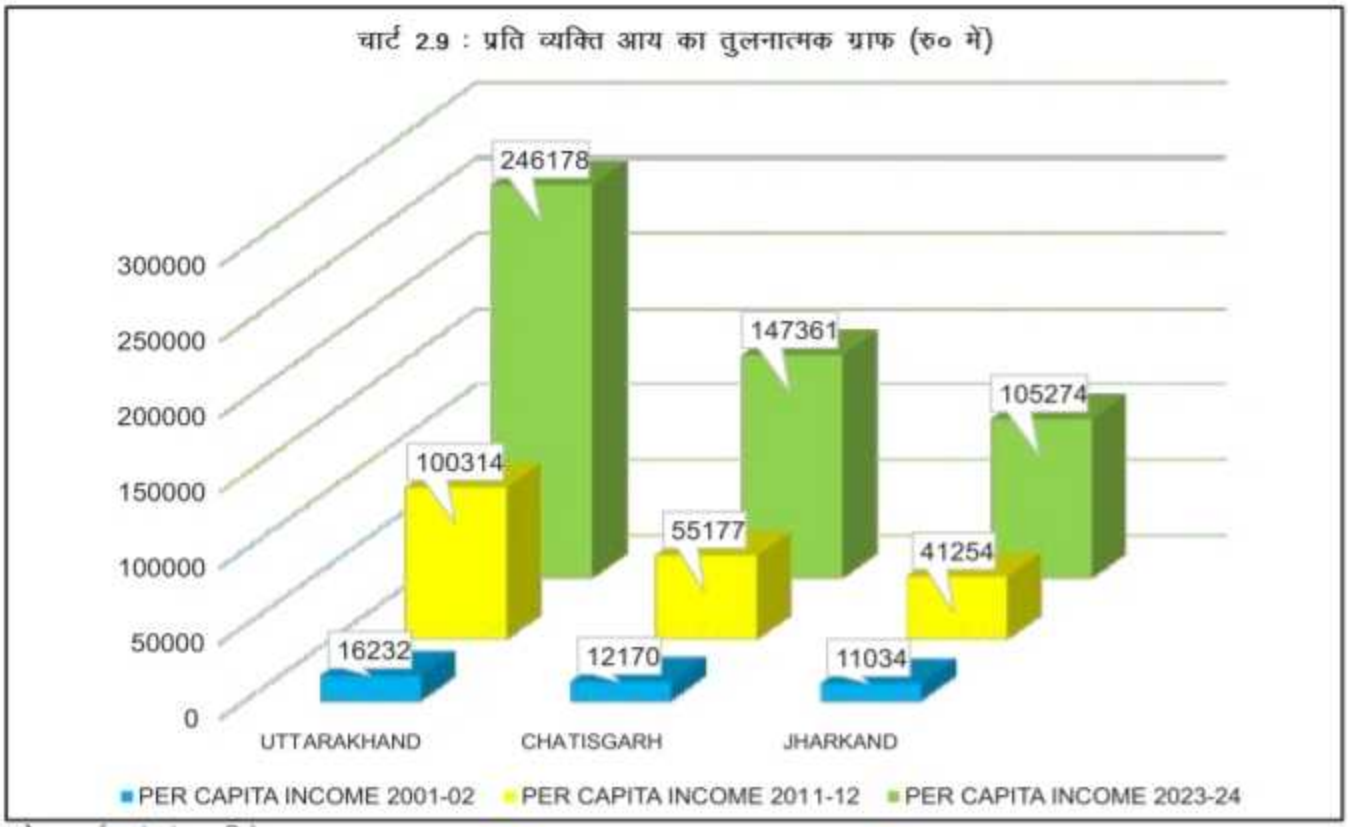

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

3. बजट डाटा :–

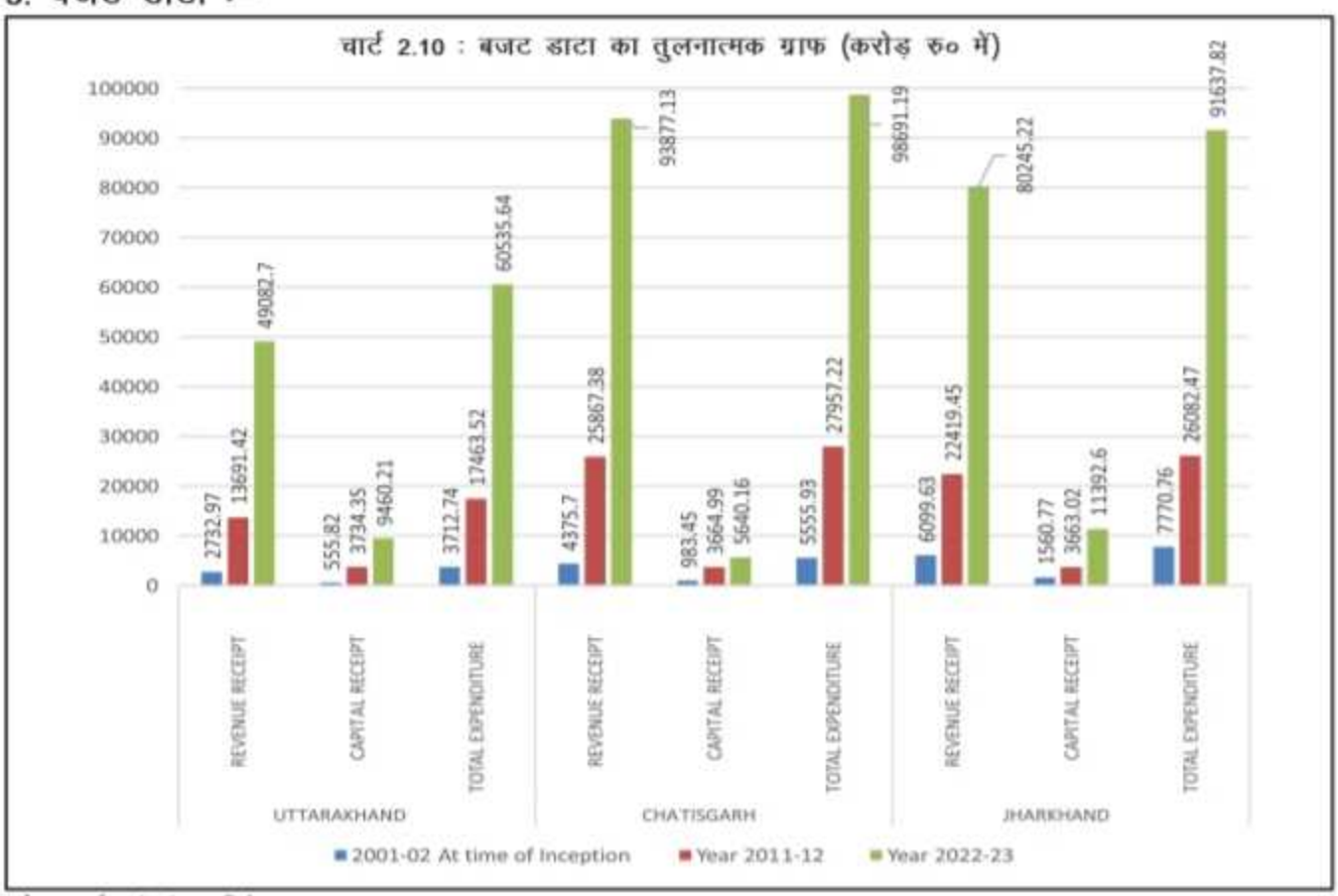

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

Government Budget Data

IN CRORES(Actual)

YEAR	2001-02 At time of Inception	Year 2011 -12	Year 2022 - 23	CAGR SINCE Inception	CAGR SINCE 2011-12
UTTARAKHAND					
REVENUE RECEIPT	2732.97	13691.42	49082.7	15.54	13.62
CAPITAL RECEIPT	555.82	3734.35	9460.21	15.23	9.74
TOTAL EXPENDITURE	3712.74	17463.52	60535.64	14.98	13.24
CHATISGARH					
REVENUE RECEIPT	4375.7	25867.38	93877.13	16.57	13.76
CAPITAL RECEIPT	983.45	3664.99	5640.16	9.13	4.41
TOTAL EXPENDITURE	5555.93	27957.22	98691.19	15.47	13.44
JHARKHAND					
REVENUE RECEIPT	6099.63	22419.45	80245.22	13.75	13.60
CAPITAL RECEIPT	1560.77	3663.02	11392.6	10.45	12.02
TOTAL EXPENDITURE	7770.76	26082.47	91637.82	13.13	13.39

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

लोक वित्त (Public Finance)

2.7 प्रशासन व विकासात्मक कार्यों के व्यय हेतु सरकार के मुख्य वित्तीय साधन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर, कर रहित राजस्व केन्द्रीय करों में भाग तथा केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान आदि हैं। वर्ष 2024–25 के बजट अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियां ₹60,552.90 करोड़ है जबकि वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार ₹54626.54 करोड़ है। राजस्व प्राप्तियां में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) अनुसार वर्ष 2023–24 की तुलना में 10.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.8 राजस्व प्राप्तियों में करों से कुल प्राप्त आय वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) के अनुसार ₹36146.47 करोड़ तथा वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) में ₹31968.43 करोड़ में आंकी गई है। राज्य कर वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में वर्ष 2023–24 (पुनरीक्षित अनुमान) की अपेक्षा 13.06 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित हैं।

2.9 राज्य के करेत्तर राजस्व जिसमें विशेष कर ब्याज प्राप्ति, ऊर्जा परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि से प्राप्त आय सम्मिलित हैं, वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹4873.38 करोड़ आंकी गयी हैं। जो कि वर्ष 2023–24में ₹4174.73 करोड थी।

2.10 केन्द्रीय करों में राज्य का भाग वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) मे ₹13637.15 करोड़ आंका गया हैं जो कि वर्ष 2023–24में ₹12348.25 करोड थी।

2.11 राज्य के स्वयं के कर राजस्व की मद में 2023–24 के पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में वर्ष 2024–25 (बजट अनुमान) में ₹2889.14 करोड़ की अधिक प्राप्ति अनुमानित है। जो कि पुनरीक्षित अनुमानों से लगभग 14.73 प्रतिशत अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः जी0एस0टी0 तथा वैट की मद में ₹1313.38 करोड, राज्य उत्पादन शुल्क की मद में ₹539.94 करोड़ की अनुमानित है।

2.12 वर्ष 2011–12 से 2023–24 तक राज्य का राजकोषीय घाटा व प्रारंभिक घाटा की तुलना राज्य सकल घरेलू उत्पाद (अर्थव्यवस्था आकार) के सापेक्ष निम्न चार्ट–2.9 के माध्यम से प्रस्तुत की गयी है:–

चार्ट 2.11 : राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष वर्षवार चित्रण

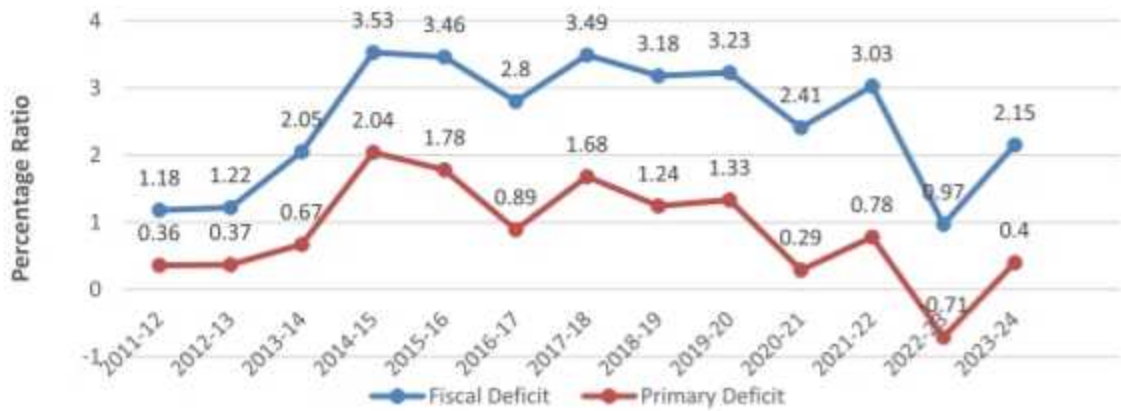

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.13 बजट विश्लेषणः– अर्थ एवं संख्या निदेशालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष विधानसभा से पारित बजट का विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण मात्र सरकारी क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्ञात करने के लिए नही किया जाता है, अपितु सरकार की विभिन्न स्रोत से आय तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों मे व्यय का भी विश्लेषण करता है। यद्यपि विधानसभा में प्रस्तुत बजट में भी उक्तानुसार वर्गीकरण किया जाता है किन्तु इस विश्लेषण के माध्यम से आय व व्यय को उनके उददेश्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया जाता है न कि मात्र लेखाशीर्षक अनुसार। विभिन्न राज्य स्तरीय अनुमान उदाहरणतः सकल स्थिर पूंजी निर्माण, पूंजी व्यय, कुल बजत आदि का ज्ञात बजट विश्लेषण के माध्यम से ही किया जाता है। अर्थ एवं संख्या द्वारा राज्य के बजट विश्लेषण में प्राप्तियों का विश्लेषण करते हुये मात्र राजस्व प्राप्तियो जोकि आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में लिया जाता है। इस विश्लेषण में पूंजीगत प्राप्तियों को – जोकि ऋणों की वसूली या उधार या अन्य देनदारियों के माध्यम से प्राप्त होती है, उक्त प्राप्तियों को ही विश्लेषण में नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार राज्य के व्यय विश्लेषण में ऋण भुगतान हेतु व्यय धनराशि को बजट विश्लेषण के दौरान ध्यान में नही लिया जाता है। सरकारी विभागों को प्रशासनिक इकाइयों व विभागीय उद्यमों मे वर्गीकृत किया जाता है। विभागीय उद्यमों में ऐसे विभाग जो सरकार को राजस्व प्रदान करते है, उदाहरणतः सिंचाई, वन निगम, स्टेशनरी व मुद्रण लीथो प्रेस सम्मलित है। शेष अन्य विभागों को प्रशासनिक इकायों में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2024–25 के बजट विश्लेषण अनुरूप विश्लेषणों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है।

2.14 प्राप्तियों का विश्लेषणः– चार्ट 1–3 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 व वर्ष 2024–25 में विभिन्न स्रोत से प्राप्त आय का विश्लेषण किया गया है। बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानको अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग दी जाती है। कोडिंग के आधार पर राज्य की प्राप्तियों को उत्पाद कर (Txt), गैर सरकारी निकायों से प्राप्त ब्याज (Into), शुल्क और विविध प्राप्तियॉ (Mr), आय व परिसंपत्ति पर कर (Txo), उत्पादन कर (Txn), संपत्ति कर (Pr), वस्तु व सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय (G), स्थानीय निकायों से ब्याज से प्राप्तियॉ (Intl), वाणिज्य प्राप्तियॉ (Cr), पुरानी वस्तुओं की विक्री से प्राप्तियॉ (Ssh), धन निकासी से प्राप्तियॉ (F), पेंशन से प्राप्तियॉ (Pn), भूमि की बिक्री से प्राप्तियॉ (SI), गैर

लाभकारी संस्थानों से प्राप्त हस्तांतरण (Tn), वित्तीय संपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियॉ (Sfa), केन्द्र सरकार से प्राप्त हस्तांत्रण (Tc) आदि मदों मे वर्गीकृत किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में प्राप्त राजस्व प्राप्तियों को चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य को सबसे अधिक प्राप्तियॉ केन्द्र सरकार से, उत्पाद कर से, आय व संपत्ति कर से व उत्पादन कर से हो रही है।

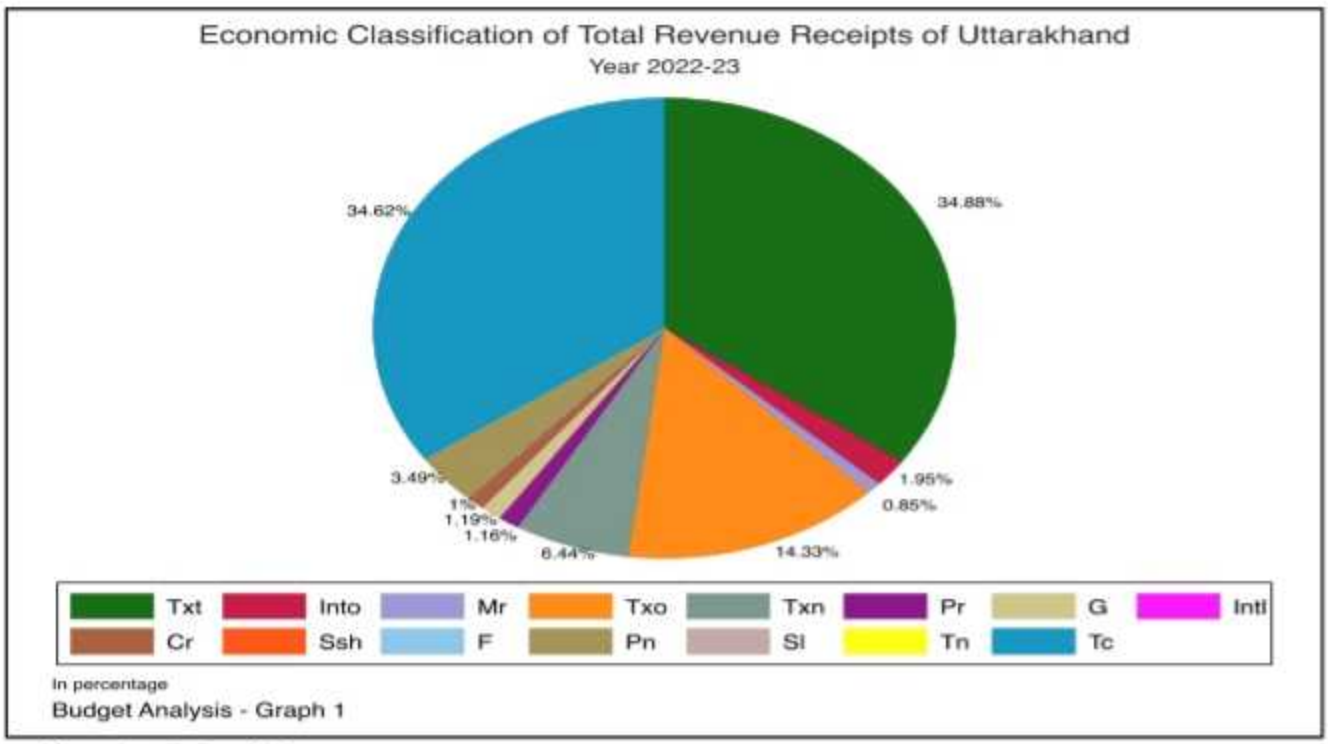

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

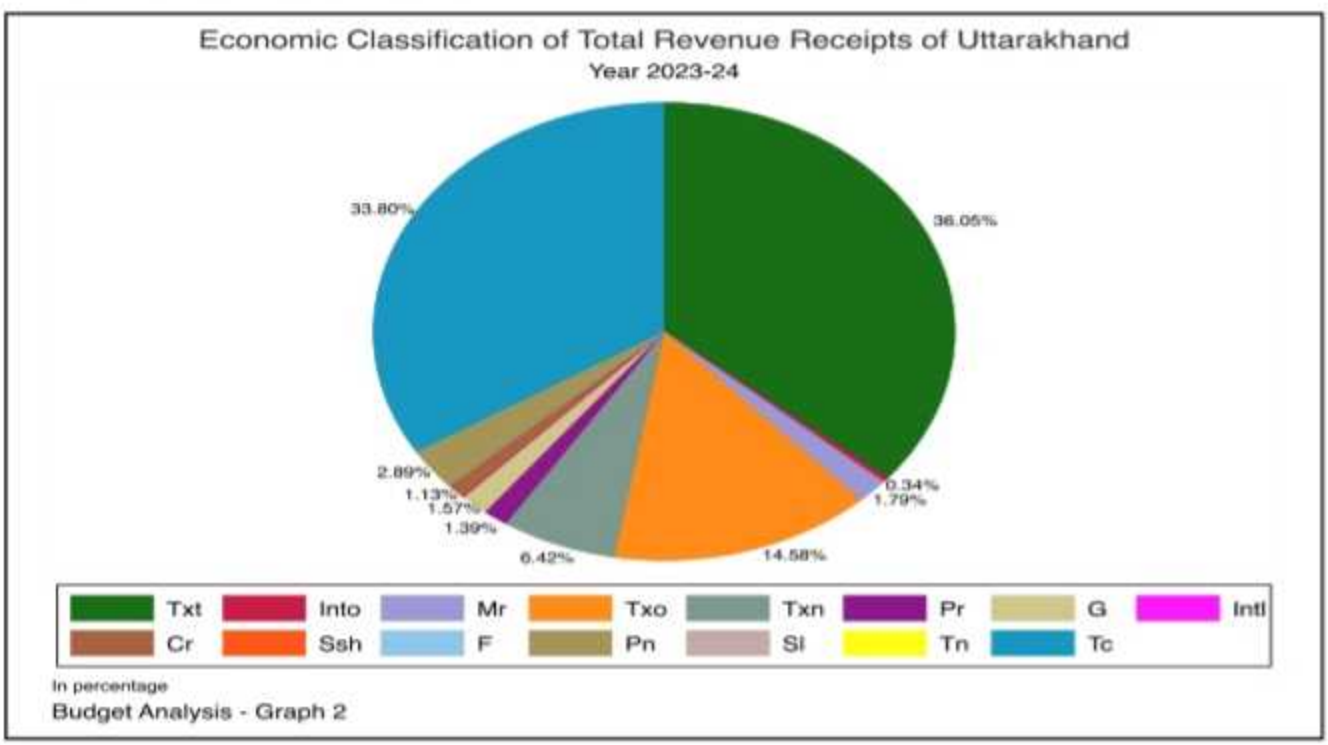

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

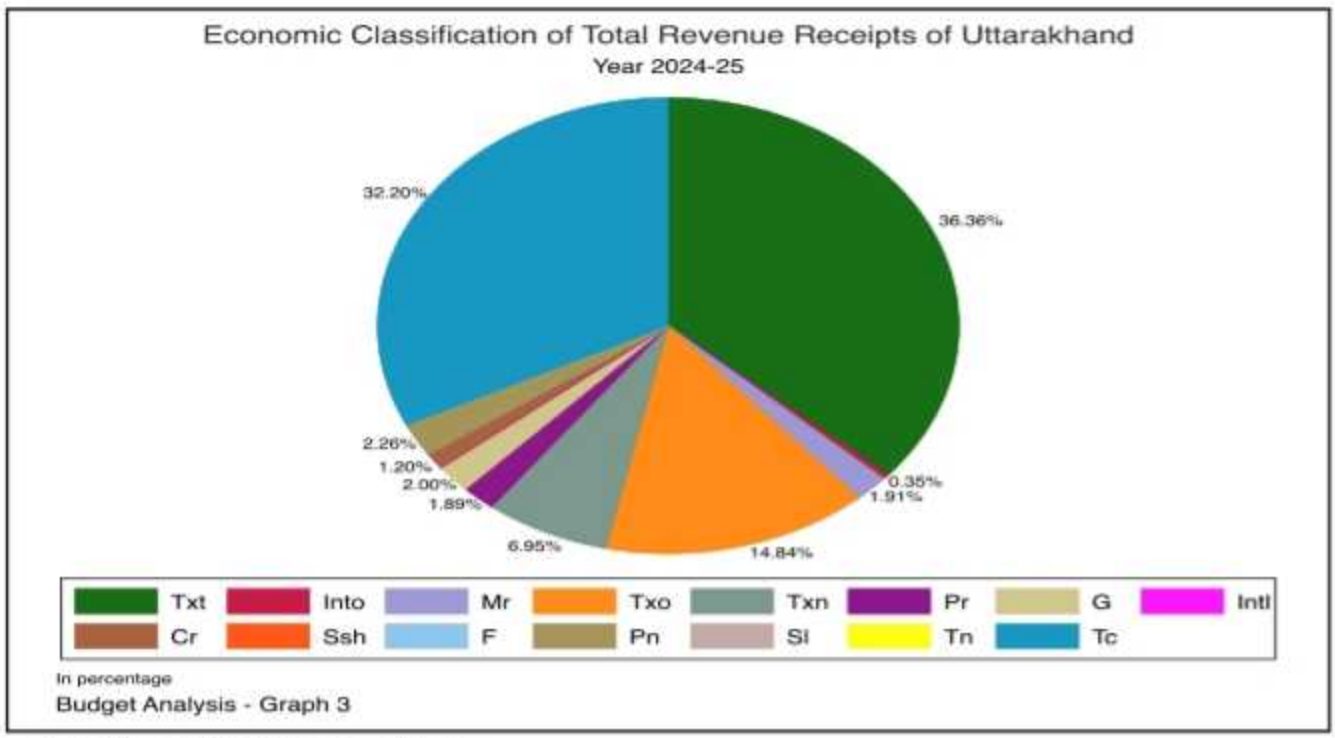

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

2.15 व्यय का विश्लेषणः— चार्ट 4–6 के माध्यम से राज्य को वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 में विभिन्न मदों में व्यय धनराशि का विश्लेषण किया गया है। बजट विश्लेषण में राष्ट्रीय मानको अनुरूप, प्रत्येक बजट प्राप्तियों को उसकी आर्थिक व उद्देश्य की गतिविधि अनुसार उचित आर्थिक कोडिंग व उद्देश्य अनुरूप कोडिंग प्रदान की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण में व्यय का विश्लेषण करते हुये, मात्र प्रशासनिक इकाइयों को लिया गया है। चार्ट 7–9 के माध्यम से वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 व वर्ष 2024–25 मे व्यय का विश्लेषण आर्थिक आधार से दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का आर्थिक आधार पर चिन्हांकन करते प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को कर्मचारियों के पारिश्रमिक हेतु व्यय (CoE), सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय (GCF), मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय (IC), पूंजी हस्तांतरण हेतु व्यय (Trnfr), फन्ड हेतु व्यय (F), वित्तीय परिसंपत्तियो की खरीदारी हेतु व्यय (PFA), कर्ज पर ब्याज हेतु भुगतान पर व्यय (Int. Paid), सब्सिडी हेतु व्यय (Subs), गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम हेतु व्यय (Advance) मदों में विभाजित किया जाता है। उक्त वर्गीकरण के आधार पर वर्ष 2022–23, 2023–24 व 2024–25 में व्यय धनराशि को चार्ट 2.21 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा सबसे अधिक धनराशि कर्मचारियों के पारिश्रमिक व पूंजी हस्तांतरण मे व्यय हो रही है। पूंजी हस्तांतरण में अनुदान के रूप में अन्य संस्थाओं व व्यक्ति विशेष को दी जानी वाली धनराशि को सम्मल्लित किया गया है। उदाहरणार्थ छात्रवृत्ति, समाज कल्याण हेतु वितरित पेशन, स्वायत्त संस्थाओं व स्थानीय निकायों को हस्तांतरित धनराशि आदि। चार्ट 2.22 के माध्यम से वर्ष 2022–23, वर्ष 2023–24 व वर्ष 2024–25 मे व्यय का विश्लेषण उद्देश्यवार दर्शाये जाने का प्रयास किया गया है। व्यय का उद्देश्यवार चिन्हांकन करते हुये, प्रत्येक व्यय की प्रविष्टियों को सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा सम्बन्धी सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक और कल्याण सेवाओं, आर्थिक सेवाओं, पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सेवाओं, ब्याज पेंशन और निधि संबंधी सेवाओं और अन्य सेवाओं में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सेवाओं में बाढ़ राहत, सूखा राहत व अन्य प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय धनराशि को सम्मल्लित किया जाता है।

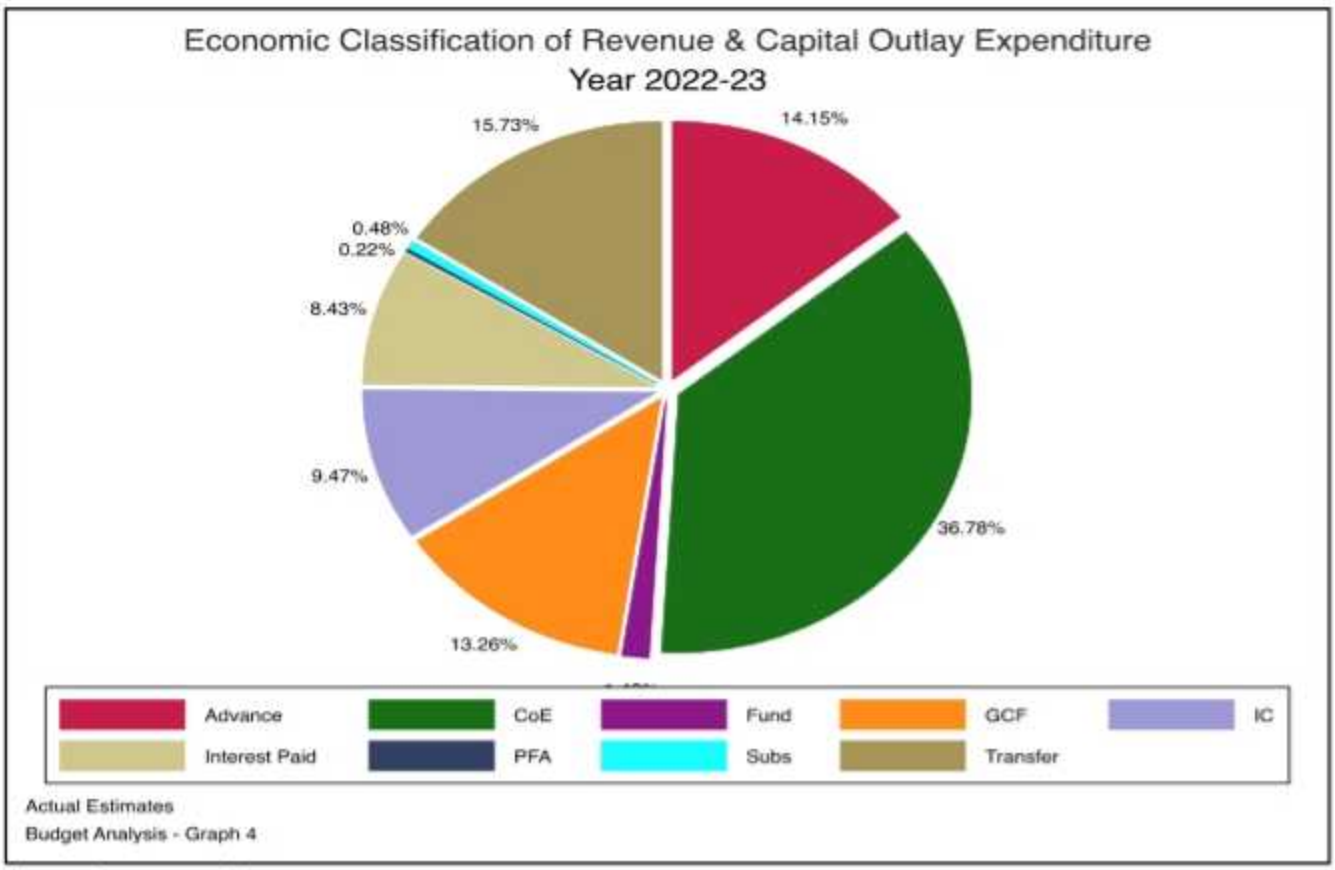

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

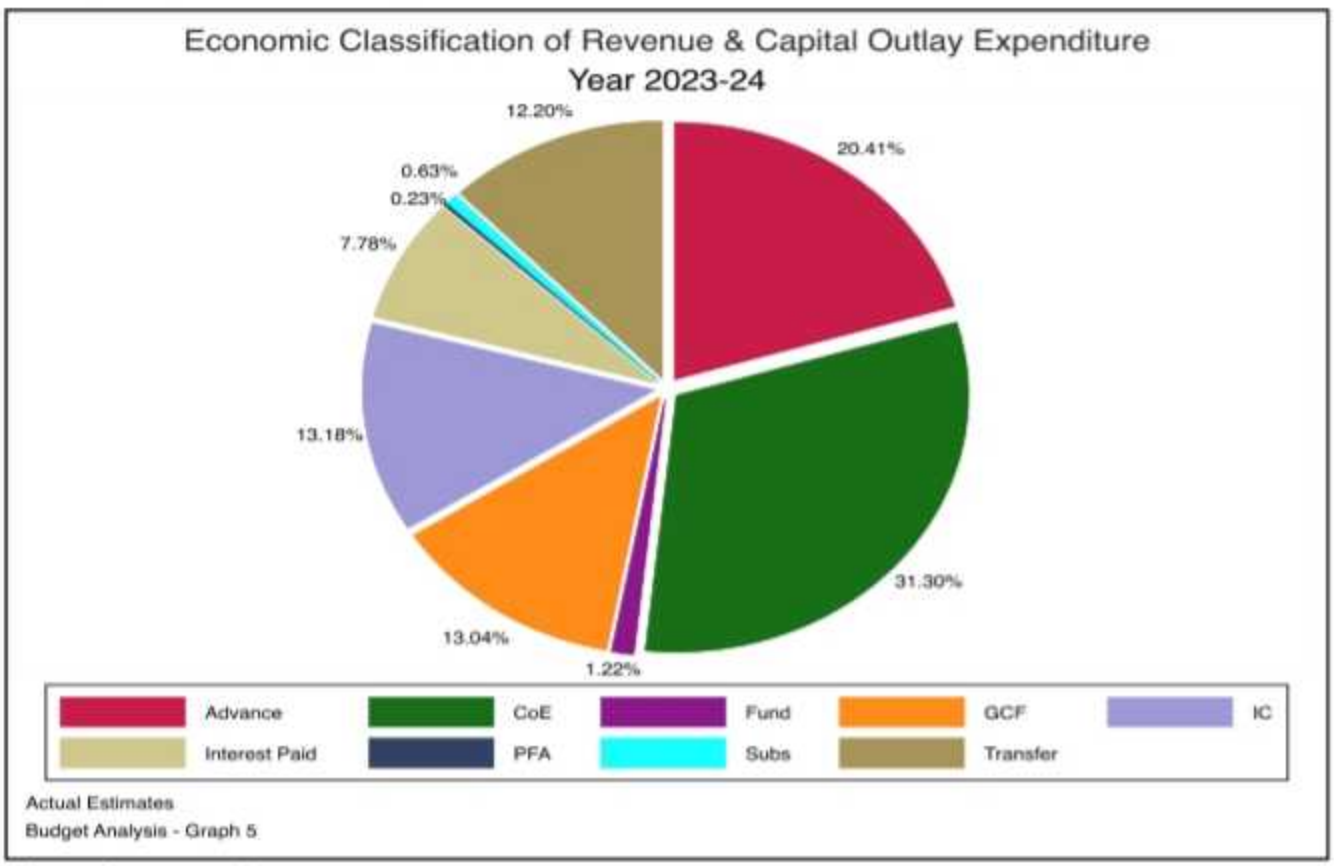

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

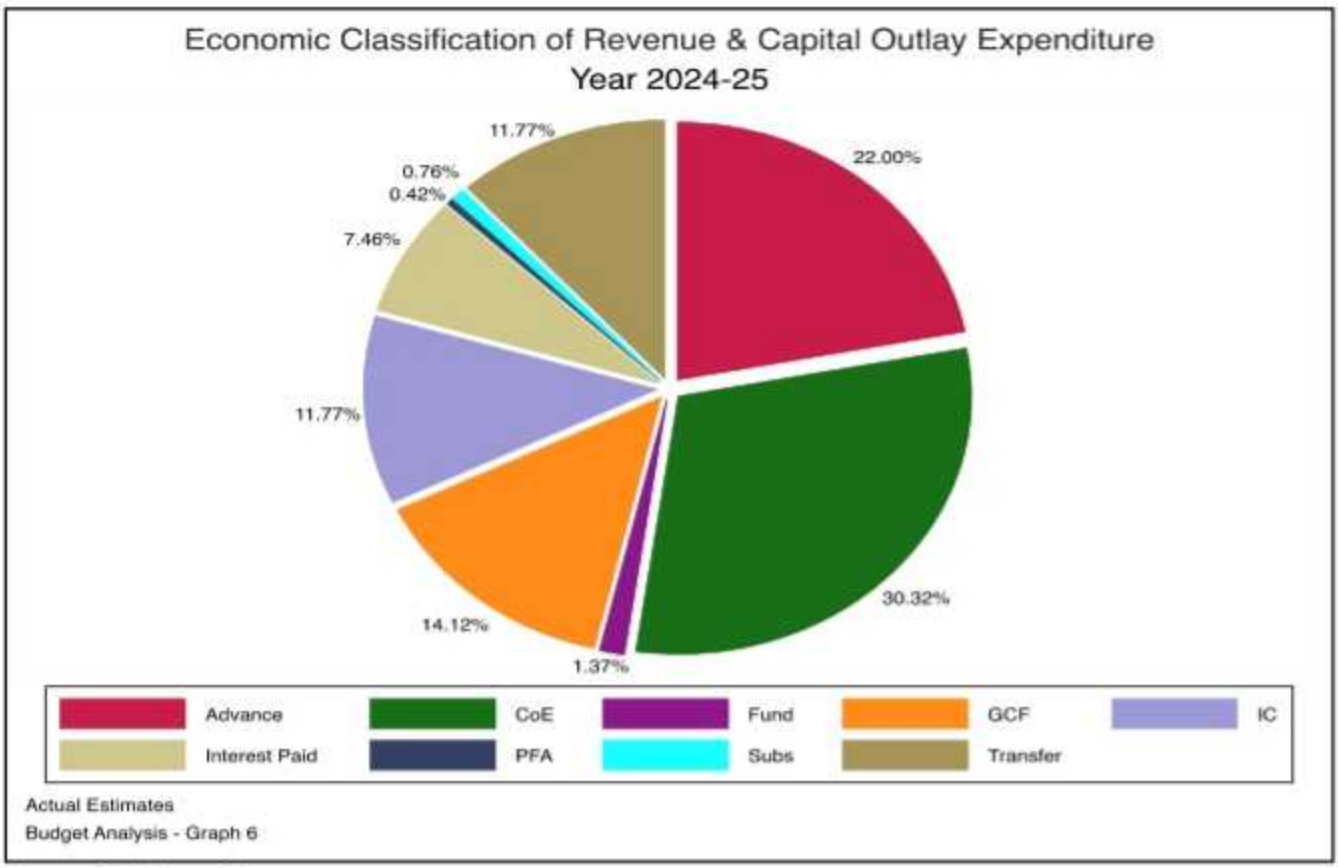

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

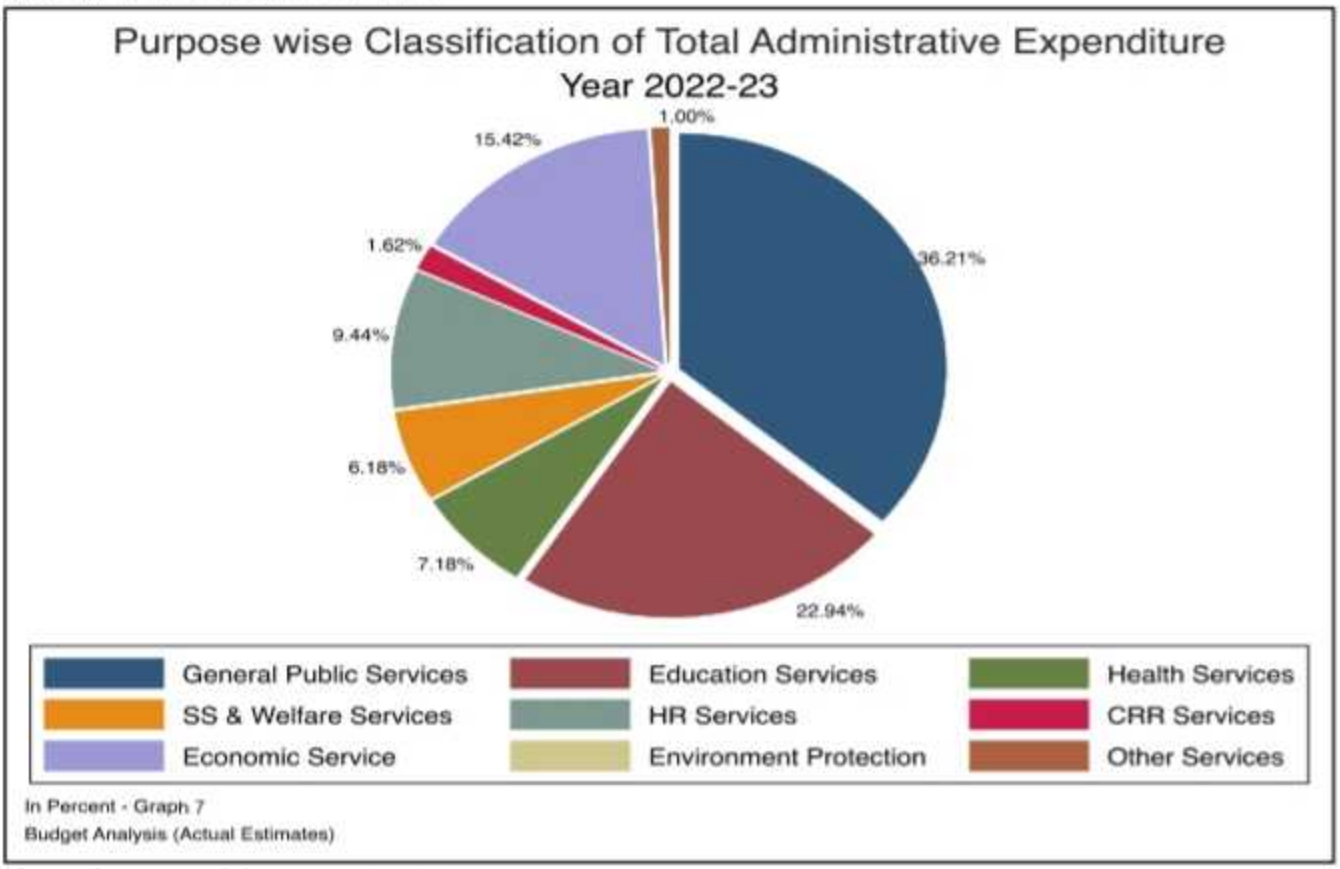

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

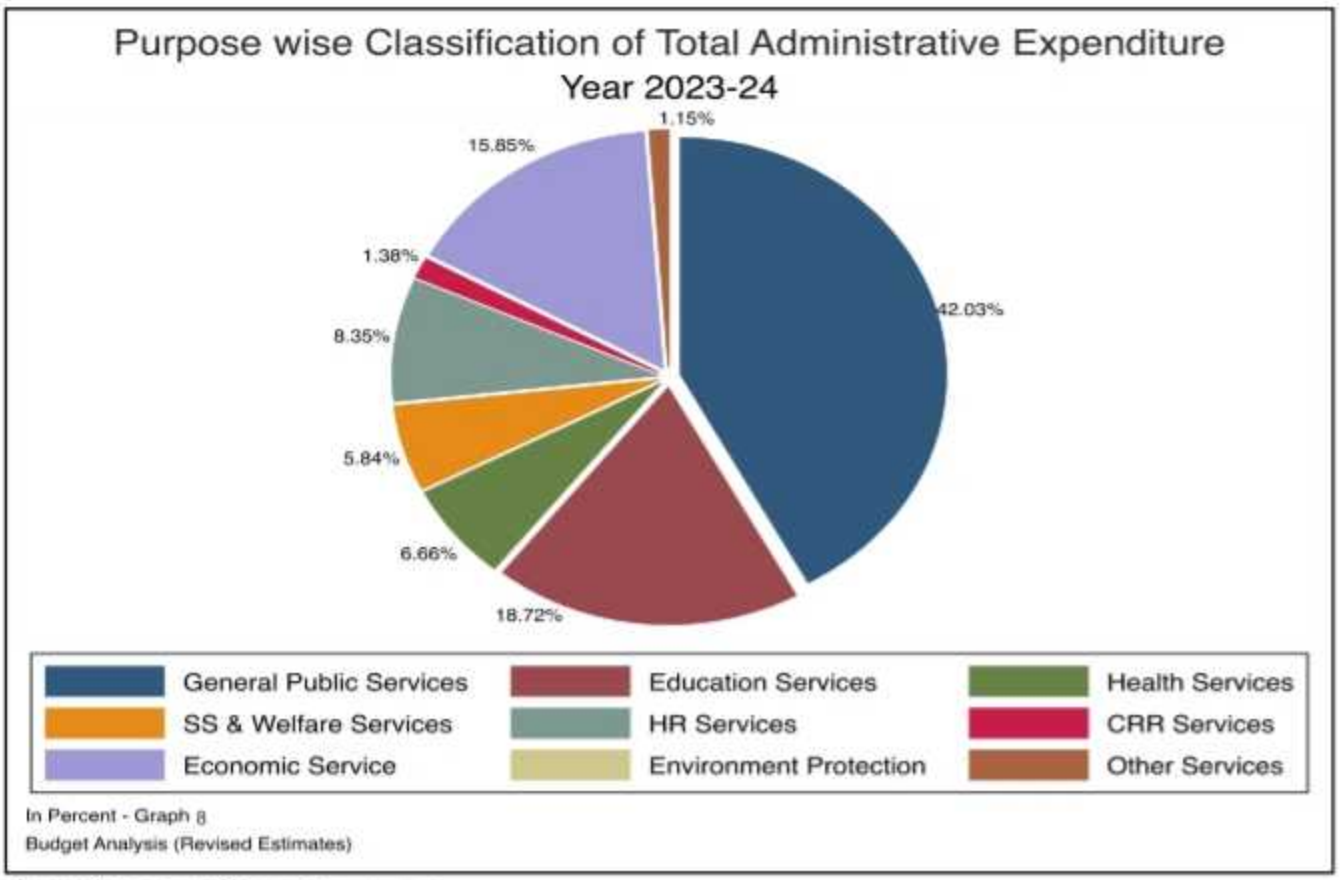

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

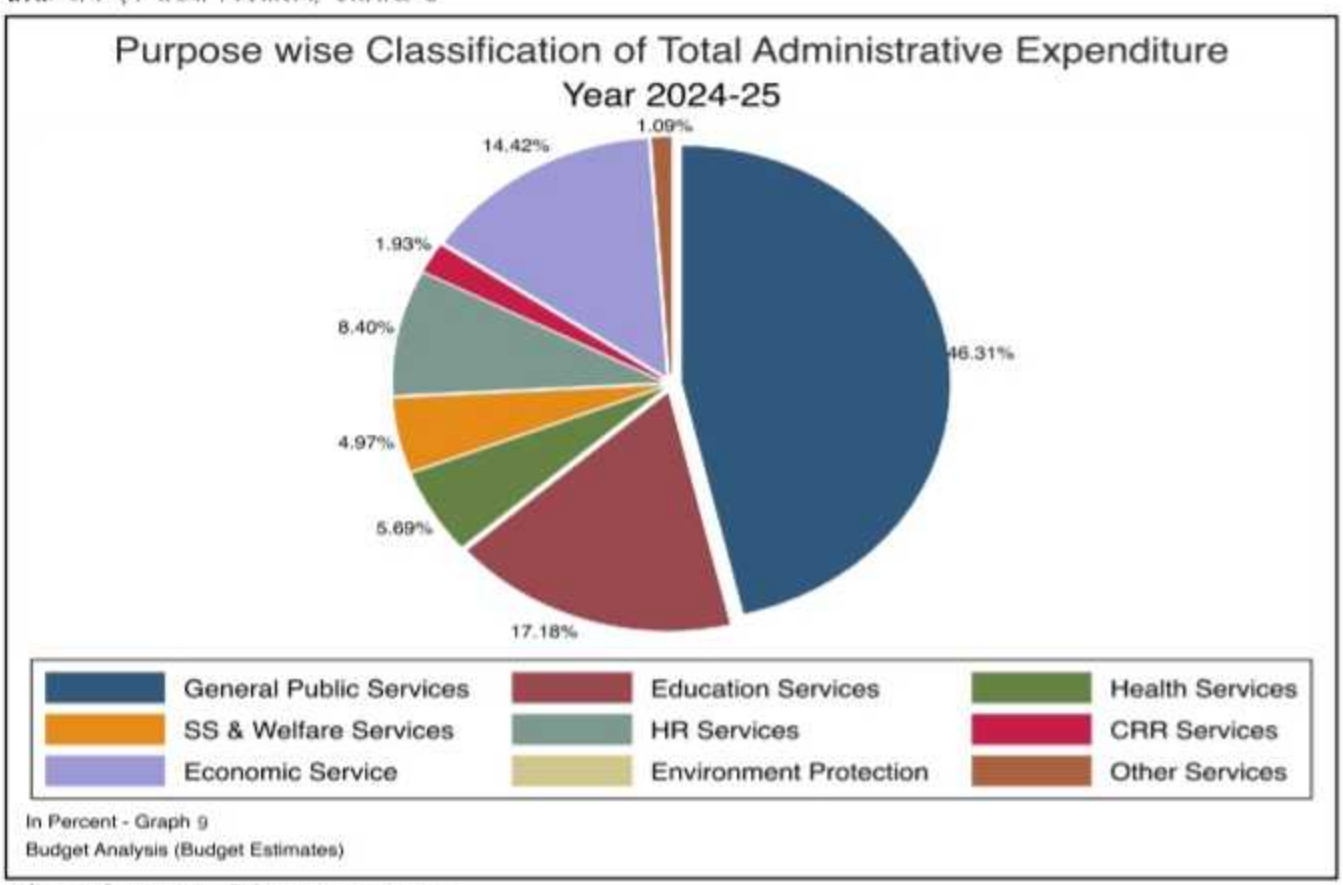

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

अध्याय–3
कराधान
Taxation

राज्य कर (State Tax)

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड राज्य के वित्त विभाग के अन्तर्गत कार्य करता है। राज्य की सकल प्राप्तियों में माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) तथा मूल्यवर्धित कर (वैट) का योगदान लगभग 50 प्रतिशत होने के कारण यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है।

3.1 कर संग्रहः– दिनांक 09 नवम्बर, 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000–2001 में प्राप्त कर संग्रह ₹233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2023–24 तक लगभग 48 गुना बढ़कर ₹11,288.90 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) हो गया है। वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक कुल राजस्व संग्रह ₹8,875.42 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) रहा है। इसे चार्ट–3.1 में दर्शाया गया है–

चार्ट–3.1

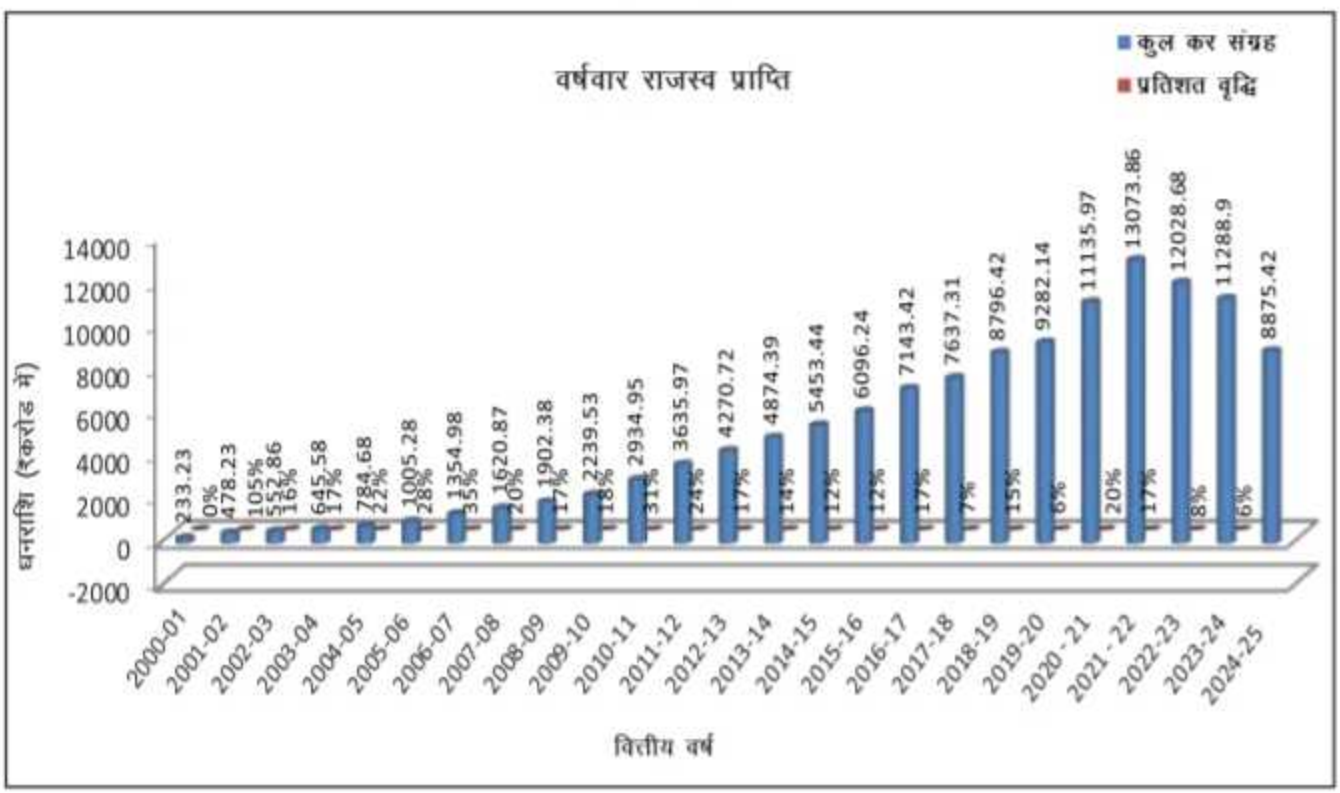

3.2 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹6,660.71 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व अर्जित किया गया था, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में (पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये) माह दिसम्बर, 2024 तक विभाग द्वारा कुल ₹6,938.61 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर की धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है, जिसे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.1

गत वर्ष के सापेक्ष पेट्रोलियम प्रोडक्ट एवं नैचुरल गैस तथा शराब पर प्राप्त कर को छोड़ते हुये राजस्व प्राप्तियां (SGST)

(धनराशि ₹करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24									वर्ष 2024–25									
	VAT Arear	SGST	माह में प्राप्त IGST Settelement	Advance apportionment From IGST	योग (1+2+3)	कुल GST वापसी (Refund)	कुल जमा(4+5)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि सहित	कुल प्राप्त राजस्व (6+7)	VAT Arear	SGST	माह में प्राप्त IGST Settlement	Advance apportionment From IGST	योग (1+2+3)	कुल GST वापसी (Refund)	कुल जमा (4+5)	प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रतिकर धनराशि सहित	कुल प्राप्त राजस्व (6+7)	गत वर्ष के सापेक्ष कमी/वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
अप्रैल	2.81	554.33	301.17	0	858.31	-17.28	841.03	0	841.03	3.53	636.26	280.76	0.0	920.55	-15.26	905.29	0	905.29	8%
मई	-1.26	411.49	254.14	0	664.37	-17.95	646.42	0	646.42	-5.03	475.89	237.76	0.0	708.62	-18.21	690.41	0	690.41	7%
जून	3.22	438.6	221.64	0	663.46	-23.24	640.22	0	640.22	0.32	472.33	237.51	0.0	710.16	-24.85	685.31	0	685.31	7%
जुलाई	2.36	415.18	210.15	0	627.69	-5.07	622.62	0	622.62	0.17	490.49	324.65	0.0	815.31	-14.06	801.25	0	801.25	29%
अगस्त	5.93	382.06	254.87	0	642.86	-9.79	633.07	0	633.07	2.95	432.22	291.63	0.0	726.8	-27.27	699.53	55.82	755.35	19%
सितम्बर	26.82	387.27	223.65	0	637.74	-15.6	622.14	476.62	1098.76	-0.13	399.73	275.37	0.0	674.97	-33.18	641.79	0	641.79	-42%
अक्टूबर	4.84	550.34	285.53	0	840.71	-25.49	815.22	0	815.22	1.62	485.96	308.75	0.0	796.33	-11.64	784.69	0	784.69	-4%
नवम्बर	-0.76	485.55	209.58	0	694.37	-33.26	661.11	0	661.11	1.54	521.67	404.19	0.0	927.4	-29.75	897.65	0	897.65	36%
दिसम्बर	18.07	421.38	280.71	0	720.16	-17.9	702.26	0	702.26	-1.21	439.24	363.13	0.0	801.16	-24.29	776.87	0	776.87	11%
योग	**62.03**	**4046.2**	**2241.44**	**0**	**6349.67**	**-165.58**	**6184.09**	**476.62**	**6660.71**	**3.76**	**4353.79**	**2723.75**	**0.00**	**7081.30**	**-198.51**	**6882.79**	**55.82**	**6938.61**	**4%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.3 राज्य कर विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखे गये वस्तुओं (पेट्रोल, डीजल, ए0टी0एफ0 एवं नैचुरल गैस तथा शराब) पर माह दिसम्बर, 2023 तक कुल ₹1,836.12 करोड़ का राजस्व अर्जित किया गया है, जबकि इसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक उक्त वस्तुओं पर कुल ₹1,936.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जिसे तालिका–3.2 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.2

राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्राप्त कुल राजस्व (Non-GST) (धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	212.18	223.28	5.23%
मई	201.62	223.30	10.75%
जून	223.21	245.86	10.15%
जुलाई	229.50	240.66	4.86%
अगस्त	179.50	193.83	7.98%
सितम्बर	179.21	194.06	8.29%
अक्टूबर	189.10	181.37	-4.09%
नवम्बर	212.65	215.24	1.22%
दिसम्बर	209.15	219.22	4.81%
योग	**1836.12**	**1936.82**	**5.48%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.4 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर तक) में प्राप्त कर संग्रह की स्थिति को सारणी–3.3 में दर्शाया गया है। तालिका 3.3 से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक विभाग को कुल ₹8,496.82 करोड़ (₹476.62 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) राजस्व प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक विभाग द्वारा ₹8,875.42 करोड़ (₹55.82 करोड़ प्रतिकर धनराशि सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया है।

तालिका 3.3

राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा माहवार प्राप्त कुल राजस्व (GST+Non GST+Compensation) का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	1053.21	1128.57	7.16%
मई	848.04	913.71	7.74%
जून	863.42	931.17	7.85%
जुलाई	852.12	1041.91	22.27%
अगस्त	812.57	949.18	16.81%
सितम्बर	1277.97	835.85	-34.60%
अक्टूबर	1004.32	966.06	-3.8%
नवम्बर	873.76	1112.88	27.37%
दिसम्बर	911.41	996.09	9.29%
योग	**8496.82**	**8875.42**	**4.46%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.5 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं पर कर संग्रह :–

3.5.1 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (पेट्रोल व डीजल) पर कर संग्रह का विवरण तालिका– 3.4 में दर्शाया गया है–

तालिका 3.4

पेट्रोल–डीजल पर प्राप्त कर का विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24			वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)			वृद्धि / कमी का प्रतिशत		
	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (2+3)	पेट्रोल पर प्राप्त कर	डीजल पर प्राप्त कर	पेट्रोल एवं डीजल पर प्राप्त कर (5+6)	पेट्रोल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी / वृद्धि का प्रतिशत	डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी / वृद्धि का प्रतिशत	पेट्रोल एवं डीजल पर गत वर्ष के सापेक्ष कमी / वृद्धि का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
अप्रैल	63.49	103.20	166.69	70.21	110.50	180.71	10.58%	7.07%	8.41%
मई	63.92	112.04	175.96	72.80	111.46	184.26	13.89%	-0.52%	4.72%
जून	73.82	119.27	193.09	81.46	124.84	206.30	10.35%	4.67%	6.84%
जुलाई	80.81	115.52	196.33	85.25	119.15	204.40	5.49%	3.14%	4.11%
अगस्त	63.55	86.35	149.90	72.43	90.52	162.95	13.97%	4.83%	8.71%
सितम्बर	65.65	84.53	150.18	77.34	86.61	163.95	17.81%	2.46%	9.17%
अक्टूबर	68.90	92.28	161.18	69.79	80.57	150.36	1.29%	-12.69%	-6.71%
नवम्बर	72.66	110.94	183.6	78.42	102.15	180.57	7.93%	-7.92%	-1.65%
दिसम्बर	71.06	103.51	174.57	80.30	102.14	182.44	13.00%	-1.32%	4.51%
योग	**623.86**	**927.64**	**1551.50**	**688.00**	**927.94**	**1615.94**	**10.28%**	**0.03%**	**4.15%**

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.5.2 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (शराब) पर कर संग्रह का विवरण तालिका–3.5 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.5

शराब पर प्राप्त कर

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह का नाम	वर्ष 2023–24 शराब पर प्राप्त कर	वर्ष 2024–25(दिसम्बर 2024 तक) शराब पर प्राप्त कर	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)
अप्रैल	41.92	38.90	-7.20%
मई	21.87	35.25	61.18%
जून	26.69	34.87	30.65%
जुलाई	29.36	31.09	5.89%
अगस्त	26.58	26.46	-0.45%
सितम्बर	25.50	25.69	0.75%
अक्टूबर	24.98	26.51	6.12%
नवम्बर	25.15	30.06	19.52%
दिसम्बर	30.86	32.44	5.12%
योग	**252.91**	**281.27**	**11.21%**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.5.3 राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 की परिधि से बाहर रखी गयी वस्तुओं (**नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल**) पर कर संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.6 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.6

नैचुरल गैस एवं एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर (धनराशि ₹ करोड़ में)						
माह का नाम	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिसम्बर 2024 तक)	वृद्धि / कमी का प्रतिशत
	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर	नैचुरल गैस पर प्राप्त कर		एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	एवियेशन टरबाईन फ्यूल पर प्राप्त कर	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
अप्रैल	3.14	3.27	4.14%	0.43	0.40	-6.98%
मई	3.41	3.39	-0.59%	0.38	0.40	5.26%
जून	2.98	4.13	38.59%	0.45	0.56	24.44%
जुलाई	3.50	4.67	33.43%	0.31	0.50	61.29%
अगस्त	2.69	4.03	49.81%	0.33	0.39	18.18%
सितम्बर	3.19	3.99	25.08%	0.34	0.43	26.47%
अक्टूबर	2.46	4.04	64.23%	0.48	0.46	-4.17%
नवम्बर	3.31	4.14	25.08%	0.59	0.47	-20.34%
दिसम्बर	3.27	3.99	22.02%	0.45	0.35	-22.22%
योग	**27.95**	**35.65**	**27.55%**	**3.76**	**3.96**	**5.32%**

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.6 वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य कर विभाग द्वारा जी0एस0टी0 व वैट (Non-GST) में क्रमशः ₹9,379 करोड़ तथा ₹2,675 करोड़, इस प्रकार कुल ₹12,054 करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक जी0एस0टी0 व वैट में क्रमशः ₹6,879 करोड़ तथा ₹1,941 करोड़, इस प्रकार कुल ₹8,820 करोड़ का राजस्व राज्य को प्राप्त हो चुका है।

3.7 जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त 01 जुलाई, 2017 से 31 दिसम्बर, 2024 तक की अवधि में कुल 2,06,315 नये व्यापारी पंजीकृत हुए हैं। इसके अतिरिक्त 57,644 पंजीकृत व्यापारियों को वैट प्रणाली से जी0एस0टी0 में प्रवर्जित किया जा चुका है। इस प्रकार वर्तमान तक राज्य में कुल पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 2,63,959 हो चुकी है।

Number of Registerd Dealers in GST (Data as of 31 December, 2024)		
Sr.No.	**Dealers**	**Number**
1	**Number of Migrated Dealers (State)**	46294
2	**Number of Migrated Dealers (Centre)**	11350
3	**New Registration (State)**	91218
4	**New Registration (Centre)**	115097
5	**Total Dealers (State+Centre)**	**263959**
6	**Composition Dealers (State)**	25429
7	**Composition Dealers (Centre)**	17962
8	**Total Composition Dealers**	**43391**

स्रोतः राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड

3.8 राज्य कर विभाग की प्रवर्तन इकाईयों द्वारा करापवंचनरोधी प्रयासः–

राज्य कर विभाग की सचलदल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक) में कुल ₹62.28 करोड़ कर/अर्थदण्ड के रूप में जमा कराये गये, जो कि गत वर्ष इसी अवधि में जमा कराये गये लगभग ₹54.62 करोड़ से 14 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग की विशेष कार्यबल इकाईयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक) में कुल 134 सर्वेक्षण करते हुये लगभग ₹198.28 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा सुनवाई के दौरान ही ₹79.74 करोड़ जमा कराये गये।

3.9 वित्तीय वर्ष 2024–25 मे माह दिसम्बर, 2024 तक राज्य कर विभाग द्वारा कुल (CGST+ IGST+ SGST+CESS) ₹15,617.74 करोड़ का संग्रहण किया गया है जो कि गतवर्ष की इसी अवधि में किये गये कर (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह ₹14,359.28 करोड़ से 09 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल कर (CGST+IGST+SGST+ CESS) संग्रह का माहवार विवरण तालिका–3.7 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.7

वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 का तुलनात्मक GST (CGST+IGST+SGST+CESS) संग्रह विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

माह	CGST			SGST			IGST			CESS			Total		
	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-	2023-24	2024-25	%+/-
अप्रैल	387.32	460.53	19%	554.33	636.26	15%	1191.84	1132.22	-5%	14.94	10.02	-33%	2148.43	2239.03	4%
मई	307.40	322.98	5%	411.49	475.89	16%	702.97	1025.25	46%	9.32	12.62	35%	1431.18	1836.74	28%
जून	327.37	323.15	-1%	438.6	472.33	8%	745.08	897.87	21%	11.5	11.70	2%	1522.55	1705.05	12%
जुलाई	318.28	342.54	8%	415.18	490.49	18%	863.17	854.05	-1%	10.49	12.62	20%	1607.12	1699.70	6%
अगस्त	309.16	291.65	-6%	382.06	432.22	13%	653.02	617.77	-5%	8.68	9.09	5%	1352.92	1350.73	0%
सितम्बर	268.34	273.5	2%	387.27	399.73	3%	725.58	900.05	24%	11.17	8.48	-24%	1392.36	1581.76	14%
अक्टूबर	379.42	343.01	-10%	550.34	485.96	-12%	894.56	995.35	11%	10.1	9.42	-7%	1834.42	1833.74	0%
नवम्बर	313.35	337.15	8%	485.55	521.67	7%	791.52	951.34	20%	10.21	13.44	32%	1600.63	1823.60	14%
दिसम्बर	294.06	295.68	1%	421.38	439.24	4%	744.4	803.69	8%	9.83	8.78	-11%	1469.67	1547.39	5%
योग	**2904.70**	**2990.19**	**3%**	**4046.20**	**4353.79**	**8%**	**7312.14**	**8177.59**	**12%**	**96.24**	**96.17**	**0%**	**14359.28**	**15617.74**	**9%**

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.10 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक राज्य को IGST Settlement के अन्तर्गत कुल ₹2,241.44 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था, जब कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 की इसी अवधि में कुल IGST Settlement ₹2,723.65 करोड़ रहा, जो कि गत वर्ष के सापेक्ष 21 प्रतिशत अधिक है। राज्य कर विभाग द्वारा कुल IGST Settlement का विवरण तालिका–3.8 में दर्शाया गया है–

तालिका–3.8

Sanction of provisional Settlement of IGST for the Return Filing

(Fig in ₹Crore)

Months	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2023-24 (outward)	IGST Liability adjusted against SGST/ UTGST ITC (ITC Cross Utilization) 2024-25 (outward)	%+/-	SGST/ UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2023-24 (inward)	SGST/UTGST Liability adjusted against IGST ITC (ITC Cross Utilization) 2024-25 (inward)	%+/-	Approtionment of IGST to the State /UT (2023-24)	Approtionment of IGST to the State /UT (2024-25)	%+/-	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2023-24)	Adjustment of Adv. Apportionment of IGST to State/UT (2024-25)	Total 2023-24	Total 2024-25	%+/-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13) =(2+11) - (5+8)	(14) =(3+12) - (6+9)	(15)
April	418.40	502.52	20.11%	586.22	626.95	6.95%	133.35	156.33	17.23%	0.00	0.00	-301.17	-280.76	-6.78%
May	341.36	388.70	13.87%	479.51	511.43	6.66%	115.99	115.03	0.83%	0.00	0.00	-254.14	-237.76	-6.45%
June	368.38	434.62	17.98%	488.21	556.25	13.94%	101.81	115.89	13.83%	0.00	0.00	-221.64	-237.52	7.16%
July	423.66	409.75	3.28%	521.49	604.09	15.84%	112.32	130.31	16.02%	0.00	0.00	-210.15	-324.65	54.48%
August	316.79	343.69	8.49%	446.74	510.47	14.27%	124.92	124.84	0.06%	0.00	0.00	-254.87	-291.62	14.42%
September	367.84	356.22	3.16%	449.03	512.11	14.05%	142.46	119.40	16.19%	0.00	0.00	-223.65	-275.29	23.09%
October	430.50	435.59	1.18%	547.56	583.58	6.58%	168.47	160.76	4.58%	0.00	0.00	-285.53	-308.75	8.13%
November	456.64	392.96	13.95%	551.88	621.06	12.54%	173.74	176.08	1.35%	59.40	0.00	-209.58	-404.18	92.85%
December	361.33	416.26	15.20%	525.77	506.61	3.64%	116.27	272.77	134.60%	0.00	0.00	-280.71	-363.12	29.36%
Total	**3484.90**	**3680.31**	**5.61%**	**4596.41**	**5032.55**	**9.49%**	**1189.33**	**1371.41**	**15.31%**	**59.40**	**0.00**	**-2241.44**	**-2723.65**	**21.51%**

Note - In Dec-24 Inter head transfer Amount by tax payer wihin the cash ladger is Rs. 142.38 Cr. This amount is added to apportionment amount of Rs. 130.39 Cr. Hence apportionmen amount is shown as Rs. 272.77 Cr. (130.39+142.38=272.77). *Inter head transfer of amount by tax payer within the cash ledger- Rs. 1423798203 (Rs. 142.38 Cr.) is also included in the actual IGST Settlement amount of Rs. 220.75 Cr. for December-2024. Hence, IGST Settlement is shown as Rs. 363.13 Cr. [220.75+142.38=363.13].

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.11 व्यापारी दुर्घटना बीमा योजनाः– जनहित में शासन/विभाग द्वारा व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना दिनांक 19.11.2024 से दिनांक 18.11.2025 तक के लिए लागू की गयी है, जिसमें विभाग में पंजीकृत व्यापारियों की दुर्घटना में मृत्यु की दशा में मृतक आश्रित को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में ₹10.00 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी है।

3.12 राज्य कर विभाग उत्तराखण्ड द्वारा आगामी वर्षों के लिए राजस्व प्राप्ति का अनुमान निम्न तालिका–3.9 में दर्शाया गया है–

तालिका– 3.9

Assured revenue and revenue projections for forthcoming years are as below
(आगामी वर्षों के लिए सुनिश्चित राजस्व तथा राजस्व अनुमान)

(धनराशि ₹ करोड़ में)

S.N.	Financial year	Achieved/ Projected GST (without compensation)	Achieved/ Projected Non-GST	Total Achieved/ Projected Tax
(1)	(2)	(3)	(4)	5= (3+4)
1.	2023-24	8,297	2,515	10,812
2.	2024-25	9,379	2,675	12,054
3.	2025-26	10,320	2,807	13,127

स्रोत– : राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड।

3.13 बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण पंजीयन :– जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन हेतु उत्तराखण्ड राज्य में बायोमैट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण व्यवस्था 31 जुलाई, 2024 से लागू कर दी गयी है। देश में यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तराखण्ड चौथा राज्य और उत्तर भारत का प्रथम राज्य है।

3.14 व्यापारी सम्मान योजना :– राज्य मे पंजीकृत व्यापारियों को प्रोत्साहित किये जाने के लिए व्यापारी सम्मान योजना प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे व्यापारियों को सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है, जिनके द्वारा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत रिटर्न व कर नियमानुसार जमा किया जा रहा है।

3.15 जी0एस0टी0 के अन्तर्गत ब्याज तथा अर्थदण्ड माफी योजना :– वित्तीय वर्ष 2017–18 से वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए धारा–73 के अन्तर्गत की गयी मांगों से सम्बन्धित ब्याज और अर्थदण्ड माफ किये जाने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार ऐसे व्यापारियों, जिनके द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष में धारा–73 के अन्तर्गत सृजित मांग किसी कारणवश जमा नहीं की गयी है, को ब्याज या जुर्माना दिए बिना सृजित मांग जमा करने का अवसर दिया गया है। विभागीय स्तर से उक्त योजना का प्रचार–प्रसार करने के लिए इसे विज्ञापित किया गया है और समस्त औद्योगिक–व्यापारिक संगठनों, अधिवक्ता संघों को उपर्युक्त योजना/प्राविधान का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उन्हें अवगत कराया गया है।

3.16 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग (Stamp and Registration):– स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड राज्य सरकार की एक प्रमुख राजस्व शाखा है, जो नागरिकों के विभिन्न संपत्ति संबंधी लेनदेन की रिकॉर्डिंग और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के साथ कार्यरत है। ई–पंजीकरण पहल के साथ स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग हितधारकों को नागरिक अनुकूल, परेशानी मुक्त और पारदर्शी सेवायें प्रदान कर रहा है । पंजीकरण के कानून का मुख्य उद्देश्य दस्तावेज की वास्तविकता का एक निर्णायक प्रमाण प्रदान करना , लेनदेन के लिए प्रचार करना और धोखाधड़ी को रोकना है । विभाग एक "रॉयल रिकॉर्ड कीपर" के रूप में कार्य कर रहा है, जो पुराने रिकॉर्डों को संरक्षित करता है और विधि न्यायालय में वास्तविकता के प्रमाण के रूप में प्रदान करने के लिए इसके द्वारा रखे गए रिकॉर्ड की प्रतियां प्रदान करता है।

3.16.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 में माह दिसम्बर, 2023 तक स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग को प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर) ₹1828.50 करोड़ थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय ₹1970.00 करोड़ रही, जो कि गत वर्ष की तुलना में 7.74 प्रतिशत अधिक है।

3.16.2 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का विवरण निम्न तालिका–3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका–3.10

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड को वित्तीय वर्षवार आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त आय का प्रतिशत विवरण

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	आवंटित लक्ष्य	प्राप्त आय (कोषागार से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर)	लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत	गत वर्ष के सापेक्ष प्राप्ति प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2013–2014	640.00	686.60	107.28	(+) 5.89
2	2014–2015	708.79	713.78	100.70	(+) 3.95
3	2015–2016	777.21	872.17	112.21	(+) 22.19
4	2016–2017	1203.00	779.50	64.80	(–) 10.61
5	2017–2018	1100.00	860.16	78.19	(+) 10.34
6	2018–2019	1195.00	1035.35	86.64	(+) 20.37
7	2019–2020	1340.73	1071.49	79.92	(+) 3.49
8	2020–2021	1249.23	1107.04	88.61	(+) 3.31
9	2021–2022	1200.00	1487.89	123.99	(+)34.40
10	2022–2023	1590.05	1992.64	125.31	(+)33.92
11	2023–2024	2062.93	2461.04	119.29	(+)23.50
12	2024–2025	2665.00 (01 अप्रैल, 2024 से 31 दिसम्बर, 2024 तक प्राप्त आय)	**1970.00**	74.00	गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 01 अप्रैल, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक प्राप्त आय ₹1828.50 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024–25 में 31 दिसम्बर 2024 तक 7.74% की वृद्धि हुई।

स्रोतः स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड

3.16.3 सर्किल दरों हेतु GIS Application प्रणाली व जनहित में किये गये कार्यों का विवरण :–आम जनता की सुविधा हेतु विभागों की कार्यप्रणाली सरल बनाने की दिशा में विभाग में सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने के सम्बन्ध में G.I.S. Application प्रणाली प्रवृत्त की गयी है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर मूल्यांकन करने से आसानी होगी। इससे आम जन को निम्नलिखित लाभ होंगे–

विभागीय प्रगति

- सम्पत्तियों के मूल्यांकन हेतु प्रवृत्त सर्किल दरों को ऑनलाईन प्रदर्शित किये जाने हेतु G.I.S Application प्रणाली को अपग्रेड कर और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। इससे आम जन को सम्पत्ति की स्थिति के अनुसार सर्किल दर व सम्पत्ति का मूल्यांकन अधिक सुविधाजनक होगा तथा मूल्यांकन पुस्तिका तलाश करने से मुक्ति मिलेगी।

- भूमि सम्बन्धी विक्रय विलेखों में की गयी जालसाजी एवं धोखाधड़ी के प्रकरण संज्ञान में आने के पश्चात् उक्त प्रकरणों की पुनरावृति न होने के दृष्टिगत व्यापक जांच एवं सुधार हेतु स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के अधीन 03 सदस्यीय उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एस0आई0टी0) का गठन किया गया है।

- विशेष जांच दल द्वारा संदर्भित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु Forensic Expert की तैनाती की गयी है।

- Digital India, Ease of doing Bussiness एवं Ease of living के अन्तर्गत सरलीकरण, समाधान एवं त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत Online माध्यम से लेखपत्रों के e-Registration, e-Marriage एवं लेखपत्रों की सत्यापित प्रतियां e-Nakal के माध्यम से (घर बैठे कम्प्यूटर व मोबाईल से) प्रदान की जा रही है।

- e-Stamp की उपलब्धता के साथ–साथ बैंक विषयक दस्तावेजों के लिए DDE (Digital Document Execution) एवं डिजिटल ई–स्टाम्प को भी प्रवृत्त किया गया है।

- विभाग के सम्पूर्ण अभिलेखों के डिजिटाईजेशन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है। वित्तीय वर्ष के अन्त तक समस्त डिजिटाईज्ड अभिलेखों के Online Search की सुविधा उपलब्ध होगी।

- Aadhar Authentication एवं Virtual Registration की प्रक्रिया गतिमान है। विडियों KYC एवं लेखपत्रों के Virtual Presentation की सुविधा चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक संचालित करने की योजना है। जिससे जन सुविधा के साथ–साथ फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

- उत्कृष्ट जन सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के 18 उप निबंधक कार्यालयों के अनुरक्षण/जीर्णोद्धार, रिकार्ड रूम मार्डनाईजेशन के निर्माण का कार्य गतिमान है।

आबकारी (Excise)

3.17 आबकारी विभाग की मौलिक नीति मादक वस्तुओं के अनौषधियाँ उपयोग के निषेध का उन्नीयन, प्रवर्तन एवं प्रभावीकरण है। मद्यनिषेध की इस बात को प्रमुखता देते हुए आबकारी विभाग ये सुनिश्चित करता है कि उपर्युक्त पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण द्वारा मादक वस्तुओं की वैधानिक बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्त किया जाये।

चार्ट–3.2

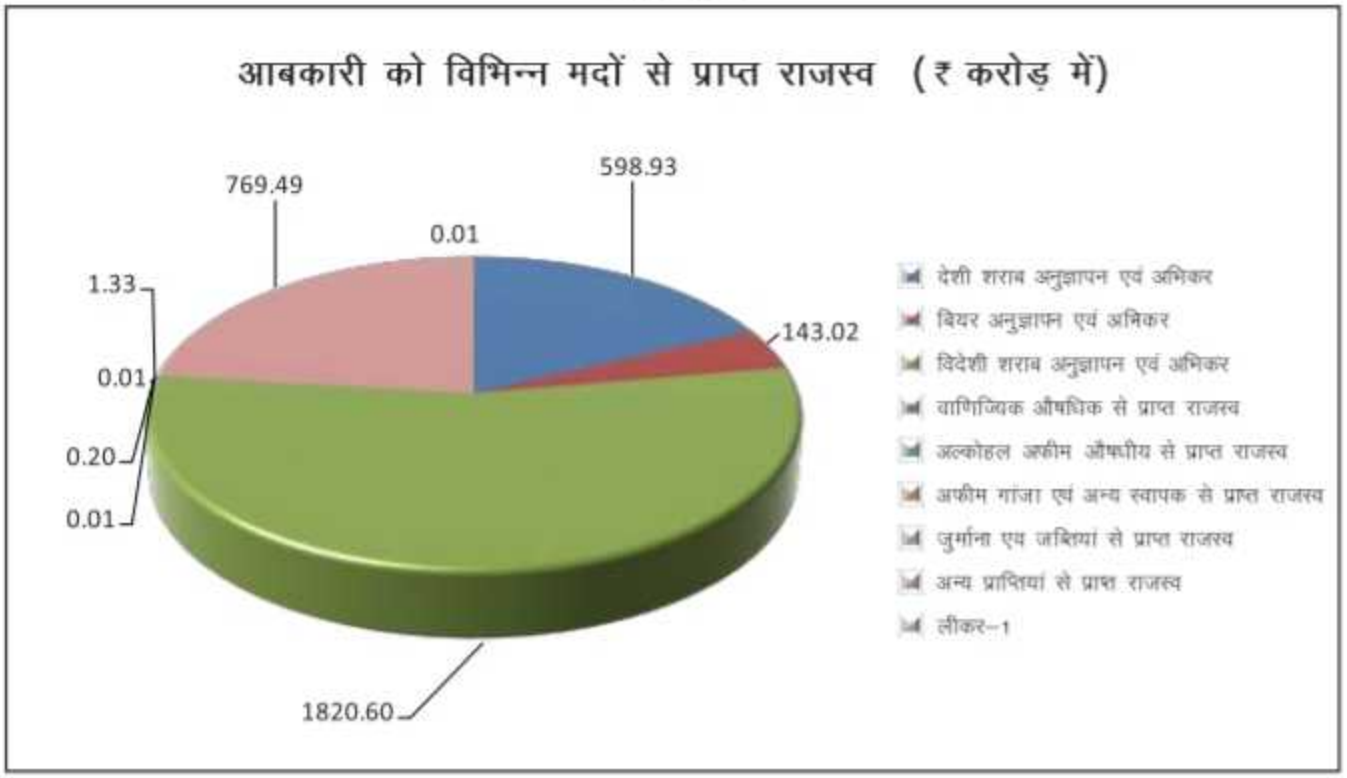

स्रोतः आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

3.18 आबकारी नीति में गुणात्मक सुधार करने के लिए वर्ष 2024–25 के लिए आबकारी नीति दिनांक 21.02.2024 को जारी की गयी।

3.19 वर्ष 2023–24 के दौरान आबकारी विभाग द्वारा ₹4038.69 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया। वर्ष 2024–25 में निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4439.00 करोड़ के सापेक्ष 31 दिसम्बर 2024 तक ₹3343.97 करोड़ का संग्रह किया जा चुका है। आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने वाला राजस्व उत्तराखण्ड राज्य को प्राप्त राजस्व का 18 से 19 प्रतिशत के मध्य रहता है।

3.19.1 आबकारी विभाग को देशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹598 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.2 बियर अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹143 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.3 विदेशी शराब अनुज्ञापन एवं अभिकर से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹1820 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.4 वाणिज्यिक औषधिक से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹20 लाख से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.5 जुर्माना एव जब्तियां से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹1.30 करोड से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.6 अन्य प्राप्तियां से 31 दिसम्बर 2024 तक ₹769.40 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.19.7 लीकर–1 से 31 दिसम्बर 2023 तक ₹60 हजार राजस्व प्राप्त हुआ है।

3.20 वित्तीय वर्ष 2024–25 में आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य ₹4,439.00 करोड़ के सापेक्ष कुल ₹3,343.97 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है। वर्ष 2001–02 से वर्ष 2024–25 तक आबकारी विभाग द्वारा प्राप्त राजस्व प्राप्ति का विवरण तालिका–3.11 व (चार्ट–3.3) में दर्शाया गया है।

तालिका – 3.11

राजस्व बढोतरी आबकारी विभाग (रुकरोड़ में)

वित्तीय वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	प्राप्त राजस्व
(1)	(2)	(3)
2001–02	222.38	231.69
2002–03	256.36	246.46
2003–04	286.05	272.69
2004–05	292.76	292.09
2005–06	357.96	292.81
2006–07	360.00	372.84
2007–08	417.00	441.71
2008–09	501.00	528.32
2009–10	598.21	703.71
2010–11	686.93	755.98
2011–12	727.67	843.57
2012–13	942.00	1117.80
2013–14	1150.00	1269.04
2014–15	1500.00	1486.80
2015–16	1800.00	1736.60
2016–17	2100.00	1906.00
2017–18	2310.00	2262.02
2018–19	2650.00	2705.38
2019–20	3047.50	2729.15
2020–21	3461.37	3017.34
2021–22	3202.00	3260.35
2022–23	3600.00	3501.93
2023–24	4000.00	4038.68
2024–25*	4439.00	3343.97

नोटः– * वास्तविक प्राप्तियाँ दि0 31.12.2024 तक।

चार्ट – 3.3

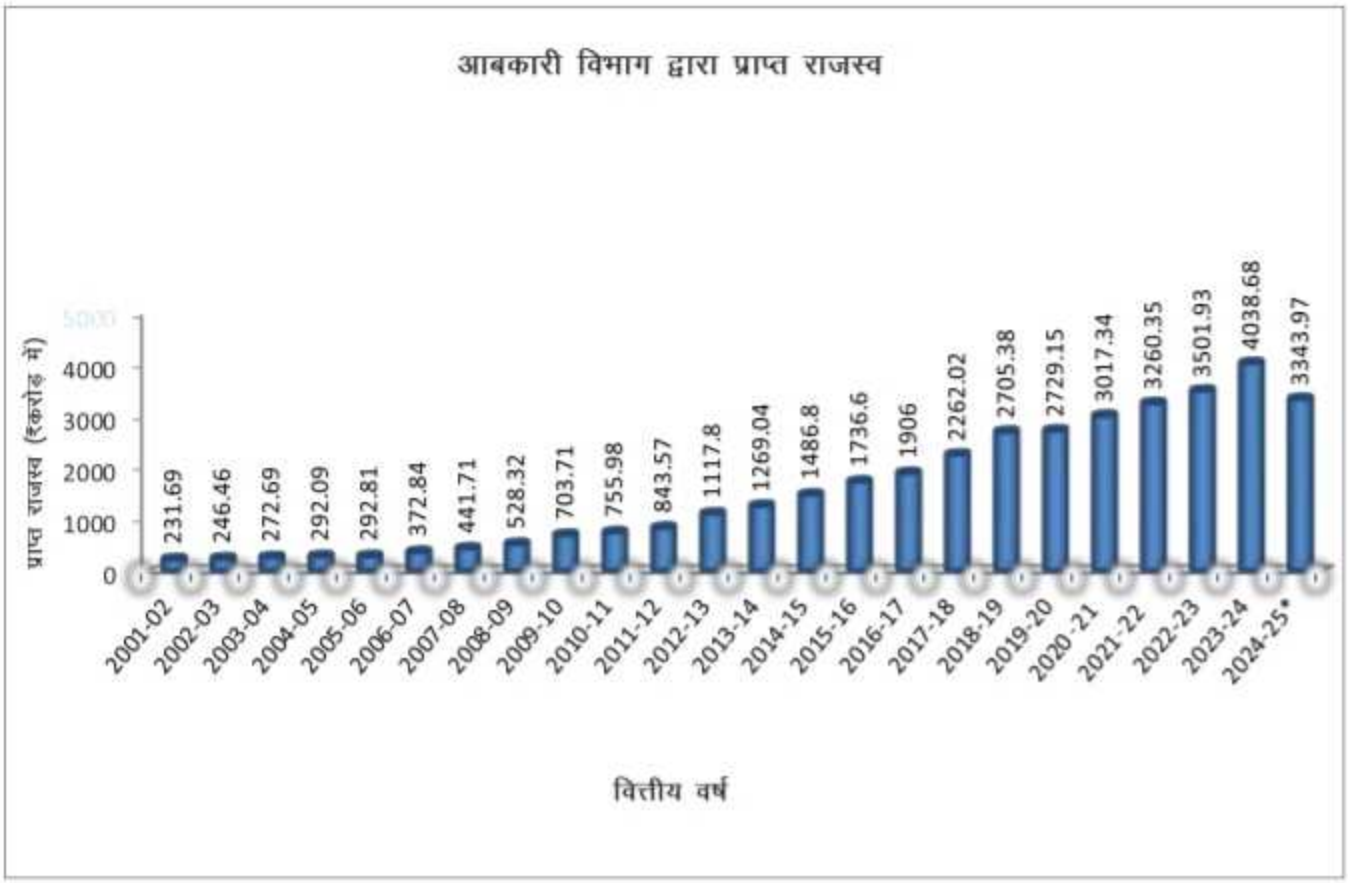

* 31 दिसम्बर 2024 तक।

स्रोतः आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड

अध्याय–4
भाव संचलन
Price Movement

4.1 मूल्य सूचकांक (Price Index):– मूल्य सूचकांक दो अवधियों या स्थानों के बीच वस्तुओं या सेवाओं के एक चुने हुए बास्केट की कीमतों में औसत अंतर को दिखाता है। साथ ही, इनका इस्तेमाल समय के साथ कीमतों में आने वाले परिवर्तन का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से तीन तरह के Price Index का इस्तेमाल किया जाता है:–

4.2 थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index): यह थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है।

4.3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index): उपभोक्ता मुल्य सूचकांक (CPI) वे कीमतें हैं जो किसी वस्तु के लिए अन्तिम उपभोक्ता को चुकानी पडती है। इसे जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहा जाता है इसमें वस्तुओ का एक बासकेट तैयार किया जाता है। जिसमें शहरी ग्रामीण जैसे उपभोक्ता श्रेणीयों के आधार पर विभिन्न श्रेणीयां व उप श्रेणीया बनाई जाती हैं सी0पी0आई0 का उपयोग करके मुद्रास्फिति को मापा जाता है।

4.4 उत्पादक मूल्य सूचकांक (Producer Price Index-PPP): इसमें निर्माता या आउटपुट मूल्य को रखा जाता है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र के साथ–साथ सार्वजनिक उपयोगिताओं को कवर किया जाता है। PPI की कीमतों में कर और परिवहन शुल्क शामिल होते है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तैयार किया जा रहा है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2017–18 को आधार वर्ष निर्धारित करते हुए राज्य की कुल 74 चयनित बाजारों (34 ग्रामीण एवं 40 नगरीय) से नगरीय बाजारों हेतु 190 एवं ग्रामीण बाजारों हेतु 192 वस्तुओं का भाव संग्रह करते हुये उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार किया जा रहा है।

क्र0सं0	जनपद का नाम	ग्रामीण	नगरीय
1	उत्तरकाशी	2	2
2	चमोली	3	2
3	रूद्रप्रयाग	1	2
4	टिहरी	3	2
5	देहरादून	3	5
6	पौड़ी	4	2
7	पिथौरागढ़	2	2
8	बागेश्वर	1	2
9	अल्मोड़ा	3	2
10	चम्पावत	1	2
11	नैनीताल	3	4
12	यू एस नगर	3	6
13	हरिद्वार	5	7
योग उत्तराखण्ड		**34**	**40**

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

माह जनवरी 2024 से दिसम्बर 2025 का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक निम्नवत् है :–

नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष (2017–18=100)

राज्य– उत्तराखण्ड			जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024	जुलाई 2024	अगस्त 2024	सितम्बर 2024	अक्टूबर 2024	नवम्बर 2024	दिसम्बर 2024
क0 सं0	समूह / उप समूह	भार	भाव सूचकांक											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	(1) खाद्य वस्तुऐं समस्त	44.12	140.65	140.87	141.03	143.74	143.59	143.86	144.97	146.06	146.85	148.16	147.48	147.06
(1)	खाद्य वस्तुऐं	36.31	141.42	141.84	142.39	144.87	144.60	144.86	146.20	147.49	148.54	150.05	149.11	148.58
	(I) अनाज, उसके उत्पाद व सम्बन्धित सेवायें	2.46	137.88	137.88	138.48	142.43	142.43	143.12	143.89	144.39	148.64	146.28	147.01	147.73
	(II) मांस व मछली	4.54	137.42	137.59	137.23	138.99	139.32	139.23	139.18	138.78	141.46	142.36	139.36	139.64
	(III) अण्डा	0.25	145.05	140.15	132.25	127.14	123.64	123.41	127.42	125.43	125.98	125.45	130.14	136.93
	(IV) दुग्ध व उसके उत्पाद	2.71	132.49	132.73	133.28	133.89	134.16	136.06	136.25	136.55	137.41	137.86	137.84	138.15
	(V) खाद्य तेल	2.17	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13
	(VI) फल व मेवा	7.33	123.03	123.65	126.14	135.41	136.46	131.76	132.19	138.60	134.64	138.34	134.83	132.30
	(VII) शाक–भाजी, सब्जी / तरकारी व उनसे तैयार अचार आदि	2.56	138.20	141.74	146.18	149.90	144.25	159.16	174.06	175.22	184.03	192.18	179.20	174.36
	(VIII) दालें व उसके उत्पाद	0.95	142.45	142.83	143.21	143.53	145.76	148.13	148.86	151.78	150.65	151.92	149.85	149.97
	(IX) चीनी, शहद आदि	0.84	117.65	116.85	117.54	117.45	115.40	116.15	116.43	116.25	116.49	117.47	117.66	117.80
	(X) नमक व मसाले	0.82	158.21	158.04	158.36	158.31	158.50	156.53	156.47	158.41	159.32	158.77	157.45	157.44
	(XI) चाय व काफी	1.92	135.15	135.58	136.69	136.69	136.66	136.61	138.56	133.99	134.76	135.76	136.64	137.23
	(XII) चाय–नाश्ता / जलपान	9.76	161.27	161.39	161.39	161.38	161.40	161.36	161.36	162.08	162.44	162.44	165.93	165.87
(2)	धूम्रपान आदि	7.80	137.16	136.45	136.69	138.52	138.85	139.13	139.14	139.32	139.02	139.47	140.00	140.12
(2)	अखाद्य वस्तुयें	55.88	163.85	163.88	163.82	163.76	164.18	164.40	164.48	167.14	167.31	168.26	168.36	168.32
	(III) वस्त्र, जूते इत्यादि	3.19	116.07	116.31	116.66	116.84	116.91	116.96	117.17	117.14	117.40	117.71	117.77	117.83
	(IV) भवन किराया / गैराज किराया आदि	8.84	131.83	131.83	131.83	132.03	134.48	134.48	134.48	134.48	134.48	136.34	136.34	136.34
	(V) विद्युत व ईंधन	6.30	167.07	166.93	163.23	161.29	161.29	161.64	161.89	161.50	161.19	161.24	162.2	161.83
	(VI) मिश्रित व अन्य	37.55	175.25	175.28	175.46	175.47	175.48	175.71	175.83	179.59	179.98	180.12	180.76	180.72
भाव सूचकांक		100.00	153.51	153.62	153.58	154.77	175.48	155.11	155.64	157.61	158.12	159.28	159.03	158.84

स्रोत: अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

राज्य स्तर पर जनवरी 2024 एवं फरवरी 2024 तक सूचकांक में निरन्तर वृद्धि देखी गई, मार्च में कमी के उपरान्त अप्रैल, मई, में वृद्धि व जून 2024 में पुनः कमी एवं जुलाई से अक्टूबर तक लगातार वृद्धि के उपरान्त नवम्बर व दिसम्बर में हल्की कमी परिलक्षित हुई है।

4.5 CPI (संयुक्त) तैयार करने हेतु सभी वस्तुओं को 6 उप समूहों (Sub-groups) में वर्गीकृत करते हुये भारित (Weighted) किया गया है, जो इस प्रकार है: खाद्य एवं पेय पदार्थ (कुल भार 45.86%); पान, तम्बाकू और मादक पदार्थ (कुल भार 2.38%);कपड़े और जूते (कुल भार 6.53%); आवास (कुल भार 10.07%); ईंधन और प्रकाश (कुल भार 6.84%) तथा अन्य वस्तुएं (कुल भार 28.32%)। सूचकांक निर्माण में खाद्य एवं पेय पदार्थों का भार सर्वाधिक होने के कारण इनके भावों में परिवर्तन मुद्रास्फीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

NSSO के क्षेत्र संचालन प्रभाग द्वारा सीपीआई (शहरी) हेतु 310 चयनित शहरों / कस्बों

में तथा सीपीआई (ग्रामीण) हेतु 1,114 ग्रामीण बाजारों से मासिक मूल्य डाटा एकत्रित किया जाता है। साथ ही विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेशों के अर्थ एवं संख्या निदेशालय तथा डाक विभाग द्वारा चयनित 1,181 गांवों से वेब पोर्टल के जरिये कीमतें एकत्रित की जाती हैं।

मुद्रास्फीति के कारण

4.6 वस्तुओं एवं सेंवाओं के मूल्य में वृद्धि या मुद्रास्फीति विषय लम्बे समय से सम्पूर्ण विश्व में चिंता एवं चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्रास्फीति क्रय शक्ति की क्रमिक हानि है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में व्यापक वृद्धि के रूप में परिलक्षित होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव समस्त कारको पर पडता है जैसे घरेलू किराना वस्तुओ, आवास व ईंधन एवं प्रकाश आदि। कच्चे तेलो जैसी आयातित वस्तुओ पर निर्भरता के कारण भारत को वैश्विक मूल्य अस्थिरता का सामना करना पडता है रूपये के मूल्य पर पडने वाले प्रभाव से आयात की कीमते बढ जाती है, क्योंकि समान मात्रा में आयातित वस्तुओं को खरीदने के लिए अधिक रूपये की आवश्यकता होती है। उच्च वैश्विक ब्याज दरें भारत में विदेशी निवेश को बाधित कर रही है जिससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुई है तथा मुद्रा अवमूल्य की स्थिति और खराब हुई है। इससे निवेशक अपनी पूंजी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों की ओर स्थान्तरित कर रहें है। जहां उच्च प्रतिफल मिलता है। जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों को विदेशी निवेश का प्रभाव कम हुआ है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) Consumer Price Index (Combined)

4.7 सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदमों के फलस्वरूप राज्य में वस्तुओं की कीमतें नियंत्रित रही हैं, फिर भी उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) राष्ट्रीय सूचकांक की तुलना में अधिक रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) का अध्ययन करने पर दृष्टिगत् होता है कि माह जनवरी 2024 में मुद्रास्फीति की दर (+) 5.1 प्रतिशत थी जो दिसम्बर 2024 माह में अधिकतम स्तर(+) 5.69 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

इसके सापेक्ष राज्य में वर्ष 2024 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि जनवरी 2024 माह में मुद्रास्फीति की दर (+) 4.55 प्रतिशत के स्तर पर थी, जो दिसम्बर 2024 माह में (+) 6.05 प्रतिशत पर अवस्थित रही।

जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 तक राष्ट्रीय एवं प्रदेश की मुद्रास्फीति दर का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगत् होता है कि राष्ट्रीय स्तर पर माह मई 2024 तक कमी होती रही। जून 2024 में वृद्धि के उपरान्त जुलाई 2024 में कमी परिलक्षित हुई। तत्पश्चात् अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 तक वृद्धि नवम्बर 2024 में पुनः कमी एवं दिसम्बर में सूक्ष्म वृद्धि देखी गई। प्रदेश में माह अगस्त 2024 तक मुद्रास्फीति की दर में कमी देखी गई। सितम्बर 2024 से अक्टूबर 2024 तक वृद्धि एवं माह नवम्बर में पुनः कमी व दिसम्बर 2024 में वृद्धि परिलक्षित हुई, अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय दर से अधिक एवं नवम्बर व दिसम्बर में तुलनात्मक रूप से कमी आई है। उत्तराखण्ड की मुद्रास्फीति दर माह जनवरी 2024 से सितम्बर 2024 तक राष्ट्रीय दर से कम रही है।

तलिका 4.1
अखिल भारतीय एवं उत्तराखण्ड का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(संयुक्त)CPI(Combined)
(आधार 2012 = 100)

माह	2020		2021		2022		2023		2024		मुद्रास्फीति की दर (2024)	
	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड	भारत	उत्तराखण्ड
जनवरी	150.2	145.4	156.3	153.5	166	163.3	176.5	173.7	185.5	181.6	5.1	4.55
फरवरी	149.1	145.0	156.6	153.9	166	164	176.8	174.9	185.8	181.8	5.09	3.95
मार्च	148.6	145.4	156.8	154.7	168	165	177.2	176.1	185.8	182.5	4.85	3.63
अप्रैल	151.4	–	157.8	156.5	170	167.1	178.1	177.1	186.7	183.5	4.83	3.61
मई	150.9	–	160.4	159.0	172	168.6	179.1	178.3	187.7	184.3	4.8	3.37
जून	151.8	150.4	161.3	158.4	173	169.3	181	180	190.2	185.3	5.08	2.94
जुलाई	153.9	151.6	162.5	160.4	173	170.2	186.3	184.8	193.0	190.3	3.6	2.98
अगस्त	154.7	152.5	162.9	160.5	174	172.2	186.2	185.5	193.0	189.9	3.65	2.37
सितम्बर	156.4	154.2	163.2	160.9	175	172.6	184.1	182.2	194.2	190.7	5.49	4.67
अक्टूबर	158.4	156.3	165.5	163.5	177	173.6	185.3	181.6	196.8	193.0	6.21	6.28
नवम्बर	158.9	156.4	166.7	165.0	177	174.2	186.3	183.5	196.5	193.3	5.48	5.34
दिसम्बर	157.3	154.4	168.1	163.4	176	173.5	185.7	181.7	185.7	192.7	5.69	6.05

Source: CSO, MoSPI, GoI (माह दिसम्बर 2024 में अनन्तिम आंकडों का प्रकाशन किया गया है)

चार्ट 4(अ)

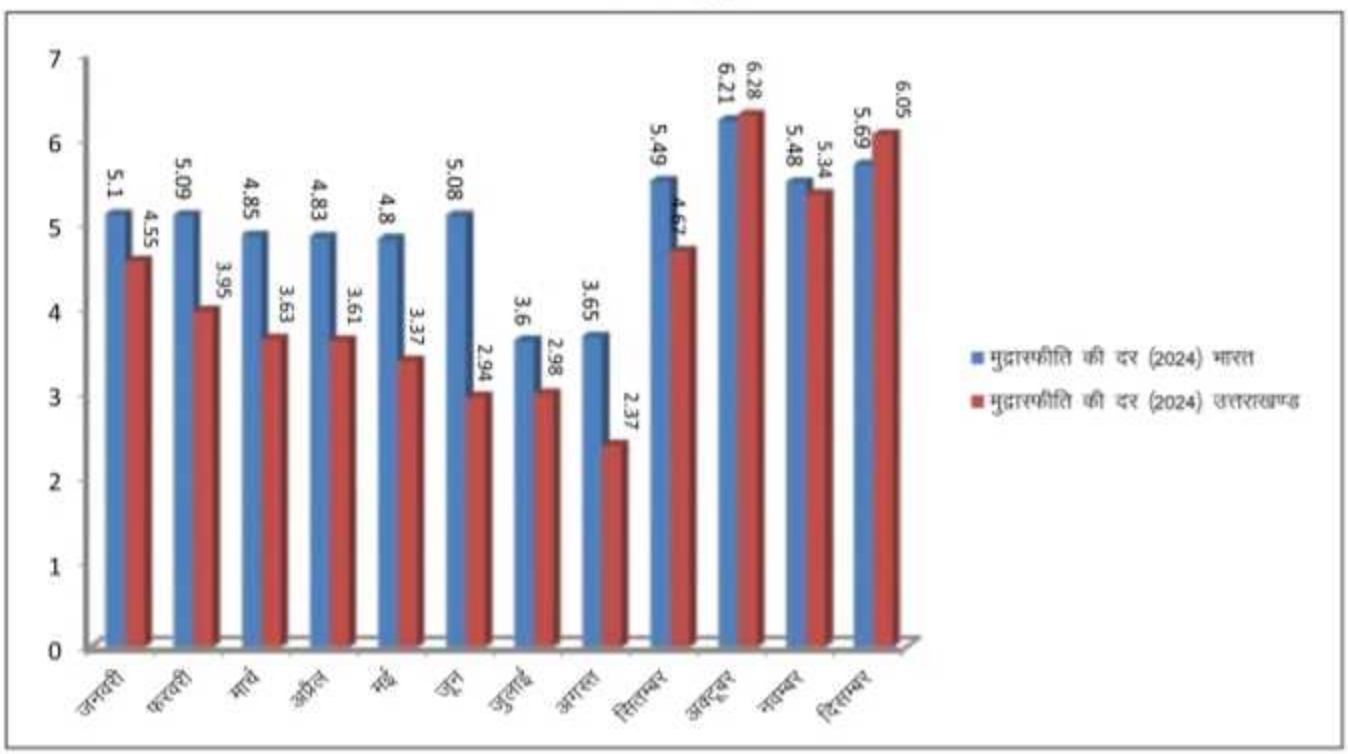

Source: CSO, MoSPI, GoI (माह दिसम्बर 2024 में अनन्तिम आंकडों का प्रकाशन किया गया है)

(Household Consumption Expenditure Survey 2023-24)

Average estimated MPCE in 2023-24 is observed to be Rs. 4,122 in rural India and Rs. 6,996 in urban India. The share of food and non-food items in total MPCE is shown below.

Average MPCE (Rs.) and share of food and non-food items in 2023-24: All -India

Item Group	Rural India		Urban India	
	Average MPCE (Rs.)	Share in MPCE (%)	Average MPCE (Rs.)	Share in MPCE (%)
Food	1,939	47.04	2,776	39.68
Non-food	2,183	52.96	4,220	60.32

स्रोतः नीति आयोग, भारत सरकार

- The bottom 5% of India's rural population, ranked by MPCE, has an average MPCE of Rs. 1,677, while it is Rs. 2,376 for the same category of population in the urban areas.
- The top 5% of India's rural and urban population, ranked by MPCE, has an average MPCE of Rs. 10,137 and Rs. 20,310, respectively.
- Among the States, MPCE is the highest in Sikkim (Rural – Rs. 9,377 and Urban – Rs. 13,927) and it is the lowest in Chhattisgarh (Rural – Rs. 2,739 and Urban – Rs. 4,927).
- Among the UTs, MPCE is the highest in Chandigarh (Rural – Rs. 8,857 and Urban – Rs. 13,425), whereas it is the lowest in Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Rs. 4,311) and Jammu and Kashmir (Rs. 6,327) in rural and urban areas, respectively.
- The urban-rural difference in average MPCE among the states is the highest in Meghalaya (104%) followed by Jharkhand (83%) and Chhattisgarh (80%)

Average MPCE for each State/UT in 2023-24

State/UT	Average MPCE (Rs.)	
	Rural	Urban
Andhra Pradesh	5,327	7,182
Arunachal Pradesh	5,995	9,832
Assam	3,793	6,794
Bihar	3,670	5,080
Chhattisgarh	2,739	4,927
Delhi	7,400	8,534
Goa	8,048	9,726
Gujarat	4,116	7,175
Haryana	5,377	8,428
Himachal Pradesh	5,825	9,223
Jharkhand	2,946	5,393
Karnataka	4,903	8,076
Kerala	6,611	7,783
Madhya Pradesh	3,441	5,538
Maharashtra	4,145	7,363
Manipur	4,531	5,945
Meghalaya	3,852	7,839
Mizoram	5,963	8,709
Nagaland	5,155	8,022
Odisha	3,357	5,825
Punjab	5,817	7,359
Rajasthan	4,510	6,574
Sikkim	9,377	13,927
Tamil Nadu	5,701	8,165
Telangana	5,435	8,978
Tripura	6,259	8,034
Uttar Pradesh	3,481	5,395
Uttarakhand	5,003	7,486
West Bengal	3,620	5,775
Andaman & N Islands	7,771	10,453
Chandigarh	8,857	13,425
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	4,311	6,837
Jammu & Kashmir	4,774	6,327
Ladakh	5,010	7,533
Lakshadweep	6,350	6,377
Puducherry	7,598	8,637
All -India	**4,122**	**6,996**

Source: CSO, MoSPI, GoI

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

अध्याय–5
कृषि, गन्ना एवं उद्यान
(Agriculture, Sugar Cane & Horticulture)

5.1 कृषि (Agriculture)

कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र

उत्तराखण्ड राज्य भौगोलिक दृष्टि से छोटा राज्य है परन्तु राज्य की विशेषतायें इसे देश के अन्य राज्यों से अलग पहचान प्रदान करती है। राज्य द्वारा वृहत स्तर पर जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया गया है। राज्य के पर्वतीय जनपदों में ग्रामीण आबादी का कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय होने के कारण आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। कृषि एवं पशुपालन व्यवसाय से प्राप्त आय जीवन स्तर तक सीमित होने के कारण आबादी का अत्यधिक पलायन रोजगार के अवसरों हेतु हुआ तथा राज्य का पर्वतीय क्षेत्र एक मनीआर्डर अर्थव्यवस्था के रूप में ही अपनी पहचान स्थापित कर सका। जनसंख्या के निरन्तर पलायन के फलस्वरूप पर्वतीय क्षेत्रों में महिला जनसंख्या के पक्ष में एक जनांकिकीय लाभ विकसित होता गया जबकि यह वर्ग कृषि कार्य हेतु पूर्णतः कुशल नहीं है। समग्र रूप से राज्य का पर्वतीय क्षेत्र निम्न उत्पादकता, आगतों का अभाव, विपणन व्यवस्था का अभाव जैसी समस्याओं के बावजूद उत्तराखण्ड राज्य की जलवायु एवं पारिस्थितिकी इसे उच्च मूल्य कृषि उत्पादों के लिये आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करती है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में जैविक कृषि, औषधीय कृषि, पुष्प उत्पादन, उद्यानीकरण को प्रोत्साहित कर क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को तीव्रता प्रदान की जा सकती है। उत्तराखण्ड राज्य को जैविक प्रदेश के ब्रान्ड के रूप में विकसित कर आर्थिक प्रगति में वृद्धि की जा सकती है।

राज्य में कृषि एवं उद्यान प्रसार कार्यक्रमों को निरन्तर विस्तार दिया जा रहा है। राज्य के 13 जनपदों में आत्मा, परियोजना संचालित की गई जिसके अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर प्रगतिशील किसानों का चयन कर ग्राम स्तर पर कृषि कार्यक्रमों को गति प्रदान की गई। राज्य में प्रतिवर्ष कृषि महोत्सव का आयोजन कर कृषि, उद्यान, पशुपालन, लघु सिंचाई, डेरी, मत्स्य एवं रेशम विभागों द्वारा संचालित कार्यक्रमों को किसानों के सम्मुख रखा गया जिससे अधिक से अधिक किसानों को योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। राज्य सरकार द्वारा **"सरकार किसान के द्वार"** जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

उत्तराखण्ड राज्य में कृषि क्षेत्र को रोजगार परक एवं उत्पादक बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा जैविक कृषि को वृहद योजना के आधार पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैविक कृषि द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादन को उच्च मूल्यों पर निर्यात किया जा रहा है। पारम्परिक कृषि के अतिरिक्त क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप हल्दी, अदरक, जैसी नकद फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य में उद्यानीकरण के अन्तर्गत "जायका" योजना को प्रारम्भ कर 'कीवी' 'सेब' जैसी फलों के उत्पादन हेतु कलस्टर तैयार किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा औषधीय पादपों जैसे "ऐलोवीरा, आवंला, सर्पगन्धा, स्टीविया, गिलोय, किलमोड़ा, ब्राह्मी, लेमनग्रास, झंगोरा, मन्डुवा आदि की व्यावसायिक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं अपितु राज्य सरकार द्वारा "न्यूनतम समर्थन मूल्य" (MSP) पर उत्पादन कय किया जा रहा है जिससे किसानों की आय में लगातार वृद्धि हो रही है।

भारत सरकार द्वारा डिजिटल कृषि मिशन 2021–22 प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय इलेक्ट्रानिक ट्रेडिंग पोर्टल के

माध्यम से कृषि वस्तुओं के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिये, मौजूदा कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है। ENAM (राष्ट्रीय कृषि बाजार) किसानों को बिना किसी मध्यस्थों के हस्तक्षेप के उत्पादों को बेचने में मदद करता है ताकि वह अपने निवेश से प्रतिस्पर्धी मूल्य प्राप्त कर सके। भारत सरकार द्वारा कृषि सम्मान योजना के अन्तर्गत प्रतिवर्ष " ₹ 6000" सम्मान निधि प्रदान की जा रही है। राज्य के कृषक लगातार उक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

5.1.1 उत्तराखण्ड के कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्रों हेतु बजट आवंटन एवं सकल घरेलू उत्पाद में योगदानः– चार्ट 5.1 से स्पष्ट है कि वर्ष 2011–12 से 2023–24 तक राज्य में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र में बजट आवंटन कुल बजट का 2.95 प्रतिशत से 3.92 के मध्य रहा है। वर्ष 2023–24 में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र का GSDP में योगदान 0.66 प्रतिशत रहा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार द्वारा कुल बजट में कृषि एवं सहवर्गीय क्षेत्र हेतु लगातार वृद्धि की है, जोकि निसंदेह कृषि क्षेत्र को बढावा दिये जाने की ओर इंगित करता है।

चार्ट 5.1

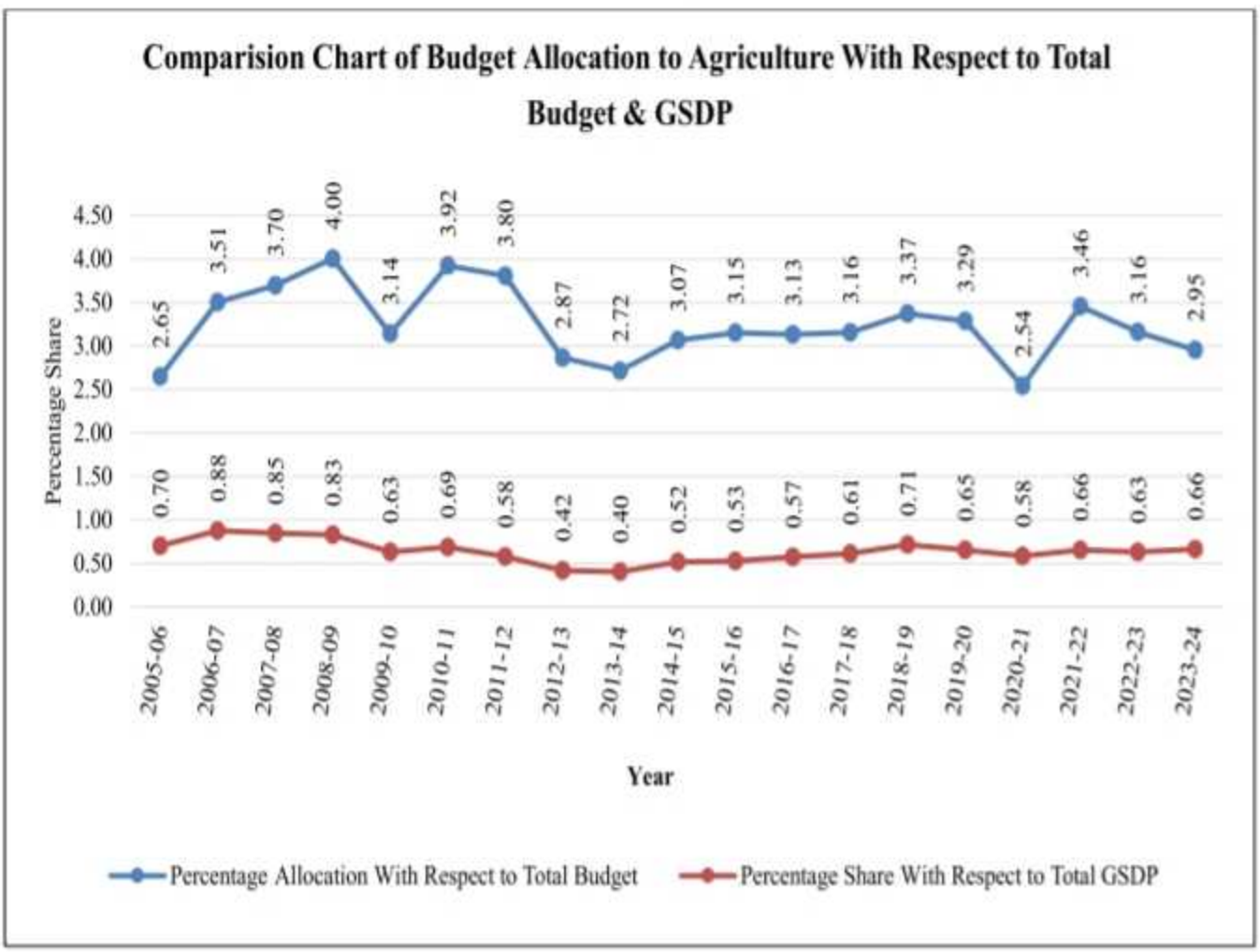

स्रोतः अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड

5.1.2 कृषि जोतें

वर्ष 2015–16 की कृषि गणना के आधार पर प्रदेश में कुल 881305 जोतें हैं। विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जोतों की संख्या एवं क्षेत्रफल का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया जा रहा है–

तालिका सं0–5.1

क्षेत्रफल– हैक्टेयर में

क.स.	क्रियात्मकजोतों की श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचितजन जाति		अन्य		योग	
		संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1	सीमान्त (1.0 हे0 से कम)	109266	40279	15878	6081	533920	237081	659064	283442
2	लघु (1 .0 हे0 से 2 . 0 हे0 तक)	11182	15299	4374	6348	133261	184582	148817	206228
3	सीमान्त व लघु जोतों का योग	120448	55578	20252	12429	667181	421663	807881	489670
4	कुलजोतों के सापेक्ष सीमान्त व लघु जोतों का प्रतिषत	97.29	85.25	71.98	26.79	91.47	66.33	91.67	65.52
5	अर्द्ध–मध्यम (2.0 हे0 से 4 .0 हे0 तक)	2997	7714	4570	13097	50473	134721	58040	155532
6	मध्यम (4 .0 हे0 से 10.0 हे0 तक)	346	1787	3085	17872	11065	59176	14496	78834
7	बृहद (10.0 हे0 से अधिक)	9	114	228	2996	651	20174	888	23284
	कुल योग– (3+5+6+7)	123800	65192	28135	46393	729370	635734	881305	747320

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका– 5.2 मानसून– वित्तीय वर्ष– 2022

वर्षा के सामान्य एवं वास्तविक आंकड़े (अप्रैल, 2024 से दिसम्बर,2024 तक) इकाई– मि0मी0 में।

जनपद		अल्मोड़ा	बागेश्वर	चमोली	चम्पावत	देहरादून	पौड़ी	टिहरी	हरिद्वार	नैनीताल	पिथौरागढ़	रूद्रप्रयाग	उ0सिं0नगर	उत्तरकाशी	औसत उत्तराखण्ड
अप्रैल, 2024	सामान्य	31.1	31.1	47	25.2	36.3	18.8	34.6	18.5	34.8	61.5	67.1	11.2	49.2	39.3
	वास्तविक	2.9	2.8	13.3	2.3	9.8	1	4.7	1	2.6	4.8	2.8	0	13.4	6.2
मई, 2024	सामान्य	50.3	50.3	64	51.2	56.9	33.3	50.1	28.6	72.2	113.1	105.7	37.1	70.4	64.6
	वास्तविक	62.4	117.1	63.7	35.5	9.4	9.2	30	0	33.6	93.9	91.3	7.1	65.6	51.1
जून, 2024	सामान्य	146.3	146.3	104.7	211.9	193.4	150.8	129.5	134.3	265.8	248.9	220	174.5	176.6	176.8
	वास्तविक	41.6	156.1	110.2	95.6	124	39.1	51.4	27	146.9	114	118.4	47.9	76.9	89.5
जुलाई, 2024	सामान्य	274.2	274.2	263.5	473.8	533.6	445.4	332.6	333.6	566.1	542.2	552.7	390.2	425.4	417.8
	वास्तविक	375.4	996	432.8	686.3	675.3	261.4	350.9	267.3	549.2	709.8	517.7	568.9	293.4	481.9
अगस्त, 2024	सामान्य	241.8	241.8	248.2	397.6	498.4	472.1	333.1	355.7	444.3	475.7	568.8	375.5	380.9	385.7
	वास्तविक	248.2	882.8	463.3	201.5	625.8	291.3	353.1	367.1	297.1	425.7	529.9	337.3	480.8	419.4
सितम्बर, 2024	सामान्य	129.1	129.1	103.3	228.3	214.4	202.9	151.5	165.3	259.5	232.5	206.1	184.4	165.1	180.3
	वास्तविक	232.3	522.5	248.8	414.3	326.3	190.9	237	176.6	313.4	361.1	317.3	267.8	241.6	282.6
अक्टूबर, 2024	सामान्य	20.4	20.4	20.4	43.9	36.4	23.6	22.6	16	39	48.2	20.4	35.3	38	31
	वास्तविक	0.2	21.8	1.5	1.1	0	0	0	0	1.8	10.9	1.3	0	0.3	2.9
नवम्बर, 2024	सामान्य	5.1	5.1	7.3	4.6	11.7	2.6	5.1	3.5	5.1	9.7	8.4	0.9	8.3	6.4
	वास्तविक	0	8.3	0	0	0	0	0	0	0	2.4	0	0.1	0	0.7
दिसम्बर, 2024	सामान्य	18.3	18.3	20.6	15	21.1	11.5	18.2	13.6	15.8	15.2	21.2	7.9	23.7	17.5
	वास्तविक	27.6	26	41.8	21.7	52.1	30.5	47.5	29.7	33.2	21.3	32.5	9.6	38.6	33.1
%		-37	28	-10	-64	-25	-19	3	-10	-42	53	-32	78	44	33:15

कृषि कार्यकलापों का मानसून से गहन सम्बन्ध है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2024 के मानसून के मौसम (अप्रैल से दिसम्बर, 2024) के आंकडे निम्नवत् हैं–

5.1.3 क्रॉपिंग पैटर्न– वर्ष 2023–24 के अनुसार कुल बोये गये क्षेत्रफल का 29 प्रतिशत क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत है, जिस कारण यह प्रदेश की मुख्य फसल है। धान के अन्तर्गत 27 प्रतिशत, मंडुवा के अंतर्गत 7 प्रतिशत, गन्ना के अन्तर्गत 10 प्रतिशत, सांवा के अन्तर्गत 4 प्रतिशत, कुल दालों के अंतर्गत 6 प्रतिशत, कुल तिलहन के अन्तर्गत 3 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

कुल तिलहन के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, मक्का के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, जौ के अन्तर्गत 2 प्रतिशत, फल एवं सब्जियों के अन्तर्गत 5 प्रतिशत चारा 3 प्रतिशत एवं अन्य फसलों के अन्तर्गत 2 प्रतिशत क्षेत्र आच्छादित है। शेष कृषि क्षेत्र अन्य कृषि उत्पादों, सब्जियां, मसाले आदि के अन्तर्गत है।

तालिका सं0–5.3

क्र0सं0	फसल का नाम	क्षेत्रफल (प्रतिशत में)
1	गेहूं	29
2	धान	27
3	मण्डुवा	7
4	सांवा	4
5	गन्ना	10
6	मक्का	2
7	जौ	2
8	कुल दालें	6
9	कुल तिलहन	3
10	फल तथा सब्जियां	5
11	चारा	3
12	अन्य फसलें	2

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 5.2

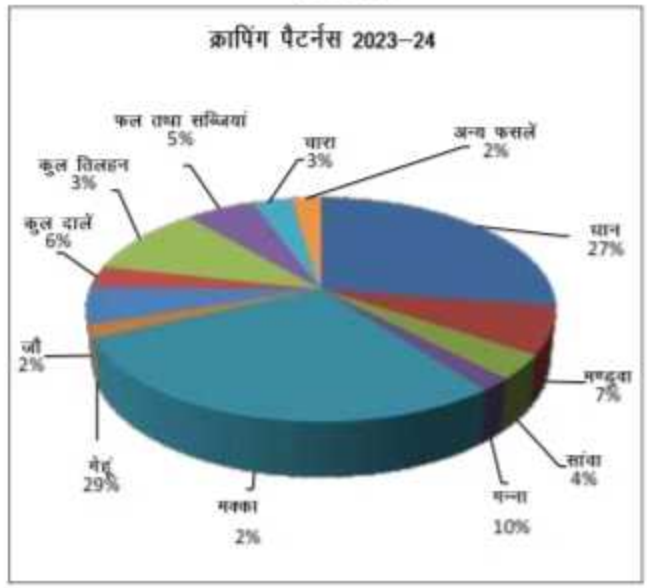

5.1.5 उत्तराखण्ड में खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्रफल

तालिका– 5.4

वर्ष	क्षेत्र('000हैक्टेयर)	उत्पादन('000मी.टन)	उत्पादकता('000कु./हैक्टेयर)
2011–12	909.305	1804.03	1.98
2012–13	898.974	1811.84	2.02
2013–14	872.75	1775.08	2.03
2014–15	875.38	1612.96	1.84
2015–16	866.78	1756.38	2.03
2016–17	867.88	1874.50	2.16
2017–18	842.389	1920.590	2.28
2018–19	814.833	1860.206	2.28
2019–20	806.681	1892.029	2.35
2020–21	782.969	1976.631	2.53
2021– 22	751.384	1886.52	2.51
2022–23	753.014	1774.73	2.36
2023–24	688.103	1796.87	2.61

स्रोतः कृषि विभाग

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य में कृषि भूमि लगातार कम होने के बावजूद भी खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ी है। खाद्यान्न उत्पादन में औसत उत्पादकता बढ़ने का मुख्य कारण उन्नत किस्म के बीजों का वितरण तथा कृषि में नयी–नयी तकनीकों के उपयोग से हुआ है। सतत् विकास लक्ष्य दो को विभिन्न चरणों में पूर्ण करने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जो योजनायें चलायी जा रही है उसका विवरण निम्नानुसार है:–

केन्द्रपोषित योजनायें–

5.1.6 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN)

भारत सरकार द्वारा किसानों को आय सम्बन्धी सहायता दिये जाने हेतु शत–प्रतिशत सहायता के साथ दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से ''प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम–किसान)''योजना लागू की गई है जिसके अन्तर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रति वर्ष रु. 6000 (रूपये छः हजार मात्र) की धनराशि रु. 2000 (रूपये दो हजार मात्र) की तीन समान किश्तों में प्रदान की जा रही है। योजना की किश्तों हेतु निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है :–

- प्रथम किश्त की समयावधि – 01 अप्रैल से 31 जुलाई
- द्वितीय किश्त की समयावधि – 01 अगस्त से 30 नवम्बर
- तृतीय किश्त की समयावधि – 01 दिसम्बर से 31 मार्च

प्रदेश में योजना के संचालन हेतु शासनादेश संख्याः 232 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग तथा शासनादेश संख्याः 233 दिनांक 08 फरवरी, 2019 के द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

1. योजना के उदेश्य–

(1) देश में समस्त किसानों को प्रत्यक्ष आय सम्बन्धी सहायता दिए जाने के प्रयोजनार्थ एक सुव्यवस्थित कार्य व्यवस्था कायम करने के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्र से शतप्रतिशत सहायता के साथ (पीएम–किसान) नाम की एक योजना आरम्भ की गई है।

(2) यह योजना समस्त किसानों को उनके निवेश और अन्य जरूरतों के लिए एक सुनिश्चित आय सहायता सुनिश्चित करते हुए पूरक आय प्रदान करेगी, जिससे उनकी उभरती जरूरतों को तथा विषेश रूप से फसल कटाई के पश्चात सम्भावित आय प्राप्त होने से पूर्व होने वाले संभावित व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

(3) यह योजना उन्हें ऐसे खर्चो को पूरा करते हुए उन्हें साहूकारों के चंगुल में पड़ने से भी बचाएगी और खेती के कार्यकलापों में उनकी निरंतरता सुनिश्चित करेगी। यह योजना उन्हें अपनी कृषि पद्धतियों के आधुनिकीकरण के लिए सक्षम बनाएगी और उनके लिए सम्मानजनक जीवनयापन करने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

2. योजना की प्रगति–

प्रदेश में दिनांकः 31 दिसम्बर, 2024 तक 8.89 लाख कृषक पंजीकृत है तथा ₹ 2926.24 करोड़ की धनराशि निम्नानुसार उपलब्ध करायी जा चुकी है।

तालिका सं0–5.5

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आंवटित धनराशि (करोड़ ₹ में)
1	2018–19	82.82
2	2019–20	432.03
3	2020–21	522.16
4	2021–22	547.77
5	2022–23	481.10
6	2023–24	513.28
7	2024–25	347.08
	कुल योग	**292624**

वर्ष 2023–24 में योजना से लाभान्वित कृषकों का जनपदवार विवरण

तालिका सं0–5.6

क्र॰ सं॰	जनपद का नाम	कुल पंजीकृत कृषक (06.01.2025)	प्रथम ट्राईमेस्टर (अप्रैल से जुलाई 2024)		द्वितीय ट्राईमेस्टर (अगस्त से नवम्बर 2024)		कुल आंवटित धनराशि (लाख रें में)
			कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	कृषकों की संख्या	देय किश्तों की संख्या	
1	अल्मोडा	108717	96584	109735	98493	103932	4273.34
2	बागेश्वर	42431	38587	41783	39658	42080	1677.26
3	चमोली	48411	46079	49716	46528	47894	1952.20
4	चम्पावत	40245	35639	39911	36099	37547	1549.16
5	देहरादून	47187	41103	48408	41384	44208	1852.32
6	हरिद्वार	122590	99187	117338	100209	108726	4521.28
7	नैनीताल	56270	50333	58032	51617	56644	2293.52
8	पौड़ी गढ़वाल	67272	60198	68039	60812	63338	2627.54
9	पिथौरागढ	64053	56675	62689	57940	62590	2505.58
10	रूद्रप्रयाग	41817	37524	41361	37888	39972	1626.66
11	टिहरी गढ़वाल	117807	103779	113568	105235	111326	4497.88
12	उधमसिंहनगर	79795	72983	84621	73745	76421	3220.84
13	उत्तरकाशी	52650	48243	55023	48430	50514	2110.74
महायोगः–		**889245**	**786914**	**890224**	**798038**	**845192**	**34708.32**

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.7 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना–

वर्ष 2024–25 में माह दिसम्बर, 2024 तक 70493 कृषकों का बीमा किया गया। वर्ष 2024–25 में 17503.70 हे. क्षेत्रफल के अन्तर्गत रू. 124.53 करोड़ का बीमा किया गया है। माह फरवरी में बीमा कम्पनी द्वारा औसत उपज के आंकड़ों के आधार खरीफ 2024 की क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की जायेगी। खरीफ 2024 में योजना मैदानी जनपदों में न्यापंचायत/न्यापंचायत समूह एवं पर्वतीय जनपदों में तहसील/तहसील समूह स्तर पर संचालित की जा रही हे।

किसान केडिट कार्ड (KCC) -30 सितम्बर, 2024 तक प्रदेश में 6.14 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये है।

5.1.8 न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support price):- रबी फसलों के वर्ष 2022–23 से 2024–25 में विपणन हेतु भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया हैः–

तालिका–5.7

खाद्य सामाग्री	एम0एस0पी0 2023–23	एम0एस0पी0 2023–24	एम0एस0पी0 2024–25
गेहूँ	2125	2275	2425
जौं	1735	1850	1980

चना	5335	5440	5650
मसूर	6000	6425	6700
सरसों / तोरिया	5450	5650	5950
कुसुम (Safflower)	5650	5800	5940

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

5.1.9 राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई–नाम) (E-National Agricultural Market (e-NAM):- वर्तमान में कुल 20 मण्डी समितियां ई–नाम पोर्टल से जुड़ी हैं। माह दिसम्बर, 2024 तक 91827 कृषक, 6105 व्यापारियों एवं 2717 कमीशन एजेंटों का पंजीकरण ई–नाम पोर्टल पर किया जा चुका है। ई–नाम के अर्न्तगत 74.30 लाख कुन्तल कृषि उत्पाद का ई–ट्रेड किया गया है। वर्तमान तक कुल 374628 लाट की लैब टेस्टिंग की गयी है। इसके अन्तर्गत कुल 151.65 करोड़ के 25319 ई–भुगतान किये गये हैं।

5.1.10 प्रधानमंत्री– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत पर ड्रॉप मोर क्रापघटक (PM-RKVY-PDMC):-

योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 मे ₹ 4666.00 लाख धनराशि का प्राविधान भारत सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष ₹ 1871.949 लाख का आंवटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन के सापेक्ष रू0 1499.19 लाख का व्यय कर उपयोग किया गया है। योजनान्तर्गत वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर (सामुदायिक)–128, चैक डैम (सामुदायिक)–33, जल पम्प–53, नलकूप (उथले, मध्यम, एवं गहरे वाटर टेबल)–110 के कार्य निष्पादित कर कुल 2083 कृषकों को लाभान्वित किया गया है।

5.1.11 राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन (National Mission for Sustainable Agriculture-NMSA):- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढाने के लिय (NMSA) के तहत मुख्य कार्यक्रम / योजनायें संचालित है–

(अ) वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम (RAD):-

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में सतत् कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु कुल 75 क्लस्टरों के लिए ₹ 1250.10 लाख की कार्ययोजना अनुमोदित की गयी हैं तथा रू0 900.00 लाख का केन्द्रांश आवंटित हुआ है। अनुमोदित कार्ययोजनाओं के सापेक्ष राज्यांश सहित कुल रू0 723.33 लाख अवमुक्त किये गये है, जिसके सापेक्ष ₹ 437.10 लाख PFMS के माध्यम से माह दिसम्बर, 2024 तक व्यय किया गया। योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसल पद्धति आधारित 2675 है0 प्रदर्शनों के लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष 1109 है0 क्षेत्रफल में कार्य किये गये है।

(ब) मृदा स्वास्थ्य एवं कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme-SHC),(90 प्रतिशत, केन्द्रपोषित)

वर्ष 2022–23 में भारत सरकार द्वारा योजना का नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड के स्थान पर मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कर दिया गया है। वर्ष 2022–23 में 57424 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किय गये है। वर्ष 2023–24 में में 52368 मृदा नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण करते हुए कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये गये है। वर्ष 2024–25 में रू0 405.56 लाख धनराशि की कार्ययोजना पर जनपदों द्वारा कार्य किया जा रहा है। 100570 मृदा नमूनों के लक्ष्यों के सापेक्ष लगभग 98% की पूर्ति कर ली गयी है।

(स) परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY):-

परम्परागत कृषि को बढावा देने के लिये एवं जैविक उत्पादन प्राप्त करने हेतु विगत वर्षों से योजना प्रदेश के 13 जनपदों के 3900 कलस्टरों में संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत 78000 है0 में जैविक कृषि कार्यक्रम योजनान्तर्गत जैविक खेती पर प्रशिक्षण, जैविक प्रमाणीकरण, एकीकृत खाद प्रबन्धन, मृदा परीक्षण, जैविक उत्पादों का विपणन एवं कृषि यंत्रों हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। वर्ष 2024–25 में ₹ 1553.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिसके सापेक्ष ₹ 1342.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है।

5.1.12 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY-RAFTAR):- योजना में कृषि, उद्यान, रेशम उत्पादन, सगंध पौध की खेती, एन0आई0आर0डी0 आदि विभागों की परियोजनायें सम्मिलित हैं। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अनुमोदित परिवेय/प्राविधान रू0 4008.89 लाख के सापेक्ष ₹ 2459.23 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है तथा प्राप्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 1952.69 लाख की धनराशि का उपयोग किया जा चुका है। 14 परियोजनाओं पर कार्य संचालित है जिसे 6 विभागो द्वारा किया जा रहा है। योजना में उत्पादन वृद्धि के साथ–साथ अवस्थापना विकास के कार्यों को किया जा रहा है।

5.1.13 कृषि विस्तार एंव प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Agricultural Extension and Technology-NMAET):-

इस मिशन को चार उप–मिशन में विभाजित किया गया है।

1. कृषि विस्तार उप–मिशन (SMAE)
2. कृषि यंत्रीकरण उप–मिशन (SMAM)
3. बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (SMSP)
4. पौध संरक्षण एव पादप संगरोध (SMPP)
5. नेशनल ई0– गवरनेंस प्लान एग्रीकल्चर (NeGPA):-

उक्त योजनान्तर्गत (SMPP) के अतिरिक्त अन्य तीनों उप मिशन राज्य में संचालित है।

(1) कृषि विस्तार उप–मिशन (Sub Mission on Agricultural Extension-SMAE):- कृषि प्रसार के सुदृढ़ीकरण के उददेश्य से वर्ष 2024–25 हेतु भारत सरकार द्वारा ₹ 2083.33 लाख की योजना स्वीकृत की गयी है। जिसमें अवमुक्त ₹ 676.56 लाख धनराशि के सापेक्ष ₹ 650.44 लाख की धनराशि का व्यय माह दिसम्बर, 2024 तक कर लिया गया है। योजनान्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक 20580 मानव दिवस प्रशिक्षण, 3667 प्रदर्शन तथा 4607 मानव दिवस भ्रमण कार्यक्रम, 226 क्षमता विकास कार्यक्रम तथा 261 फार्म स्कूल आयोजित किये गये हैं।

(2) कृषि यन्त्रीकरण (Sub Mission on Agricultural Mechanization- SMAM):- इस योजना के अन्तर्गत किसानों में नए कृषि यंत्र/मशीनों को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 मे भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत ₹ 2930.00 लाख अवमुक्त हुआ। ₹ 2153.31 लाख का उपयोग कर इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 20 ट्रैक्टर, 3165 पावर विडर तथा 1260 अन्य पावर चालित एवं 50 मानव चालित आदि यंत्र अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

(3) बीज एवं रोपण सामग्री उप–मिशन (Sub Mission for Seed Planting material SMSP):-

बीज ग्राम कार्यक्रमः– वर्तमान में 30776.00 कुं0 गुणवत्तायुक्त बीज कृषकों को अनुदान पर वितरित किये गये है।

पर्वतीय क्षेत्रों में बीज उत्पादन कार्यक्रम– हिल

सीड बैंक (Hill Seed Bank):-पर्वतीय क्षेत्रों में परम्परागत फसलों को बढ़ावा दिये जाने तथा उनके बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु मडुवा, सांवा, गहथ, काला भटट्, धान, मक्का, गेहूँ एवं मसूर आदि फसलों के बीजों का उत्पादन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में इसे सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2024–25 में रबी सत्र में 100 है0 क्षेत्रफल में बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्पादित किया गया है,

5.1.14 उर्वरक उपभोग –

उर्वरक उपभोग का स्तर वर्ष 2002–03 के 1,25,977 मै0टन स्तर से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 136719 मै0टन हो गया। वर्ष 2023–24 में 154580 मै0टन के लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 146043 मै0टन उर्वरक पोषक तत्वों के रूप में वितरित किया गया है। वर्ष 2024–25 हेतु 271000 मै0टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष गतिमान वर्ष के माह जनवरी, 2025 तक 239000 मै0टन उर्वरक का वितरण किया गया है।

5.1.15 राज्य सेक्टर योजनायें:–

(क) अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य ग्रामों में कृषि विकास योजनान्तर्गत प्रदेश के 74 अनुसूचित जाति एवं 15 अनुसूचित जन–जाति बाहुल्य ग्रामों के लगभग 917 परिवार (6835 कृषक) लाभान्वित करने का लक्ष्य है, जिसे पूर्ण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल बजट प्राविधान ₹ 500.00 लाख अनुसूचित जाति एवं ₹ 200.00 लाख अनुसूचित जनजाति हेतु कुल ₹ 700.00 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है।

5.1.16 स्वच्छता ऐक्शन प्लान– नमामि गंगें क्लीन अभियान

उत्तराखण्ड राज्य में ''स्वच्छता ऐक्शन प्लान–नमामि गंगें क्लीन अभियान'' का कियान्वयन वर्ष 2017–18 से प्रथत चरण में गंगा बेसिन पर बसे प्रदेश के 05 जनपदों यथा चमोली (220 है0), उत्तरकाशी (300 है0), पौड़ी (80 है0), रूद्रप्रयाग (120 है0) एवं टिहरी (120 है0) में चिन्हीत 42 ग्राम पंचायतों में परम्परागत कृषि विकास की गाईडलाईन के अनुसार किया गया है।

भारत सरकार द्वारा द्वितीय चरण में योजनान्तर्गत कुल 50000.00 है0 क्षेत्रफल में योजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020–21 से जनपद हरिद्वार में 10000 है0, टिहरी में 20000 है0, चमोली में 5000 है0, उत्तरकाशी में 5000 है0, रूद्रप्रयाग में 5000 है0, पौड़ी में 5000 है0 एवं देहरादून में 500 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत उत्पादित जैविक उत्पादों का विपणन नमामि गंगे ब्रांड के अन्तर्गत किया जा रहा है।

5.1.17 मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना:– राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित यह योजना वर्ष 2020–21 से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 3500.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है।

5.1.18 उत्तराखण्ड स्टेट मिलेट मिशन

उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड मिलेट्स मिशन शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य राज्य भर के छोटे और सीमांत किसानों को मिलेट्स उगाने के लिए इनपुट के साथ–साथ विपणन आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा रु0 73.16 करोड का पॉच वर्ष (वर्ष 2023–24 से 2027–28 तक) हेतु स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मिशन का प्रमुख उद्देश्य

- घरेलू स्तर की खपत को बढ़ावा देना।

- विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना
- लक्षित मिलेट्स फसलों (मण्डुवा व सांवा) की उत्पादकता में सुधार लाना।
- किसान सामूहिक और विपणन को बढ़ावा देना।
- विपणन स्वीकार्यता, लोकप्रियकरण और उत्पादों के प्रचार की योजना बनाना।
- मिलेटस को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल करना।
- कृषक समुहो का क्षमता विकास।
- एफ0पी0ओ0 को प्रोत्साहन एवं सुदृढ़ीकरण।

मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण– प्रदेश में खाद्य विभाग, मिड डे मिल, ऑगनबाडी तथा बाल विकास विभाग की मॉग के क्रम में मण्डुवा एवं सॉवा फसलों का अन्तःग्रहण कृषकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सहकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिस हेतु निम्न व्यवस्था बनाई गई है–

1. पर्वतीय क्षेत्र में PACS पर मंडुवा क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। जिन न्यायपंचायत में मंडुवा की उपलब्धता अधिक होगी ऐसे स्थानों पर एक से अधिक क्रय केन्द्र भी स्थापित किये गये।

2. मंडुवा उत्पादक कृषक लघु कृषक हैं, अतः ग्राम स्तर पर 257 समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 को उपक्रय केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया।

3. कृषक समूह/एल0सी0/एल0सी0एफ0 स्तर पर अथवा PACS स्तर पर स्थापित क्रय केन्द्र पर मंडुवा विक्रय हेतु देने के लिए स्वतन्त्र होंगे।

4. समूह द्वारा अपने से सम्बन्धित कृषकों से मंडुवा क्रय किया जायेगा, जिसके मानक उनको सम्बन्धित PACS द्वारा अवगत करायें जायेंगे।

5. समूह को मंडुवा क्रय कार्य के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ₹ 150.00 प्रति कु0 की दर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

6. विगत पॉच वर्षो में मिलेट फसलों का अन्तःग्रहण के लक्ष्य निम्नवत है–

5.2 गन्ना विकास एवं चीनी (Sugar and Cane)

5.2.1 चीनी मिलें– पेराई सत्र 2024–25 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2023–24 हेतु कुल ₹ 305.80 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 31. 12 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2023–24 में राज्य की समस्त चीनी मिलों का औसत चीनी परता 10.18 प्रतिशत है।

तालिका सं0–5.8

मात्रा–मै0 टन में

क0 सं0	फसल	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25	वर्ष 2025–26	वर्ष 2026–27	वर्ष 2027–28
1	मण्डुवा	10000	10000	12000	14000	18200
2	सॉवा	320	320	320	320	320
कुल योग		**1320**	**10320**	**12320**	**14320**	**18520**

स्रोतः कृषि विभाग, उत्तराखण्ड

पेराई सत्र 2024–25 हेतु अध्यावधिक तक कुल 168.53 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई करते हुऐ 14. 58 लाख कुन्तल चीनी का उत्पादन किया गया, तथा अंकन ₹ 625.95 करोड़ के सापेक्ष अंकन ₹ 374.09 करोड़ गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

5.2.2 सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजना : सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन

योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 111.69 लाख का परिव्यय रखा गया है।

5.2.3 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 44.22 लाख के सापेक्ष अंकन ₹ 44.22 लाख की धनराशि प्राविधानित की गई है। जिसके सापेक्ष में ₹ 11.06 लाख अवमुक्त किये गये।

5.2.4 मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन 103.36 लाख की कार्ययोजना को समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष विभाग को आतिथि तक धनराशि अप्राप्त है। **अर्न्तग्रामीण सड़क निर्माण योजना** के अर्न्तगत कार्यरत कार्मिकों के लम्बित देयकों का भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु अंकन ₹ 110.00 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अंकन ₹ 110.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है।

1. गन्ना विकास/प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कार्मिकों हेतु अनुदान मद में वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 373.68 लाख की धनराशि प्राविधानित है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ₹ 300.00 लाख की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। जिसके सापेक्ष ₹ 229.91 लाख रू0 व्यय हो चुका है।

5.2.5 गन्ना कृषकों को ऋण वितरण : वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऋण विवरण ₹ 15.45 करोड़ कृषि निवेश यथा उर्वरक, रसायन, कृषि यंत्र, गन्ना बीज आदि नावार्ड ऋण में वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि निवेशों के रूप में अंकन ₹ 06.43 करोड़ का नाबार्ड ऋण 31.12.2024 तक कृषकों को वितरित किया गया है।

5.2.6 गन्ना कृषकों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण :– गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित गन्ना किसान संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र काशीपुर द्वारा गन्ना शोध से सम्बन्धित विशेषज्ञ वैज्ञानिकों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में अध्यावधिक तक ग्राम स्तरीय 59 कृषक प्रशिक्षण कर 3091 कृषकों को एवं 59 कर्मचारी प्रशिक्षण कर 736 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। एक शरदकालीन गोष्ठी में 105 कृषक एवं 141 कर्मचारी/अधिकारी कुल 246 को प्रशिक्षित किया गया है।

5.2.7 शरदकालीन गन्ना बुवाई हेतु प्रजनक बीज गन्ना का आवंटन : वित्तीय वर्ष 2024–25 वास्ते वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु गन्ना शोध केन्द्रों से प्रजनक गन्ना बीज की चीनी मिल परिक्षेत्रों कुन्तल के सापेक्ष गन्ना शोध केन्द्रों पर गन्ना बीज की उपलब्धता के अनुसार 4630.00 कुन्तल प्रजनक गन्ना बीज का आवंटन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु राज्य में गन्ना क्षेत्रफल 1.00 लाख हेक्टेयर किये जाने का लक्ष्य है।

5.2.8 गन्ना पेराई एवं चीनी उत्पादन : पेराई सत्र 2024–25 में राज्य में कुल 08 चीनी मिलें (02 सहकारी क्षेत्र, 02 सार्वजनिक क्षेत्र एवं 04 निजी क्षेत्र) संचालित है। राज्य की चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2024–25, 2023–24, 2022–23, 2021–22 एवं पेराई सत्र 2020–21 में की गई गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं चीनी परता का तुलनात्मक विवरण निम्नवत प्रस्तुत है :–

तालिका 5.9

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	पेराई सत्र 2024–25 (07.01.2025 तक)	पेराई सत्र 2023–24	पेराई सत्र 2022–23	पेराई सत्र 2021–22	पेराई सत्र 2020–21
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गन्ना पेराई	लाख कुन्तल	168.53	305.80	484.06	436.42	378.09
2	चीनी उत्पादन	लाख कुन्तल	14.58	31.12	48.76	44.18	41.55
3	औसत चीनी परता	प्रतिशत	–	10.18	10.07	10.12	10.99

स्रोतः गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड

5.3 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागः– राज्य की कृषि जलवायु एवं भौगोलिक परिस्थितियॉ विभिन्न औद्यानिक फसलों (फल, सब्जी, मसाला, पुष्प, मशरूम तथा मौनपालन) के उत्पादन हेतु अत्यधिक अनुकूल है। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इन फसलों के विकास हेतु व्यापक प्रयास किये जा रहे हैं।

राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल 53.48 लाख हैक्टेयर में से लगभग 6.96 लाख हैक्टेयर भू–भाग कृषि फसलों के अन्तर्गत है। वर्ष 2023–24 के औद्यानिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल 1.73 लाख है0 क्षेत्रफल में 11.26 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें से फलों के अन्तर्गत 0.80 लाख है0 क्षेत्रफल में 3.60 लाख मै0टन उत्पादन, सब्जियों के अन्तर्गत 0.58 लाख है0 में 4.77 लाख मै0टन उत्पादन, आलू के अन्तर्गत 0.17 लाख है0 में 1.92 लाख मै0टन उत्पादन, मसालों के अन्तर्गत 0.18 लाख है0 में 0.95 लाख मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही फूलों की खेती 644 है0 में की जाती है, जिसमें लगभग 2259.94 मै0टन खुले पुष्प व 3.75 करोड़ डंडीयुक्त एवं बल्वयुक्त पुष्पों का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में लगभग 1,600 मै0टन शहद का उत्पादन तथा लगभग 20,000 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जाता है। औद्यानिक गतिविधियों से प्रदेश के लगभग 4.50 लाख कृषक जुड़े हुए हैं, जिसमें 88 प्रतिशत लघु एवं मझौलें कृषक है। राज्य मे औद्यानिकी फसलों का वार्षिक व्यवसाय लगभग ₹ 3350 करोड़ का किया जा रहा है तथा राज्य के कृषि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में औद्यानिकी क्षेत्र का (खाद्य प्रसंस्करण सहित) 30 प्रतिशत से अधिक भागेदारी है।

जनपदवार फल, सब्जी, आलू, मसाला तथा पुष्पों के अन्तर्गत आच्छादित क्षेत्रफल एवं उत्पादन के आंकड़े
(वर्ष 2022–23 एवं 2023–24)
तालिका सं0–5.10

(क्षेत्रफल है0 में, उत्पादन–मै0टन में, स्पाईक/कटफ्लावर लाख संख्या में)

क्र0 सं0	जनपद	2022–23											2023–24										
		फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प			फल		सब्जी		आलू		मसाला		पुष्प		
		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन		क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	क्षे0	उत्पादन	
											स्पाईक	लूज										स्पाईक	लूज
1	नैनीताल	9684	86768	5386	40943	1440	16211	2343	12499	52	73	196	9744	86610	5396	41636	1444	16215	2346	12491	54	85	198
2	उधमसिंहनगर	7985	63199	9094	117386	2443	50738	1435	11997	148	85	663	8142	63593	8825	106679	2446	50776	1437	12014	149	90	686
3	अल्मोड़ा	8020	28451	3508	17224	758	4436	1868	6605	19	1	52	8040	27856	3637	17244	762	7998	1884	6798	20	2	55
4	बागेश्वर	2459	7698	1264	6452	735	4574	447	2753	7	0.03	5	2483	7639	1272	6527	737	4576	449	2756	8	0.11	4
5	पिथौरागढ़	5888	15990	3134	27120	1096	8954	661	4234	15	0.55	9	5913	15996	3217	27621	1122	9446	683	4329	18	3	12
6	चम्पावत	4118	7941	2374	15651	899	8639	1220	6421	7	6	7	4123	7503	2389	15684	900	8642	1227	6427	6	8	11
7	देहरादून	8528	32784	5323	46475	580	9996	2501	14412	94	0	146	8672	30292	4973	35080	587	11293	2446	13522	71	95	103
8	पौड़ी	9047	21474	3422	22718	634	3520	1670	8240	32	1	58	6567	14909	3073	19862	676	4865	1427	7258	38	3	53
9	टिहरी	5108	21476	5776	53213	1828	16779	2012	15301	66	2	337	5099	20973	5782	53280	1833	16809	2016	15340	67	2	336
10	चमोली	3390	7161	1925	11882	693	4509	572	1527	21	0.35	17	3465	6781	1882	9750	706	4801	600	1567	25	0.5	23
11	रूद्रप्रयाग	2266	2689	1278	1822	717	1046	659	495	13	0	9	2050	2651	1294	1876	710	885	664	549	12	0	11
12	उत्तरकाशी	8644	38837	10770	56551	3990	30883	1611	3852	3	0	4	8799	39749	11015	58015	4022	32166	1709	3886	4	0	4
13	हरिद्वार	6548	34972	5009	84344	1263	23631	1024	8509	185	434	844	6599	35462	4961	84203	1227	23050	977	7873	169	87	764
	योग	81692	369447	58268	501786	17083	183921	18030	96849	669	606	2348	79695	360014	57716	477456	17171	191522	17866	94810	644	375	2260

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.1 . औद्यानिक कलस्टरः–

बागवानी मिशन के अन्तर्गत राज्य की भौगोलिक एवं कृषि जलवायु के अनुसार क्लस्टरों का चयन कर क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत कुल 1050 क्लस्टर चयनित किये गये हैं, जिनमें 6,563 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनमें से 384 क्लस्टर फलों के, 437 क्लस्टर सब्जियों के 179 क्लस्टर मसालों तथा 50 क्लस्टर फूलों के चयनित किये गये हैं। वर्तमान में चयनित क्लस्टरों एवं गॉवों में कुल 51,032 है0 क्षेत्रफल आच्छादित किया जा चुका है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

तालिका 5.11

क्र0 सं0	जनपद	फल			सब्जी			मसाला		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	उधमसिंहनगर	10	56	613	10	63	392	12	35	221
02	नैनीताल	18	140	5176	5	34	875	4	40	352
03	अल्मोड़ा	70	670	437	55	576	508	29	332	359
04	बागेश्वर	14	128	323	10	107	366	9	87	203
05	पिथौरागढ़	35	191	702	33	381	520	32	408	290
06	चम्पावत	38	145	865	48	155	802	41	165	430
07	हरिद्वार	26	78	673	25	95	934	3	18	216
08	देहरादून	19	159	4678	27	155	2627	9	101	806
09	टिहरी	8	53	544	10	56	641	2	15	296
10	पौड़ी	26	167	11738	59	158	712	6	70	201
11	चमोली	13	155	573	9	103	423	4	43	248
12	रूद्रप्रयाग	26	176	555	24	169	872	20	139	207
13	उत्तरकाशी	81	307	4972	122	255	3694	8	82	292
	कुल योग	**384**	**2425**	**31849**	**437**	**2307**	**13366**	**179**	**1535**	**4121**

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

तालिका 5.12

क्र0 सं0	जनपद	पुष्प			कुल		
		क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)	क्लस्टरों की संख्या	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (है0)
01	उधमसिंहनगर	11	28	59	43	182	1285
02	नैनीताल	3	23	40	30	237	6443

03	अल्मोड़ा	3	14	48	157	1592	1352
04	बागेश्वर	1	7	47	34	329	939
05	पिथौरागढ़	-	-	12	100	980	1524
06	चम्पावत	-	-	–	127	465	2097
07	हरिद्वार	6	17	387	60	208	2210
08	देहरादून	10	96	381	65	511	8492
09	टिहरी	1	7	77	21	131	1558
10	पौड़ी	3	15	84	94	410	12735
11	चमोली	1	10	89	27	311	1333
12	रूद्रप्रयाग	10	79	275	80	563	1909
13	उत्तरकाशी	1	0	197	212	644	9155
	कुल योग	**50**	**296**	**1696**	**1050**	**6563**	**51032**

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.2 परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कलस्टर

तालिका 5.13

क्र0 सं0	जनपद	फल		सब्जी		मसाला	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	23	460	188	2360	93	1855
2	देहरादून	0	0	66	1320	34	680
3	हरिद्वार	0	0	25	500	0	0
4	पौडी	0	0	50	487	35	1046
	कोट द्वार	0	0	29	580	51	1020
5	उत्तरकाशी	0	0	48	949.52	2	38.48
6	रूद्रप्रयाग	0	0	30	600	5	100
7	चमोली	9	180	18	360	10	200
8	पिथौरागढ	49	980	56	1120	8	160
9	अल्मोडा	14	280	76	1520	37	740
10	बागेश्वर	26	520	11	220	13	260
11	चम्पावत	8	160	26	520	6	120
12	नैनीताल	0	0	44	880	9	180
13	उ0सिं0नगर	10	200	13	260	0	0
	योग	**139**	**2780**	**680**	**11676.52**	**303**	**6399.48**

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

तालिका 5.14

क0 सं0	जनपद	आलू		पुष्प		जड़ी–बूटी		कुल योग	
		कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)	कलस्टर	क्षे0 (है0)
1	टिहरी	66	1325	0	0	0	0	300	6000
2	देहरादून	0	0	0	0	0	0	100	2000
3	हरिद्वार	0	0	0	0	0	0	25	500
4	पौड़ी	15	467	0	0	0	0	100	2000
	कोटद्वार	14	280	0	0	0	0	94	1880
5	उत्तरकाशी	26	532	0	0	0	0	76	1520
6	रूद्रप्रयाग	5	100	5	100	0	0	45	900
7	चमोली	11	220	6	120	9	180	63	1260
8	पिथौरागढ	1	20	0	0	4	80	118	2360
9	अल्मोडा	0	0	1	20	0	0	128	2560
10	बागेश्वर	3	60	0	0	0	0	53	1060
11	चम्पावत	10	200	0	0	0	0	50	1000
12	नैनीताल	13	260	0	0	0	0	66	1320
13	उ0सिं0नगर	0	0	0	0	0	0	23	460
	योग	164	3464	12	240	13	260	1241	24820

स्रोतः उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तराखण्ड

5.3.3 फल उत्पादनः–राज्य में विभिन्न प्रकार की कृषि जलवायु होने के कारण शीतोष्ण एवं समशीतोष्ण फलों का उत्पादन किया जाता है। फलों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 है0 में बागान स्थापित किये जाते हैं।

5.3.3.1 शीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से शीतोष्ण फल सेब, आड़ू, नाशपाती, अखरोट, प्लम, खुबानी आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से सेब 11,594 है0 में खेती करते हुए 43,659 मै0टन, आड़ू 5,515 है0 में खेती करते हुए 35,930 मै0टन, प्लम 2,649 है0 में खेती करते हुए 12,141 मै0टन, खुबानी 2,260 है0 में खेती करते हुए 8,601 मै0टन, नाशपाती 3,700 है0 में खेती करते हुए 19,972 मै0टन व अखरोट 5,683 है0 में खेती करते हुए 9,565 मै0टन उत्पादन किया जाता है। राज्य में जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत सेब की नवीनतम स्पर प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा, अखरोट एवं अन्य गिरीदार फलों, रंगीन नाशपाती तथा आड़ू को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हाई वैल्यू क्रॉप के रूप में कीवी आदि फसलों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

5.3.3.2 समशीतोष्णः– राज्य में मुख्य रूप से समशीतोष्ण फल आम, लीची, अमरूद, आंवला, अनार व नीबू वर्गीय आदि का उत्पादन किया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से आम 21,197 है0 में खेती करते हुए 1,12,057 मै0टन, नीबू वर्गीय फलों की 10,068 है0 में खेती करते हुए 36,487 मै0टन, लीची 5,312 है0 में खेती करते हुए 19,173 मै0टन, आवंला 1,004 है0 में खेती करते हुए 4,075 मै0टन, अमरूद 4,825 है0 में खेती करते हुए 38,391 मै0टन उत्पादन किया जाता है।

5.3.4 सब्जी उत्पादनः— राज्य में विभिन्न प्रकार की सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। सब्जियों के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4000 कु0 बीज कास्तकारों को निर्धारित राज सहायता पर वितरित किया जाता है।

राज्य में उत्पादित होने वाली मुख्य रूप से सब्जियों के अन्तर्गत मटर की खेती 11,450 है0 में करते हुए 82,483 मै0टन उत्पादन, मूली की खेती 4,207 है0 में करते हुए 38,115 मै0टन उत्पादन, फ्रासबीन की खेती 4,322 है0 में करते हुए 22,338 मै0टन उत्पादन, बन्दगोभी की खेती 4,725 है0 में करते हुए 46,843 मै0टन उत्पादन, फूलगोभी की खेती 2,811 है0 में करते हुए 28,680 मै0टन उत्पादन, प्याज की खेती 4,029 है0 में करते हुए 41,390 मै0टन उत्पादन, सगिया मिर्च की खेती 2,367 है0 में करते हुए 11,554 मै0टन उत्पादन, भिण्डी की खेती 3,085 है0 में करते हुए 20,152 मै0टन उत्पादन, टमाटर की खेती 6,060 है0 में करते हुए 62,137 मै0टन उत्पादन, बैगन की खेती 2,136 है0 में करते हुए 22,752 मै0टन उत्पादन व अन्य सब्जियों की खेती 12,524 है0 में करते हुए 1,01,010 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.5 आलू उत्पादनः— वर्तमान में आलू की खेती 17,171 है0 में करते हुए 1,91,522 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है। आलू के क्षेत्र विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 4,200 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है।

5.3.6 मसाला उत्पादनः— राज्य में मुख्य रूप से हल्दी, अदरक, मिर्च, लहसुन, धनिया, बड़ी इलायची आदि की खेती की जाती है। मसाला विस्तार हेतु प्रतिवर्ष लगभग 7,000 कु0 बीज कास्तकारों को वितरित किया जाता है। मसालों के अन्तर्गत हल्दी की खेती 3,260 है0 में करते हुए 27,456 मै0टन उत्पादन, अदरक की खेती 4,590 है0 में करते हुए 33,090 मै0टन उत्पादन, मिर्च की खेती 3,513 है0 में करते हुए 10,041 मै0टन उत्पादन, लहसुन की खेती 2,939 है0 में करते हुए 14,068 मै0टन उत्पादन, धनिया की खेती 1,846 है0 में करते हुए 3,653 मै0टन उत्पादन, बड़ी इलायची की खेती 55 है0 में करते हुए 43 मै0टन उत्पादन, मेथी की खेती 856 है0 में करते हुए 2,918 मै0टन उत्पादन व अन्य मसालों की खेती 806 है0 में करते हुए 3,541 मै0टन उत्पादन किया जाता है।

5.3.7 पुष्प उत्पादनः— राज्य में पुष्पों की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य इसकी बढ़ती हुई मांग तथा दिल्ली/चण्डीगढ़ का बाजार नजदीक होना है। वर्तमान में लगभग 669 है0 हो गयी है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से कट फ्लावर के अन्तर्गत मुख्य रूप से जरबेरा, कारनेशन, ग्लेडियोलाई व लिलियम तथा लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा व अन्य पुष्पों का उत्पादन किया जाता है, जिसके अन्तर्गत जरबेरा की खेती 45 है0 में करते हुए 161 लाख स्पाईक, कारनेशन की खेती 5 है0 में करते हुए 20 लाख स्पाईक, ग्लेडियोलाई की खेती 61 है0 में करते हुए 104 लाख स्पाईक व लिलियम की खेती 11 है0 में करते हुए 22 लाख स्पाईक उत्पादित की जा रही है। साथ ही लूज फ्लावर के अन्तर्गत गेंदा की खेती 326 है0 में करते हुए 1840 मै0टन उत्पादन, गुलाब की खेती 116 है0 में करते हुए 211 मै0टन उत्पादन, रजनीगंधा की खेती 5 है0 में करते हुए 3 मै0टन उत्पादन व अन्य पुष्पों की खेती 76 है0 में करते हुए 206 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.8 संरक्षित खेतीः— कम जोत में अधिक एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादन के दृष्टिगत राज्य में सब्जी तथा पुष्पों की खेती पॉलीहाउस, शेडनेट हाउस के अन्तर्गत की जा रही है। वर्तमान में लगभग 17.50 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में पॉलीहाउस स्थापित हैं, जिसमें से लगभग 60 प्रतिशत पुष्पों के अन्तर्गत व शेष सब्जी के अन्तर्गत आच्छादित हैं। संरक्षित

खेती को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवर्ष पॉलीहाउस की स्थापना की जा रही है। साथ ही फलों को ओलावृष्टि से होने वाली क्षति से बचाव हेतु प्रतिवर्ष लगभग 30.00 लाख वर्गमीटर एन्टी हेलनेट कृषकों को निर्धारित राज सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है।

5.3.9 मौनपालन उत्पादनः—राज्य में 6,162 मौनपालकों द्वारा लगभग 2.71 लाख मौनवंशों के माध्यम से वर्ष 2024–25 में लगभग 1,700 मै0टन शहद का उत्पादन किया जा रहा है।

5.3.10 मशरूम उत्पादनः— इस योजना के अन्तर्गत कास्तकारों को 50 प्रतिशत राजसहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जा रहा है, साथ ही ग्राम स्तर पर मशरूम उत्पादन, पैकिंग तथा विपणन सम्बंधी प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। बटन मशरूम उत्पादन हेतु प्राकृतिक रूप से 170 इकाईयॉ, नियन्त्रित वातावरण में 13 इकाईयॉ तथा ओस्टर व मिल्की मशरूम उत्पादन हेतु 145 इकाईयॉ स्थापित हैं। वर्तमान तक राज्य में लगभग 20,000 मै0टन मशरूम का उत्पादन किया जा रहा है।

6.1 फसल बीमा योजनाः—मौसम रबी 2023–24 तथा खरीफ 2024 में 1,21,704 कृषकों की फसलों का बीमा किया गया है।

6.2 राष्ट्रीय उद्यान मिशन योजना (HMNEH) – वित्तीय वर्ष 2024–25 में इस योजनान्तर्गत ₹ 41.67 करोड़ की कार्य योजाना स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत मुख्य रूप से 437 है0 में फलों, 573 है0 में सब्जियों, 30 है0 में मसाला व 70 है0 में पुष्पों का क्षेत्रफल विस्तार, 07 इकाई जल स्त्रोतों का सृजन, 437 है0 क्षेत्रफल में प्लास्टिक मल्चिंग, 20,900 वर्गमी0 संरक्षित खेती, 6.36 लाख वर्गमी0 एन्टी हेलनेट की स्थापना भी की गई है। यह भारत सरकार के 90% वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है।

6.3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का Per Drop More Crop घटकः— भारत सरकार के 90 प्रतिशत वित्तीय सहयोग से संचालित की जा रही है। वर्ष 2024–25 में लगभग 699.60 है0 क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना की गयी।

6.4 औद्यानिकी के क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयासः— राज्य में निवेश औद्यानिकी के क्षेत्र में लगभग ₹ 4679.11 करोड़ के निवेश हेतु कुल 100 निवेशकों द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षरित किये गये, जिसमें ₹ 43. 60 करोड़ के प्रस्तावों की ग्राउन्डिंग की गयी है।

6.5 पैक हाउसः— राज्य में औद्यानिक उत्पादों के सग्रंहण, ग्रेडिंग/पैकिंग व्यवस्था हेतु लगभग 1,380 पैक हाउस स्थापित किये गये हैं।

6.6 कोल्ड चैनः— उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कुल 24 कोल्ड चैन इकाईया (जनपद उधमसिंहनगर में 16, नैनीताल में 02, हरिद्वार में 02 व देहरादून में 02) स्थापित हैं। इन कोल्ड चैन इकाईयों में 21 इकाईयॉ औद्यानिकी आधारित हैं, जिनकी वार्षिक क्षमता लगभग 64,508 मै0टन है एवं दुग्ध आधारित 02 कोल्ड चैन इकाईयों की क्षमता 187.60 कि0लीटर प्रतिदिन है।

6.7 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयॉः— उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में स्थापित प्रसंस्कृत इकाईयों की उत्पादन क्षमता लगभग 01 प्रतिशत थी, जो कि वर्तमान में लगभग 13 प्रतिशत चल रही है। राज्य में औद्यानिकी आधारित HMNEH योजनान्तर्गत 66 खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित हो चुकी है, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 2.70 लाख मै0टन है। इसके अतिरिक्त राज्य में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत कोल्ड चैन घटक में 29

प्रस्ताव स्वीकृत हैं जो कि खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां ही है। इसी योजनान्तर्गत हिमालयन काशीपुर में 06 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

6.8 मेगा फूड पार्क:– राज्य में रू0 100–100 करोड़ की लागत से पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क जनपद हरिद्वार में 16 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित है तथा दूसरा हिमालय मेगा फूड पार्क, महुआखेड़ा, काशीपुर, उधमसिंहनगर में 25 खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित किया गया है तथा विभाग द्वारा मेगा फूड पार्क में स्थापित इकाईयों के लिए इन्सेंटिव के रूप में बिजली, ब्याज इत्यादि पर छूट दिये जाने का प्राविधान राज्य योजना से किया गया है।

6.9 मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास:– कोविड–19 के दौरान राज्य में वापस आये प्रवासियों एवं उत्तराखण्ड राज्य में पूर्व से औद्यानिकी से जुड़े कृषकों को कम समय में उत्पादन कर आय हेतु राज्य सरकार द्वारा "मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना" का कियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रु0 1400.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत कृषकों को फल–पौध, सब्जी–बीज, मसाला बीज, पुष्प बीज/बल्ब 50 प्रतिशत राजसहायता पर , कीटनाशन रसायन 60 प्रतिशत राजसहायता पर तथा कृषक समूह, कृषक उत्पादक संघ आदि को नियन्त्रित वातावरण में परिवहन एवं भण्डार हेतु कूल हाउस/रेफ्रिजरेटेड वैन पर 50 प्रतिशत राजसहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वर्ष 2024–25 में लगभग 2.70 लाख फल पौध, 87.09 कुन्तल सब्जी, 211.60 कु0 लहसुन/मसाला बीज, 474 कि0/ली0 पौध रक्षा रसायन का वितरण, 09 फल पौधशालाओं की स्थापना, 10.00 है0 में घेरबाड़ किया गया है।

6.10 उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना:– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु0 526.00 करोड़ की "उत्तराखण्ड एकीकृत औद्यानिक विकास परियोजना" स्वीकृत की गई है। इसका कियान्वयन जनपद उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ में किया जायेगा। वर्ष 2024–25 में ₹ 15.44 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

मुख्य पहलें:–

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME)**:– असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को संगठित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजनान्तर्गत इकाई स्थापना करने हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में 25 प्रतिशत अतिरिक्त (कुल 60 प्रतिशत) राजसहायता प्रदान करने हेतु शासनादेश जारी कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग रू0 56.00 करोड़ के निवेश से 760 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 630 इकाईयों द्वारा स्थापना उपरान्त व्यवसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है। इन इकाईयों से लगभग 2520 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2024–25 में योजनान्तर्गत 1000 सूक्ष्म खाद्य इकाईयों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष लगभग 150 इकाई स्थापित हो चुकी है।

- **सेब की अति सघन बागवानी**:– कम क्षेत्रफल में अधिक उत्पादन प्राप्त करते हुए कृषकों की आय में गुणात्मक वृद्वि हेतु सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देते हुए कृषकों को 60 प्रतिशत राज सहायता पर आगामी 08 वर्षों में 5000 है0 सेब के अति सघन बागान स्थापित कराये जायेगें, जिसके अन्तर्गत लगभग कुल ₹ 808.79 करोड़ व्यय किया जायेगा, जिससे लगभग 45,000 से 50,000 रोजगार सृजन होंगे। उच्च उत्पादन क्षमता वाली उन्नत प्रजातियों तथा क्लोनल मूलवृन्त के प्रयोग से सूक्ष्म सिंचाई सुविधा के साथ

सुनियोजित बागवानी तकनीकी अपनाते हुए उच्च सघन रोपण को बढ़ावा देने हेतु कृषकों को 03 विकल्प यथा–1- M-9 रूटस्टॉक हेतु ₹ 12.365 लाख प्रति एकड़, 2- MM-111 रूटस्टॉक हेतु ₹ 7. 86 लाख प्रति एकड़ एवं 3. सीडलिंग आधारित हेतु ₹ 3.34 लाख प्रति एकड़ उपलब्ध कराते हुए 60 प्रतिशत राजसहायता से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2023–24 में 138.17 हैक्टेयर क्षेत्रफल सेब की अति सघन बागवानी के अन्तर्गत आच्छादित किया गया तथा वर्ष 2024–25 में 500 हैक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 35. 00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

• **कीवी उत्पादनः**– राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (CMRKVY) का संचालन जनपद चमोली, रूद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर एवं चंपावत में किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अनुमन्य लागत ₹ 12.00 लाख प्रति एकड़ का 80 प्रतिशत अर्थात् ₹ 9. 60 लाख प्रति एकड़ प्रदान की जा रही है। बाजार में कीवी की अत्यधिक मॉग, विभिन्न रोगों के उपचार एवं पौष्टिक गुणों के दृष्टिगत कीवी उत्पादन के माध्यम से कृषकों की आय में कई गुना वृद्वि संभव है। योजनान्तर्गत 104 इकाई स्थापित हो चुकी है।

• **ड्रैगन फ्रूट उत्पादन को बढ़ावाः**– राज्य में उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजनान्तर्गत ₹ 15. 00 करोड़ ड्रैगन फ्रूट हेतु योजना स्वीकृत करायी गयी है, जिस हेतु ₹ 1.90 करोड़ अवमुक्त किये जा चुके हैं। वर्तमान में उत्तराखण्ड में लगभग 35 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की बागवानी करते हुए 70 मै0टन उत्पादन किया जा रहा है।

• **पॉलीहाउस स्थापनाः**– नाबार्ड की आर0 आई0 डी0 एफ0 योजनान्तर्गत क्लस्टर अवधारणा अपनाते हुए 50 से 500 वर्ग मी0 आकार के छोटे पॉलीहाउस स्थापना हेतु 80 प्रतिशत राज सहायता अनुमन्य है। योजनान्तर्गत 14,777 क्लस्टर आधारित छोटे पॉलीहाउस (50 से 100 वर्गमी0 (Natural Ventilated Tubular Structure) हेत 304.43 करोड़ का प्रस्ताव नाबार्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है।

मुख्य उपलब्धियॉः–

• **रोपण सामग्री व निवेश वितरणः**– विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में (माह दिसम्बर, 2024 तक) 12.50 लाख फल पौध वितरण, 576.26 कुन्तल सब्जी एवं आलू बीज वितरण, लगभग 7183.92 हैक्टर में पौध सुरक्षा कार्य तथा व्यक्तियों को 2748 औद्यानिक संयत्र वितरण किये गये।

• **मशरूम उत्पादन योजनाः**–वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा मशरूम उत्पादन हेतु, 39. 60 मै0टन पाश्चुराईज्ड कम्पोस्ट का उत्पादन, स्पॉन 1748 कि0ग्रा0 वितरण किया गया तथा 559 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

• **फल सब्जियों को सुखाकर प्रसंस्करण**– राज्य में स्थापित सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर लगभग 827.95 कुन्तल फल एवं सब्जी प्रसंस्करण किया गया 2.99 लाख कोरोगेटेड बॉक्स वितरण, 4058 प्लास्टिक केट्स का वितरण, 11 सिंचाई टैंक की स्थापना की गई तथा 3803 व्यक्तियों को इस विषय में प्रशिक्षण दिया गया।

• **रोपण सामग्री का उत्पादनः**–राजकीय प्रक्षेत्रों में विभिन्न फल प्रजातियों के 2.77 लाख फल पौधों का उत्पादन 114.12 कुन्तल उन्नत किस्म के सब्जी बीज, 10.64 लाख सब्जी पौध का उत्पादन किया गया।

• **मौनपालन योजनाः**– परपरागण योजनान्तर्गत (i) औद्यानिक फसलों में मौनवशों/मौनगृहों को उद्यानों में रखने हेतु यातायात पर रू0 350.00 प्रति मौनवंश अधिकतम 4 मौनवंश प्रति है0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 340 मौन बॉक्स/मौन कॉलोनी वितरण किये गये हैं व साथ ही 233 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है। (ii) ₹ 800.00 प्रति मौनगृह/मौनवंश राजसहायता के अन्तर्गत 1 व्यक्ति को अधिकतम 10 मौनगृह दिये जाने की योजना है। (पपप) मौनपालन में 7 दिवसीय प्रशिक्षण ₹ 350.00 प्रति प्रशिक्षार्थी की दर से व्यय करते हुए ₹ 700.00 प्रति प्रशिक्षार्थी के खाते में भुगतान किया जाता है।

• **घेरबाड़ योजनाः**– राज्य में स्थापित बागानों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु बागानों की घेरबाड़ योजनान्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर 50 प्रतिशत राजसहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख प्रति हैक्टर राजसहायता प्रदान करते हुए 18.34 हैक्टर बागानों में घेरबाड़ की गयी है।

• **फल पौंध रोपण की योजनाः**– निःशुल्क वृहद् वृक्षारोपण के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 (वर्षाकाल) एवं शीतकाल में 4.92 लाख निःशुल्क फल पौध वितरण किया गया है। शीतकालीन में लगभग 3.00 लाख पौध वितरण का लक्ष्य है।

• **वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की योजनाः**– राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना से प्रदेश के बेरोजगार युवाओं, महिलाओं तथा स्वयं सहायता समूह को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ₹ 33.300 प्रति इकाई की लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम एक इकाई हेतु राजसहायता प्रदान पर 42 इकाईयों की स्थापना की गई है।

• **मसाला मिर्च उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि की योजना (₹ 7.00 प्रति किग्रा की दर से):**– प्रदेश में उच्च गुणवत्तायुक्त मशाला मिर्च (लाल मिर्च) की खेती को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 7.00 प्रति किग्रा0 की दर से कास्तकारो/कृषकों को प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है।

• **ग्रीन हाउस की पॉलीथीन बदलाव की योजना**–कृषकों का 5 वर्ष पुराने जीर्ण–शीर्ण/फटे पॉलीहाउस की पॉलीथीन बदलने हेतु ₹ 50 प्रति वर्ग मी0 का 75 प्रतिशत की दर से अधिकतम 75000.00 वर्ग मी0 तक अनुदान का प्राविधान दिये जाने की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 4000.00 वर्गमीटर पर राजसहायता दी जा चुकी है।

• **मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजनाः**– योजनान्तर्गत कृषकों को पॉलीहाउस में खेती करने हेतु 100 से 500 वर्ग मीटर तक पॉलीहाउस निर्माण हेतु (50 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 30 प्रतिशत राज्यांश) 80 प्रतिशत राजसहायता की दर से अधिकतम ₹ 365.70 प्रति वर्ग मी0 की दर से राजसहायता दी जा रही है। वर्ष 2024–25 में 1500.00 वर्ग मी0 पर राजसहायता दी गयी है।

भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड
विगत पाँच वर्षों एवं वर्तमान की उपलब्धियाँ
तालिकाः 5.15

क्र. सं.	विवरण	इकाई	वर्षवार प्रगति विवरण					
			2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (दिसम्बर,2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	जड़ी–बूटी कृषिकरण एवं वृक्षारोपण कार्यक्रमः–							
(क)	कृषक संख्या	संख्या	3595	2848	3179	2990	3167	3250
(ख)	वितरित रोपित पौध	संख्या	1210435	2150175	1806145	1483480	1477084	3262000
(ग)	आच्छादित क्षेत्रफल	है0 में	249.16	164.55	166.92	176.6	202.03	169.57
2.	हरेला कार्यक्रम अंतर्गत कृषिकरण एवं वृक्षारोपणः–							
(क)	कृषक संख्या	संख्या	347	900	474	66	205	572
(ख)	वितरित रोपित पौध	संख्या	40798	62740	57461	46663	90991	91052
(ग)	आच्छादित क्षेत्रफल	है0 में	65.47	117.7	82.80	63.5	122.6	146.38
3.	नाप भूमि से उत्पादित जड़ी–बूटी/निर्गत रवन्नाः–							
(क)	निर्गत किये गये रवन्ना	संख्या	626	1193	842	1714	888	373
(ख)	विक्रय जड़ी–बूटी मात्रा	कु0 में	9554	22550	14902	45587.5	13608	5188.13
(ग)	विक्रय जड़ी–बूटी मूल्य	रू0 लाख में	764.00	1216	1050	2070.48	1125.37	671.57
4.	वन क्षेत्र से जड़ी –बूटी संग्रहण व्यवसाय							
(क)	संग्रहित जड़ी–बूटी मात्रा	कु0 में	10230.92	11515.79	11038	7023	7284.68	3692.31
(ख)	संग्रहित जड़ी–बूटी मूल्य	रू0 लाख में	1564.65	1965.68	2519	2194	1608.89	562.55

5.	वन क्षेत्र से संग्रहित व्यवसाय से प्राप्त राजस्वः–							
(क)	रायल्टी	रू0 लाख में	17.89	31.10	46.66	49.06	45.81	122.36
(ख)	व्यापार कर / जी.एस.टी.	रू0 लाख में	59.53	82.61	104.08	88.88	60.59	21.05
(ग)	आयकर (टी. डी.एस.)	रू0 लाख में	29.78	29.66	52.59	43.01	28.55	10.90
(घ)	मण्डी शुल्क	रू0 लाख में	11.00	13.43	15.85	10.71	10.73	4.54
योग (5 क ख ग घ)			**118.2**	**156.8**	**192.18**	**191.66**	**145.68**	**158.85**

स्रोतः–भेषज विकास इकाई, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड

6.5 सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून ऐरोमेटिक सेक्टर

1.एरोमेटिक सेक्टर का वर्तमान परिदृश्यः– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप), सेलाकुई के तकनीकी सहयोग से उत्तराखण्ड में 109 ऐरोमा कलस्टर विकसित किये गये है, जिनमें लगभग 28548 कृषकों द्वारा 9713 है0 क्षेत्रफल में सगन्ध फसलों का कृषिकरण किया जा रहा है, जिससे 1940 टन सगन्ध तेल, हर्ब, फूल एवं पत्तियों का उत्पादन हो रहा है। सगन्ध फसलों के प्रसंस्करण हेतु 199 आसवन सयंत्रों की स्थापना की गयी है।

2.महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी (MGNREGA):– मनरेगा कार्यक्रम अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कुल 345.48 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अब तक कुल 233.14 है0 भूमि को लैमनग्रास, तेजपात, तिमूर से आच्छादित किया गया तथा कुल 1411 कृषकों को लाभान्वित करते हुये, 70 हजार मानव दिवसों का सृजन किया गया।

3.उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति– उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति के अन्तर्गत राज्य में सगन्ध फसल क्षेत्र विस्तार हेतु जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में 07 ऐरोमा वैली विकसित कर प्रथम चरण में 90,000 से अधिक किसानों को लाभावित करने के उद्देश्य से 22,750 हेक्टेयर भूमि को सगन्ध फसलों से आच्छादित किया जायेगा। जिसके अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में लैमनग्रास एवं मिन्ट वैली, चम्पावत व नैनीताल में सिनॉमन वैली, चमोली व अल्मोड़ा में डैमस्क रोज़ वैली, ऊधमसिंह नगर में मिन्ट वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली एवं पौड़ी में लैमनग्रास वैली के माध्यम से 2.27 करोड़ मानव दिवस सृजित होंगे।

4.'तिमूरू द उत्तराखण्ड''– कैप द्वारा स्थानीय सगन्ध प्रजाति तिमरू से 'तिमूरू द उत्तराखण्ड'' परफ्यूम विकसित किया गया है, जिसका हाउस आफ हिमालय के माध्यम से विक्रय किया जा रहा है।

5.ऐरोमा पार्क की स्थापनाः– काशीपुर (उधमसिंह नगर) में सिडकुल द्वारा निर्धारित औद्योगिक अस्थान की 40 एकड़ भूमि में 50 इकाईयों की स्थापना एरोमा पार्क में की जा रही है। वर्ष 2023–24 में 12 उद्यमियो द्वारा भू–खण्ड आरक्षित किये गये है। वर्तमान तक विभिन्न औद्योगिक संस्थानों द्वारा 37 प्लॉट आरक्षित किये, जिन्हे भौतिक नियंत्रण पत्र प्रदान किये जा चुके है। एरोमा पार्क की स्थापना से 1500 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष व 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

6.सेटेलाईट सेन्टरः–ऐरोमा वैली में कृषकों को गुणवत्तायुक्त पौध सामग्री, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण आदि की सुविधा Door step पर प्रदान करने हेतु 06 सेटेलाईट सेन्टर विकसित किये जा रहे है।

7.सगन्ध फसलों की चयन प्रक्रिया :–

• सगन्ध पौधा केन्द्र, सेलाकुई द्वारा चयनित कलस्टर की कृषि जलवायु के अनुरूप निम्नुनसार सगन्ध फसलों का चयन कृषिकरण हेतु किया जाता है:–

LOWER HILLS (Upto 4000 ft)	MIDDLE HILLS (4000-6000 ft)	UPPER HILLS (>6000 ft)
लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, गेन्दा (पटूला), पूजा तुलसी, मीठी तुलसी, मिन्ट, चंदन	डेमस्क गुलाब, तेजपात, कैमोमिल, तिमूर, रोजमेरी, ओरिगेनो, जिरेनियम, गेन्दा (माइन्यूटा)	डेमस्क गुलाब, कालाजीरा, कूठ, लैवेन्डर,

स्रोतः– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

• **1.प्रोत्साहन योजनाऐं**:–सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा राज्य में सगन्ध फसलों की ओर कृषकों के रूझान हेतु निम्न प्रोत्साहन योजनाऐं चलाई जा रही है:–

• जिन कृषकों के नाम विधिवत् भूमि है, उन्हे प्रति कृषक 05 नाली (0.1हे0) क्षेत्रफल हेतु निःशुल्क बीज–पौध सामग्री ।

कृषिकरण अनुदान योजनान्तर्गत चयनित 9 सगन्ध फसलों यथा– सगन्ध घासें (लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा एवं खस आदि), डेमस्क गुलाब, मिन्ट (जापानीमिन्ट को छोड़कर), जिरेनियम, कालाजीरा, रोजमेरी, तेजपात, तिमूर व चंदन की स्वयं के व्यय पर खेती करने पर किसी एक कृषक के लिए अनुदान की वित्तीय सीमा ₹ 1. 00 लाख या अधिकतम् 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल के कृषिकरण के लिए देय अनुदान धनराशि में से जो भी कम हो, अनुमन्य होगी। सगन्ध फसलों के कृषिकरण पर प्रति हेक्टेयर अनुदान का विवरण निम्नवत् है:–

तालिका सं0–5.16

क्रं0 सं0	प्रजाति	प्रथम वर्ष	तृतीय वर्ष	कुल धनराशि (रू0)
1.	सगन्ध घासें (लैमनग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, खस आदि)	31250	10400	41650
2.	डेमस्क गुलाब	56100	18700	74800
3.	मिन्ट (जापानी मिन्ट को छोड़कर)	36650	–	36650
4.	जिरेनियम	44100	14700	58800
5.	कालाजीरा	25950	8650	34600
6.	रोजमेरी	44500	14850	59350
7.	तेजपात एवं तिमूर	34050	11350	45400
8.	चंदन	47150	15750	62900

स्रोतः– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

• सगन्ध पौधों के प्रोसेसिंग हेतु आवश्यक यंत्र/उपकरण, आसवन यूनिट आदि की स्थापना पर ₹10 लाख तक के व्यय पर पर्वतीय क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा मैदानी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान।

• मनरेगान्तर्गत लैमनग्रास, डैमस्क गुलाब व तेजपात आदि फसलों का कृषिकरण।

• कैप में पंजीकृत कृषकों को सुगन्धित तेलों की गुणवत्ता परीक्षण शुल्क पर 50 प्रतिशत छूट।

• कृषकों द्वारा उत्पादित सगन्ध उत्पाद/तेलों का बाजार सुनिश्चित करने हेतु 25 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य।

उक्तानुसार निम्न कार्यक्रमों के द्वारा सगन्ध कृषिकरण से कृषकों को अतिरिक्त आय के साधन उपलब्ध कराये जा रहे है:–

• बंजर एवं असिंचित कृषि भूमि में लैमनग्रास की खेती ।

• बाउन्ड्री फसल के रूप में डेमस्क गुलाब की खेती एवं गुलाब तेल उत्पादन ।

• जापानीमिन्ट की एकल व इन्टरक्रांपिग ।

• कृषि वानिकी के रूप में तेजपात की खेती ।

• अन्य सगन्ध फसल जैसे–कैमोमाईल, गेन्दा, रोजमेरी, तिमरू, चन्दन, जिरेनियम आदि की खेती।

तालिका 5.17

क्रस	योजना का नाम	इकाई	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)		वर्ष 2025–26 हेतु अनुमानित लक्ष्य
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	
1	**सगन्ध प्रसार**						
	कृषित क्षेत्रफल	हेक्टैयर	1300	1500	1400	597	1500
	कृषक संख्या	संख्या	5500	6919	5600	4434	6000
	सगन्ध तेल/हर्ब उत्पादन	टन	800	1397	950	1000	1050
	सगन्ध पौध उत्पादन	लाख	36	36.64	10	12.73	10
	निःशुल्क पौध वितरण	लाख	110	129.00	115	98	120
	जागरूकता कार्यक्रम	संख्या	145	226	155	194	165
	सूक्ष्म उद्यम इकाईयों की स्थापना	संख्या	12	14	14	5	14
	रोजगार सृजन	संख्या	6500	7500	7000	2327	7500
	सगन्ध फसलों का टर्न ओवर	रू0 करोड़	85	86	87	95	100
2	**शोध एवं विकास**						
	वेराईटल ट्रायल/एग्रोनोमिकल ट्रायल	संख्या	6	9	11	11	11
	उत्तराखण्ड के व्यवसायिक रूप से महत्वपूर्ण जैव सुगन्धित पौधों का अध्ययन करना	संख्या	1	1	4	4	4

	Himalayan minor essential Oil के व्यवसायिक उपयोगों पर अध्ययन	संख्या	3	3	4	4	4
	सुगन्धित फसलों के ऐग्रोनोमिल एवं वेराईटल परीक्षणों के दौरान उनके तेल उत्पादन और रसायनिक प्रोफाइलिंग का अध्ययन	संख्या	3	3	4	5	4
	गुणवत्ता विश्लेषण और प्रमाणीकरण	संख्या	600	602	650	181	700
	डेबलपमेन्ट ऑफ प्रोसेस मेथड	संख्या	2	2	2	2	2
	मानव संसाधन विकास	संख्या	6	7	7	7	7

स्रोतः– सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप),सेलाकुई, देहरादून

तालिका 5.18

सगन्ध पौधा केन्द्र (कैप) की वर्ष 2019–20 से 2023–24 तक की भौतिक प्रगति

क्र. स.	विवरण	इकाई	वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24	
			लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
1	सगन्ध कृषिकरण	हेक्टेयर	900	960	1000	1225	1100	1104	1200	1210	1300	1500
2	कृषक	संख्या	3500	3235	4000	4814	4500	4197	5000	4318	5500	6919
3	उत्पादन (सगन्ध तेल एवं हर्ब)	टन	650	954	700	807	700	1389	750	1616	800	1397
4	आसवित सगन्ध हर्ब	टन	65000	71623	60000	63666	60000	73922	70000	73810	80000	75266
5	सगन्ध उत्पादों का टर्न ओवर	रू0 करोड	80	80.26	80	85	80	85	85	85	85	86
6	रोजगार सृजन	संख्या	4500	4800	5000	6125	5500	5518	6000	6051	6500	7500
7	एग्रोनोमिकल ट्रायल	संख्या	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9
8	वेराईटल ट्रायल	संख्या	6	6	6	6	3	4	3	6	3	3
9	गुणवत्ता परीक्षण	नमूने संख्या	400	400	450	451	500	638	550	3007	600	602
10	पौध उत्पादन	संख्या लाख	32	32.78	33	33.48	34	32	35	38	36	36.64
11	पौध वितरण	संख्या लाख	30	91.25	30	119	100	128	100	130	110	129.276
12	जागरूकता कार्यक्रम	बैच संख्या	95	157	115	162	125	212	135	268	145	226

13	प्रशिक्षित कृषक	संख्या		4121	2900	3329	3200	4277	3500	5275	3800	6058
14	आसवन संयत्र स्थापना	संख्या	12	2	12	13	12	6	12	9	12	14

अनुसंधान एंव तकनीकी विकास कार्यक्रम के तहत नवाचार

• 'तिमरू द उत्तराखण्ड' एवं 'उत्तराखण्ड भंगजीरा' का जी.आई. फाइल किया जा चुका है।

• कुण्जा (आर्टिमिशया वल्गेरिस) का व्यवसायिक उपयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इसके तेल की Anti-dandruff activity पर कार्य किया गया, जिसका पेटेन्ट लेने हेतु भारतीय पेटेन्ट ऑफिस में आवेदन किया गया है।

• **सिनेमन के Cinnamaldehyde content, TPC, TFC के आधार पर एक एण्टी**– ओबिसिटी कैप्सूल फार्मूलेशन तैयार किया गया है, जिसकी निर्माण प्रक्रिया का पेटेन्ट लेने हेतु भारतीय पेटेन्ट ऑफिस में आवेदन किया गया है, जोकि प्रकाशित हो चुका है।

• **चाय विकास बोर्ड**– उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड द्वारा राज्य के 9 पर्वतीय जनपदों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत वर्तमान तक 1432.00 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक चाय बागान विकसित किये जा चुके है। चाय विकास बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य के पर्वतीय क्षेत्रो में कृषको की कृषि योग्य बंजर पडी भूमि में चाय विकास कार्यक्रम संचालित कर स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन व कृषको की आय में वृद्वि करना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:–

तालिका 5.19

क सं	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष 2023–24		वित्तीय वर्ष 2024–25	
		निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि
1.	बागान रखरखाव (है0 में)	1344.00	1367.28	1359.00	1376.01
2.	नया प्लान्टेशन (है0 में)	54.00	31.21	120.00	46.13
3.	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	37.50	39.05	47.00	28.25
4.	नयी नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	18.00	4.17	31.00	–
5.	चाय पत्तियो की तुड़ाई (किग्रा.में)	5,50,000.00	4,92,25100	6,44,222.00	5,05,181.00
6.	निर्मित चाय (किग्रा.में)	1,23,750.00	1,09,295.00	1,44,370.00	1,12,127.00
7.	चाय बिक्री (किग्रा.में)	1,23,750.00	91,544.00	1,44,370.00	95,340.00
8.	मानव दिवस सृजन	8,15,342	3,63,958	8,15,342	3,43,780

तालिका 5.20
वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष	
		2023–24	2024–25
1.	कुल बजट प्रावधान	3575.51	4675.64
2.	स्वीकृत बजट	2635.97	2748.58
3.	अवमुक्त बजट	1670.95	1772.89
4.	व्यय	1510.15	1857.05
5.	आय/मनरेगा प्रतिपूर्ति	159.82	103.08

स्रोतः चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

तालिका 5.21

वित्तीय वर्ष 2024–25 में उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड को आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	बोर्ड योजना	एस0सी0एस0पी0	मनरेगा	कुल योग
1	कुल बजट प्रावधान	3642.50	558.81	474.33	4675.64
2	स्वीकृत बजट	1873.25	401.00	474.33	2748.58
3	अवमुक्त बजट	1551.62	101.00	120.27	1772.89
4	व्यय	1551.62	185.41	120.27	1857.30
5	आय	103.08	–	–	103.08

स्रोतः चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

तालिका 5.22

विगत पॉच वर्षो के अन्तर्गत (2019–20 से 2023–24) विभागीय कार्यो की प्रगति से सम्बन्धित रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	कार्य विवरण	वित्तीय वर्ष				
		2019–20	2020–21	2021–22	2022–23	2023–24
1.	बागान रखरखाव (है0 में)	1360.00	1394.00	1429.00	1434.00	1367.28
2.	नया प्लान्टेषन (है में)	75.00	34.00	36.00	23.00	31.21
3.	नर्सरी रखरखाव (पौध लाख में)	28.00	19.00	40.00	36.00	39.05
4.	नयी नर्सरी स्थापना (पौध लाख में)	–	43.00	29.00	11.00	4.17
5.	चाय पत्तियो की तुड़ाई (किग्रा.)	3,63,125.00	3,85,790.00	4,13,817.00	4,24,868.00	4,92,251.00
6.	निर्मित चाय (किग्रा. में)	77,681.00	81,929.00	91,586.00	89,914.00	1,09,295.00
7.	चाय बिक्री (किग्रा. में)	53,170.00	1,00,109.00	84,131.00	80,997.00	91,544.00
8.	मानव दिवस सृजन	5,11,786	5,21,051	5,50,154	5,14,129	3,63,958

स्रोतः चाय विकास बोर्ड उत्तराखण्ड

वर्ष 2024–25 की विशिष्ठ उपलब्धियां :

1.बीज संगठन :

राज्य में शहतूती रेशम कीटाण्ड उत्पादन हेतु प्रेमनगर देहरादून में विभागीय कीटाण्ड उत्पादन केन्द्र का संचालन सफलता पूर्वक किया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में केन्द्र के अन्तर्गत 3.6 लाख डी0एफ0 एल्स0 का उत्पादन किया गया है,

जिसके फलस्वरूप शहतूती कीटाण्ड़ उत्पादन हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड एवं अन्य संस्थाओं पर निर्भरता कम हुई है। बीजागार द्वारा उत्पादित बाईबोल्टीन शहतूती रेशम कीटाण्ड की आपूर्ति राज्य के विभिन्न जनपदो में करते हुये कीटापालन के माध्यम से उच्चगुणवत्ता का शहतूती रेशम उत्पादन किया जा रहा है।बीजागार के गतिशील होने से राज्य शहतूती रेशम कीटाण्ड आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो रहा है।

2.ग्रामीण उद्यम वेग वृद्वि परियोजना (REAP)

प्रदेश में रेशम उद्योग के विकास एवं प्रसार हेतु विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग की पक्के माध्यम से संचालित ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (REAP) के अन्तर्गत राज्य के 13 जनपदों में आजीविका से जुडे महिला समूहों की कुल 300 महिला कृषकों को स्वरोजगार से नियोजित करने हेतु विभिन्न रेशम विकास कार्यक्रमों से जोडने के उददेश्य से प्रस्तावित परियोजना Preservation of Doon Silk Heritage का संचालन किया जा रहा है। परियोजना के अन्तर्गत चयनित महिला कृषकों को रेशम कीटापलन कार्य के साथ साथ कताई कार्य एवं ककून क्राफ्ट का प्रशिक्षण प्रदान करते हुये रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अध्याय– 6
पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
Animal Husbandary, Dairy And Fisheries

पशुपालन (ANIMAL HUSBANDARY):- पशुपालन का महत्व विशेषतः पारिस्थितिकी तंत्र को सतत विकास की अवधारणा के अनुरूप जीवन को सुचारू एवं शाश्वत बनाये रखने में अत्यन्त आवश्यक है। पशुपालन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आर्थिक कार्यकलापों में से एक है जिसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि क्षेत्र से सम्बद्ध अन्य क्रियाकलापों में पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी उत्पादन का रोजगार प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पशुधन किसी भी देश के लिये आय का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। वास्तव में पशुपालन द्वारा कृषि की तुलना में अधिक आय प्राप्त की जा सकती है जिसके द्वारा उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में निर्धनता की समस्या का एक व्यापक समाधान हो सकता है। उत्तराखण्ड अर्थव्यवस्था में पशुपालन का निम्न आय वर्ग की जनसंख्या हेतु बेरोजगारी एवं अल्प बेरोजगारी की गम्भीर समस्याओं के समाधान करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। पशुपालन के साथ सहायक व्यवसाय के रूप में डेयरी विकास, मत्स्य पालन को अपना कर ग्रामीण क्षेत्रों में आय सृजन के नये आयाम स्थापित किये जा सकते हैं।

डेरी उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन के रूप में विकसित करने तथा शहरों, यात्रा मार्गों, तीर्थ स्थानों एवं अन्य संस्थानों में उत्तम गुणवत्ता का दूध एवं दूध से बने पदार्थों की उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से डेयरी कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया है।

उत्तराखण्ड में मत्स्य विकास हेतु प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा उपलब्ध है जिसमें मत्स्य विकास कर इस सम्पदा के समुचित उपयोग से मत्स्य उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण आंचल में प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों का सृजन एवं पारिस्थितिकीय सन्तुलन के साथ–साथ निर्बल एवं पिछडे वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक एवं सामाजिक विकास किया जा सकता है।

पशुधन विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड में कुल पशुधन संख्या 44.27 लाख और कुक्कुटों की कुल संख्या 50.19 लाख है। साथ ही 21वीं पशुधन संगणना 2024 का कार्य भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्तमान में संपादित की जा रही है।

तालिका–6.1
वर्ष 2019 की पशुगणना का वर्ष 2012 की पशुगणना से तुलनात्मक विवरण

क0सं0	पशुओं का वर्ग	पशुगणना 2012 उत्तराखण्ड	पशुगणना 2019 उत्तराखण्ड	%वृद्धि/ह्रास उत्तराखण्ड
1	कासब्रीड गोवंशीय	497592	57 6820	15.92
2	स्वदेशी गोवंशीय	1508461	1275303	15.46
3	कुल गोवंशीय	2006053	18 52123	7.67
4	महिषवंशीय	987775	866318	12.30
5	कुल गोवंशीय तथा महिषवंशीय	2993828	271 8441	9.20
6	भेड़	368756	284615	22.82
7	बकरी	1367413	1371971	0.33
8	सूकर	19907	17659	11.29
9	कुल कुक्कुट	4641937	5018684	8.12

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

6.1 वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों का विवरण–

स्वरोजगार परक योजनायें

1– महिला बकरी पालन योजना (राज्य सेक्टर)– परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित तथा अकेली रह रही महिलाओं एवं आपदा प्रभवित महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किये जाने एक इकाई जिसमें 03 बकरी एवं 01 बकरा, 100 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 300 महिला लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

2–गौ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु चतुर्थ व्यात या इससे कम व्यात की दुधारू गाय की इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 1298 लाभार्थियों लाभान्वित किया जाना है।

3–भेड़ पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सृदृढ करने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 भेड़ एवं 01 मेढा की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 204 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाना है।

4–बकरी पालन योजना– बकरी पालन योजना राज्य सैक्टर के अन्तर्गत राज्य के सभी वर्गों के एस0ई0सी0सी0 में आने वाले लोंगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने एवं पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु 10 बकरियों एवं 01 बकरे की एक इकाई 90 प्रतिशत अनुदान में उपलब्ध कराये जाने हेतु योजना संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 1,529 लाभार्थियों लाभान्वित किया जाना है।

5– कुक्कुट पालन योजना– अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कुक्कुट पालन योजना के माध्यम से इच्छुक लाभार्थियों का चयन कर 50–50 एक दिवसीय चूजों की यूनिट निःशुल्क स्थापित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 50 एक दिवसीय चूज़ें, 1 माह का राशन व जाली निःशुल्क दी जाती है। जिसमें वर्ष 2024–25 में कुल 11.870 इकाईयां के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक कुल 4,388 इकाईयां स्थापित की जा चुकी है।

6–गौसदनों की स्थापना– उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007' के प्राविधानों के अनुरुप वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में 64 मान्यता प्रदत्त गौ सदन हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत निराश्रित, बीमार, अशक्त गोवंशीय पशुओं को उचित आश्रय उपलब्ध कराने, निराश्रित गोवंशीय पशुओं के कारण संभावित सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा गोवंश संरक्षण के उद्देश्य से पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं को निराश्रित गोवंशीय पशुओं के भरण–पोषण मद में लगभग 5 गुना से अधिक वृद्धि कर प्रति गोवंश ₹ 80 प्रतिदिन की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2024–25 में 64 पंजीकृत गौसदनों को भरण पोषण मद में ₹ 4257.96 लाख का प्रावधान किया गया है।

6.1.2 कुक्कुट विकास – वर्ष 2024–25 में 06 राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों पर क्रायलर चूजों का उत्पादन कर 6.88 लाख चूजे कुक्कुट पालकों को वितरित किया जा चुके है।

6.1.3 वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों, तकनीकी तथा नवाचारों हेतु किये गये प्रयासों का विवरणः–

1– राष्ट्रीय पशुरोग नियन्त्रण कार्यक्रम– वर्ष 2024–25 में 44.00 लाख गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में खुरपका मुहपका रोग के नियन्त्रण हेतु

दिसम्बर 2024 तक कुल 30.81 लाख पशुओं में टीकाकरण किया गया है।

2– पशुधन बीमा योजना– नेशनल लाईवस्टॉक मिशन रिस्क मेनेजमेन्ट एण्ड इंश्योरेंस योजनान्तर्गत राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के संचालन के लिए ओरियन्टल इंश्योंरेस कम्पनी, देहरादून एवं हिन्दुस्तान इंश्योंरेस ब्रोकर लि0 नई दिल्ली के साथ अनुबन्ध किया गया है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 के लिए निर्धारित 1.00 लाख एनिमल यूनिट बीमा के लक्ष्यों के सापेक्ष वर्तमान तक 52,143 पशुओं का बीमा किया जा चुका है।

3– पशु प्रजनन फार्म कालसी– पशु प्रजनन फार्म, कालसी में 591 गौवंशीय पशुओं (514 गाय, बछिया एवं 77 सांड़/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। पशु प्रजनन फार्म कालसी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत देशी नस्ल की गायों के सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसमें रेड सिन्धी, साहिवाल एवं गिर नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है।

4– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियालगांव– पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, नरियालगांव, चम्पावत मे 505 बद्री नस्ल के गौवंशीय पशुओं (431 गाय, बछिया एवं 74 सांड़/नर बछड़े) का प्रबन्धन किया जा रहा है। फार्म में बद्री नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अतिहिमीकृत वीर्य एवं लिंग वर्गीकृत वीर्य का उपयोग किया जा रहा है।

5– भेड़–बकरी विकास कार्यक्रम– भारत सरकार द्वारा सहायतित नेशनल लाईवस्टाक मिशन योजना के अन्तर्गत स्थानीय भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु विदेश (आस्ट्रेलिया) से मेरिनो नस्ल की 199 भेड़ें तथा 41 नर मेढ़े क्रय कर दिसम्बर 2019 के अन्तिम सप्ताह में राज्य के टिहरी जनपद में स्थित राजकीय भेड प्रजनन प्रक्षेत्र कापड़ाधार में व्यवस्थित किये गये थे। माह दिसम्बर 2024 तक आस्ट्रेलिया से आयातित मैरीनों भेड़ों से आतिथि तक 437 Pure line एवं 3056 Cross line (कुल 3493 मैरीनो संतति) उच्च गुणवत्ता की संतति प्राप्त हुई है।

6–बैकयार्ड कुक्कुट पालन इकाईयों की स्थापना– कुक्कुट पालन योजना जिला सैक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने/स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की दृष्टि से 50 कुक्कुट पक्षी क्षमता की एक कुक्कुट इकाई शत प्रतिशत अनुदान पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाती है। योजना का मुख्य उददेश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ–साथ परिवार के पोषण मूल्य में वृद्धि करना है। वर्ष 2023–24 में रू0 595.80 लाख से 12,024 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

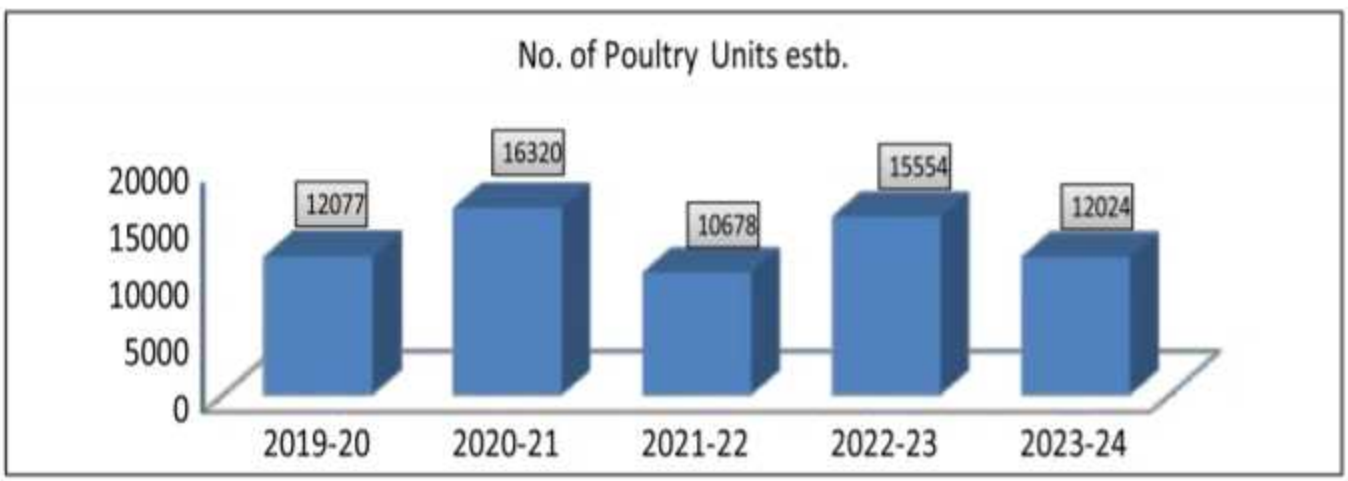

6.1.4 उत्तराखण्ड में पशुधन उत्पाद (Major Livestock Products):- वर्ष 2023–24 में 1898 हजार टन दूध, 462 हजार किलोग्राम ऊन, 5941 लाख अंडे, 245 लाख किलोग्राम मांस का उत्पादन हुआ। राज्य का देश के पशु उत्पाद में अंश तालिका 6.1 में दर्शायी गई है।

तालिका–6.2
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

वर्ष	दुग्ध उत्पादन (हजार टन)	अण्डा उत्पादन (लाख संख्या)	मांस उत्पादन (लाख कि0ग्रा0)	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0)
2018–19	1792	4532	292	552
2019–20	1845	4786	253	497
2020–21	1194	3221	117	215
2021–22	2254	5007	320	526
2022–23	1859	5413	212	452
2023–24	1898	5941	245	462

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट 6.1
उत्तराखण्ड राज्य में पशुजन्य उत्पादों की उपलब्धि

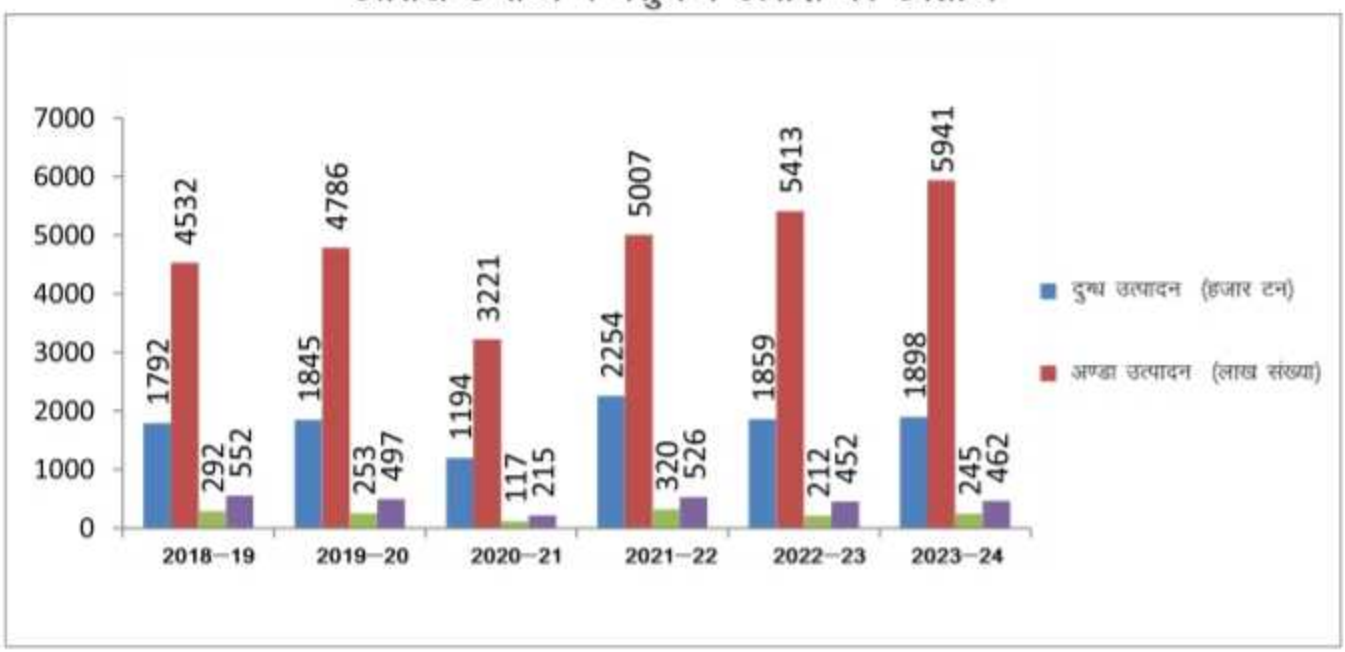

तालिका 6.3
राज्य का दुग्ध उत्पादन में अंशदान

क्रम सं0	उत्पादन	उत्पादन				राज्य का अंश (प्रतिशत में)
		2022–23	2023–24			
		उत्तराखण्ड	उत्तराखण्ड	हिमाचल प्रदेश	भारत	
1	दुग्ध उत्पादन (हजार मी0टन)	**1859**	**1898**	1749	239299	0.79
2	अण्डा उत्पादन (लाख में)	**5413**	**5941**	858	1427716	0.42

3	ऊन उत्पादन (हजार कि0ग्रा0 में)	452	462	1423	33689	1.37
4	मांस उत्पादन (हजार टन)	21 .24	24 .56	5.54	10252.65	0.24

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 3.019 कि0ग्रा0 प्रति गाय से बढकर वर्ष 2023–24 में 4.69 कि0ग्रा0 हो गया है। वर्ष 2011–12 में दूध का उत्पादन 4.128 कि0ग्रा0 प्रति भैंस से बढकर वर्ष 2023–24 में 5.07 कि0ग्रा0 हो गया है। सरकार द्वारा संचालित रोग नियंत्रण तथा नस्ल सुधार कार्यक्रम का पशु उत्पादकता की वृद्धि में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्ष 2011–12 में प्रति भेड़ वार्षिक ऊन के उत्पादन 1.446 कि0ग्रा0 से बढकर वर्ष 2023–24 में 1.884 कि0ग्रा0 हो गया।

1–अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन–राज्य के श्यामपुर (देहरादून) में स्थित अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया गया है। केन्द्र में सांड़ों का रख–रखाव, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन और देय सुविधाओं की गुणवत्ता भारत सरकार के मिनीमम स्टैण्डर्ड प्रोटोकॉल के अनुसार प्रबन्धित की जा रही है। यह लैब आईएसओ 9001–2015 मानक प्राप्त है। वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 15.00 लाख वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 11.33 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 10.63 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

2–लिंग वर्गीकृत वीर्य (सेक्स सॉर्टेड सीमन) उत्पादनः– राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजनान्तर्गत लिंग वर्गीकृत वीर्य के उत्पादन हेतु अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, श्यामपुर–ऋषिकेश में देश के राजकीय क्षेत्र में प्रथम लिंग वर्गीकृत वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला (Sex Sorting Semen Production Laboratory) की स्थापना की गई है। वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 3.00 लाख लिंग वर्गीकृत वीर्य स्ट्रा उत्पादन लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 0.71 लाख वीर्य स्ट्रा का उत्पादन करते हुए 1.19 लाख वीर्य स्ट्रा का वितरण किया गया।

3–कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम– वर्ष 2023–24 तक के लिए निर्धारित 100 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को खोले जाने के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 23 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये।

➢ 1804 कार्यरत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों द्वारा वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 8.50 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 4.06 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 1.16 लाख संतति उत्पन्न हुई है।

➢ लिंग वर्गीकृत वीर्य (SSS) वर्ष 2024–25 तक के लिए निर्धारित 5.00 लाख कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्यों के सापेक्ष माह दिसम्बर 2024 तक 1.38 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये, जिससे 30823 संतति उत्पन्न हुई, जिसमे 27302 संतति मादा है।

➢ इस प्रकार कुल उत्पन्न संतति में मादा संतति का प्रतिशत 90.33 रहा है।

4–भेड़–बकरी कृत्रिम गर्भाधान (Artificial Insemination in Sheep and Goat)- पशुलोक ऋषिकेश में एक आधुनिक कृत्रिम गर्भाधन प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। योजनान्तर्गत आयातित मेरिनो रैम के वीर्य तथा विभिन्न प्रजाति के बकरियों के वीर्य का उपयोग करके राज्य में हीट सिंक्रोनाइजेशन और कृत्रिम गर्भाधान शुरू किया गया है।

➢ प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता के बीटल व जमुनापरी नस्ल के नर के वीर्य का हिमीकृत वीर्य (Frozen Semen) का उत्पादन किया जा रहा है।

➢ वर्तमान तक 43019 से अधिक जोज उत्पादित किये जा चुके है।

5–अंशदान पर मेंढ़ा वितरण योजनाः–

उत्तराखण्ड राज्य के भेड़पालको के हितार्थ स्थानीय भेड़ों में नस्ल सुधार के लिए अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजना का शुभारम्भ मा0 पशुपालन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिनांक 07 नवम्बर, 2023 को किया गया। योजना का संचालन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के भेड़ बाहुल्य क्षेत्र के भेड़पालक को "अंशदान पर मेंढ़ा वितरण योजना"

तालिका–6.4

उत्तराखण्ड राज्य में वर्तमान में प्रस्तावित पुस्तकीय मूल्य					
क्र.स.	आयु सीमा	भारतीय मैरिनों क्रॉस ब्रीड	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि	भारतीय मैरिनों Pureline	लाभार्थी द्वारा 20 प्रतिशत के अनुसार दी जाने वाली धनराशि
1.	09 माह	5600.00	1120.00	12000.00	2400.00
2.	10 माह	6000.00	1200.00	15000.00	3000.00
3.	11 माह	6500.00	1300.00	18000.00	3600.00
4.	12 माह से 02 वर्ष तक	7500.00	1500.00	20500.00	4100.00

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

में शामिल किया जाना है।

➢ राज्य सेक्टर व अन्य विभागीय योजनाओं में निर्धारित मेढे की धनराशि के अनुसार ही मेढा उपलब्ध कराया जायेगा।

➢ अंशदान पर मेढ़ा वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 में अब तक उत्तराखण्ड राज्य के उत्तरकाशी में 03, चमोली में 27 क्रास ब्रीड मैरिनों मेढ़े वितरित किये जा चुके है।

6–प्रशिक्षण कार्यक्रम– वित्तीय वर्ष 2024–25 में पशुचिकित्सा परिषद्, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून के प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें वर्तमान तक विभागीय व नवनियुक्त 88 पशुचिकित्सा अधिकारियों व 24 अल्ट्रासांउड विशेषज्ञ पशुचिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ ही डॉ0 आर0 एस0 टोलिया प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 प्रशिक्षणार्थियों को इस केन्द्र से प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

7–जैविक ऊन उत्पादक संगठन– राष्ट्रीय पशुधन मिशन, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड तथा ऊन ग्रोथ सेन्टर के अभिसरण के माध्यम से राज्य में 10 भेड़ बाहुल्य क्षेत्रों में 10 जैविक ऊन उत्पादक संगठनों का निर्माण किया जा रहा है

8–केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से संचालित योजना– केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड के सहयोग से आधुनिक ऊन कतरन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

गोट वैली की स्थापना

- प्रदेश में बकरी पालन गतिविधि को सहयोग, सशक्त व उच्चीकरण करने हेतु गोट वैली (Goat Valley) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना–भेड़ बकरी सेक्टर तथा पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर, जिला सेक्टर एवं सहकारिता विभाग की दीन दयाल उपाध्याय योजना का युगपतिकरण किया जा रहा है।
- चयनित वैली के अन्तर्गत लाभार्थियों को सर्वप्रथम राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत न्यूनतम रू0 30,000 का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे लाभार्थी द्वारा 5 से 6 बकरियों का क्रय किया जाता है। तद्पश्चात पशुपालन विभाग की राज्य सेक्टर योजना से 10 बकरियां

तथा 01 बकरे हेतु रू0 63,000 (90 प्रतिशत) अथवा जिला योजना के माध्यम से 5 से 10 बकरियों हेतु अनुदान की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है।

योजना का संचालन सम्पूर्ण राज्य में किया जा रहा है। योजना प्रारम्भ से वर्तमान तक कुल 22 गोट वैली संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत वर्तमान तक 1309 लाभार्थियों का चयन किया गया है तथा 5644 बकरियां वितरित की गई है।

➢ **मोबाइल वेटरनरी यूनिट(MVU):–**

भारत सरकार की सहायता से 60 मोबाइल वेटनरी यूनिट (वैन) के माध्यम से पशुपालक के द्वार पर पशुचिकित्सा, टीकाकरण, रोग परीक्षण आदि सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पशुपालकों की सुविधा हेतु विभागीय हेल्पलाइन नम्बर (1962) प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 31.12.2024 तक कुल 3,67,648 काल्स प्राप्त हुई हैं तथा कुल 2,14,647 पशुओं को चिकित्सा दी गयी है।

➢ **उत्तराखंड चारा नीतिः–** राज्य में मौसमी चारे की कमी को कम करने और राज्य के पशुपालकों को चारे की उपलब्धता में वृद्धि के लक्ष्य से उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तराखण्ड चारा नीति को मंजूरी दी है। जिससे अगले 5 वर्षो में लगभग 13.30 लाख मैट्रिक टन अतिरिक्त चारा उपलब्ध हो सकेगा। वर्तमान में अन्य गतिविधियों के साथ पशुपालकों को उन्नत मौसमी चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध करायें जा रहे है तथा सूखे चारे (भूसे) पर अनुदान दिया जा रहा है।

➢ **किसान क्रेडिट कार्ड योजनाः–** पशुपालकों को पशुधन की संख्या के आधार पर पशुपालन के लिए आवश्यक संसाधान, चारा व चारा मशीन क्रय, पशु आहार क्रय इत्यादि के लिए आवश्यक ऋण बैंक से न्यून ब्याज दरों पर आसानी से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट योजना प्रदेश भर में संचालित की जा रही है। जिसमें वर्ष 2024–25 में 1.45 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 71 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त कर ली गई है।

➢ **मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजनाः–** राज्य के पशुपालकों को 90 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण (Interest subvention) उपलब्ध करवाकर पशुपालन आधारित गतिविधियों में भागीदार बनाते हुए उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जो पलायन रोकने में सहायक भी होगा। इस हेतु मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना प्रस्तावित की गई है।

- भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन की तर्ज पर उत्तराखण्ड राज्य में मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना प्रारम्भ की जा रही है।

- योजना का मुख्य उददेश्य पशुधन विकास एवं पशुपालन सम्बन्धी गतिविधियों हेतु संसाधनों की मांग व उपलब्धता के अन्तर को दूर करना, पशुपालन विभाग की गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु अवसंरचना विकास, सभी प्रजाति के पशुधन का सर्वांगीण विकास आदि है।

- "मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन" योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास घटक में बड़े पशुओं, लघु पशुओं तथा कुक्कुट विकास सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाकर 90 प्रतिशत Interest Subvention इस योजना में दिया जाना प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत लाभार्थी द्वारा लिए गये ऋण के बैंक को पुर्नभुगतान की अवधि 3 वर्ष होगी।

- प्रथम चरण में इस वित्तीय वर्ष 2023–24 में "मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन" योजनान्तर्गत उद्यमिता विकास घटक में निम्न विवरणनुसार इकाईयां स्थापित की जानी प्रस्तावित हैः–

तालिका–6.5

क० सं०	योजना	यूनिट लागत (लाख रू०)	बैंक द्वारा प्रस्तावित ऋण (लाख रू०)	भौतिक लक्ष्य
1	बड़े पशुओं हेतु उद्यमिता विकास			
अ)	डेयरी पशु इकाईयों की स्थापना			
	5 गाय यूनिट	3.75	3.375	100
	2 भैंस यूनिट	3.75	3.375	100
	10 गाय यूनिट	7.50	6.75	94
	5 भैंस यूनिट	7.50	6.75	95
ब)	भारवाहक पशु इकाईयों की स्थापना			
	1 खच्चर यूनिट	1.0	0.90	250
	2 खच्चर यूनिट	2.0	1.80	125
2	लघु पशुओं हेतु उद्यमिता विकास			
अ)	भेड़ /बकरी इकाईयों की स्थापना			
	5 + 1 भेड़ /बकरी यूनिट	1.0	0.90	375
	10 + 1 भेड़ /बकरी यूनिट	2.0	1.80	190
ब)	सूकर इकाईयों की स्थापना			
	5 + 1 सूकर यूनिट	0.50	0.45	48
3	कुक्कुट पालन उद्यमिता विकास			
	कामर्शियल ब्रायलर यूनिट (1000 पक्षी)	4.54	4.086	64
	छोटे कामर्शियल लेयर फार्म (250 पक्षी)	3.5	3.15	124

स्रोतः पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड

नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशनः– मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित **राष्ट्रीय गोकुल मिशन** योजनान्तर्गत **देश में प्रथम बार नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक मिशन** के पायलेट प्रोजेक्ट का संचालन उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेन्ट बोर्ड द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर एवं चम्पावत में अप्रैल, 2021 से अक्टबर, 2023 तक संचालित किया गया है। अप्रैल, 2023 से कार्यक्रम को सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है। विभागीय उच्च अधिकारियों के प्रयास के कारण उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में **देश मे प्रथम बार "भारत पशुधन ऐप"** पर कार्य करते हुए 10 अप्रैल, 2023 से 30 नवम्बर, 2024 तक 97,54,571 टीकाकरण, 8,35,616 कृत्रिम गर्भाधान, 3,59,229 गर्भ परीक्षण, 33034 पशु चिकित्सा एवं 511502 पशु सम्बन्धित सूचना एवं 363265 पशु स्वामी से सम्बन्धित सूचनाओं को सही करने के साथ अन्य मदों में कुल 1,18,57,217 संख्या की डाटा ऐन्ट्री माह नवम्बर 2024 तक की जा चुकी है।

सफलता की कहानी

1. श्री मुंशी लाल जनपद उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 1 विकासखंड चिन्यालीसौड़ के रहने वाले हैं। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित ब्रायलर फार्म योजना वर्ष 2023–24 में इनका चयन किया गया। इनको विभाग द्वारा बाड़ा मरम्मत हेतु रु 15,000 की सहायता धनराशि दी गई। साथ ही इनके द्वारा 500 ब्रायलर मुर्गियों का बैच लाने पर रु 15/मुर्गी की सब्सिडी दी गई। अभी तक 1500 मुर्गियां कुल 3 लॉट पाल लिए गए हैं, जिससे इनको अभी तक प्रति लॉट लगभग रु 20,000 का मुनाफा हुआ है एवं इनकी आर्थिकी में काफी सुधार आया है।

2. वाईब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत भारत तिब्बत–सीमा पुलिस बल (आई0टी0बी0पी0) की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी/फॉरमेशनों के लिये स्थानीय उत्पादों (जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली) की आपूर्ति हेतु अनुबंधः–

➢ आई0टी0बी0पी0 एवं पशुपालन व मत्स्य पालन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के मध्य प्रथम चरण के अन्तर्गत जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली आपूर्ति हेतु दिनांक 30 अक्टूबर 2024 को अनुबंध किया गया।

➢ आई0टी0बी0पी0 वाहिनी/फॉरमेषनों पर तैनात सैनिको को भेड़/बकरी, चिकन व मछली का स्थानीय, स्वस्थ्य व गुणवत्ता युक्त मांस आहार हेतु प्राप्त होगा।

➢ आई0टी0बी0पी0 को वाईब्रेंट गॉवों से प्रत्येक वर्ष लगभग 800 मिट्रिक टन जिन्दा बकरी/भेड़, चिकन एवं मछली आपूर्ति की जायेगी।

➢ सहकारी समितियों के माध्यम से संगठित किसानों को प्रत्येक वर्ष रू0 20 करोड़ का व्यवसाय करने का अवसर प्राप्त होगा।

➢ किसानों द्वारा आई0टी0बी0पी0 पोस्ट पर उत्पाद आपूर्ति करने के 02 दिनों के अन्तर्गत DBT के माध्यम से भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा ₹ 5 करोड़ का रिवाल्विंग फंड निर्मित किया गया है।

➢ इस पहल से राज्य के 2000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा तथा यह पलायन रोकने में मील का पत्थर साबित होगा।

➢ प्रथम माह में किसानो द्वारा 9899 कि0ग्रा0 जिन्दा भेड/बकरी, 5390 कि0ग्रा0 चिकन व 1459 कि0ग्रा0 ट्राउट मछली आई0टी0बी0पी0 को उपलब्ध कराया गया है।

➢ प्रथम माह में 8 सहकारी समिति/किसान उत्पादक संगठनों के 168 किसानों द्वारा जिन्दा भेड़/बकरी, चिकन व मछली उपलब्ध कराया गया है।

किसानों को उनके उत्पाद से सापेक्ष ₹ 43 लाख 47 हजार का भुगतान DBT के माध्यम से किया जा चुका है।

21वीं पशुधन संगणना– भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार राज्य के समस्त जनपदों में पशुधन व कुकुक्ट की 16 प्रजातियों व 219 देशी सहित अन्य नस्लों की गणना NDLM द्वारा विकसित किये गये Livestock Census Software पर 965 प्रगणको तथा 184 पर्यवेक्षकों के माध्यम से समस्त ग्रामों व शहरी वार्डों में माह अक्टूबर 2024 से माह फरवरी 2025 तक सम्पादित किया जा रहा है। पशुधन संगणना कार्यक्रम से प्राप्त आंकड़ें भविष्य में विभिन्न योजनाओं के सृजन में लाभप्रद सिद्ध होगी। 21वीं पशुधन संगणना की मुख्य विशेषता निम्नवत हैः–

➢ सम्पूर्ण डिजिटलीकृत डेटा संग्रह।

➢ स्वच्छंद पशुओं की गणना।

➢ पशुपालन में समय देने के आधार पर अनुपातिक लैंगिक भागीदारी।

➢ चरवाहों के पशुधन की जानकारी।

6.2 दुग्ध विकास (DAIRY DEVELOPMENT):-

भूमिकाः–

दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध सहकारी समितियां गठित करते हुए उन्हें उनके द्वारा उत्पादित दूध की वर्ष पर्यन्त उचित दर विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं दूसरी ओर नगरीय उपभोक्ताओं, पर्यटकों एवं तीर्थ यात्रियों तथा विभिन्न संस्थाओं को उचित दर पर शुद्ध एवं उत्तम गुणवत्ता का दूध व दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन में सतत वृद्धि करने हेतु तकनीकी निवेश कार्यक्रम अन्तर्गत दुग्ध उत्पादकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, पशुस्वास्थ्य एवं चारा विकास सम्बन्धी सेवायें ग्राम स्तर पर प्रदान की जा रही है।

तालिका–6.6

उत्तराखण्ड राज्य बनने से पूर्व एवं वर्तमान की उपलब्धियाँ– एक दृष्टि में

क0 सं0	योजना	इकाई	उत्तराखण्ड राज्य स्थापना से पूर्व की उपलब्धियाँ (वर्ष 1999–2000)	उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के उपरांत की उपलब्धियाँ (वर्ष 2023–24)
	समिति संगठन			
1	**कुल कार्यरत दुग्ध समितियां**	संख्या	1526	2724
	(अ) कुल कार्यरत में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत	संख्या	309	715
	(ब) कुल कार्यरत में जिला सेक्टर योजनान्तर्गत	संख्या	680	737
	(स) कुल कार्यरत में आइडी.डी.पी. योजनान्तर्गत	संख्या	59	475
	(द) अन्य में	संख्या	478	797
2	**समिति सदस्यता**			
	(अ) कुल सदस्य	संख्या	76825	167934
	(ब) कुल में महिला डेयरी परियोजनान्तर्गत	संख्या	12459	29881
	(स) कुल अनुसूचित जाति/जनजाति	संख्या	14654	31302
	(द) कुल महिलाएं	संख्या	25646	87959
	(य) पोरर सदस्य	संख्या	25624	53071
3	औसत दैनिक दुग्ध उर्पाजन (ली0 में)	लीटर	68019	184555
4	औसत दैनिक दुग्ध विकय (किग्रा0 में)	किगा0	63214	157476
5	दुग्ध संघ की क्षमता (प्रतिदिन)	लीटर	115000	320000
6	दुग्ध संघ अन्तर्गत चिलिंग सैन्टर की दैनिक क्षमता	लीटर	34500	75000
7	बल्क मिल्क कूलर	संख्या	18	39
8	गंगा गाय महिला डेरी योजना लाभार्थी	संख्या	0	1086
9	दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना लाभार्थी	संख्या	0	52698
10	सचिव प्रोत्साहन लाभार्थी	संख्या	0	1474

11	प्रशिक्षण कार्यक्रम (लाभार्थी, सचिव, कार्मिक एवं अन्य)	संख्या	195	2652
12	डी.पी.एम.सी.यू./मिल्क एनालाईजर/आईओ. टी. डिवाईस की स्थापना	संख्या	0	2227
13	डिवरमिंग	संख्या	8580	41797
14	प्राथमिक पशु चिकित्सा यूनिट	संख्या	9	26
15	पशु टीकाकरण	संख्या	13126	37176
16	पशु आहार	मै0 टन	2496	14162
17	साईलेज	मै0 टन	0	6158
18	काम्पैक्ट फीड ब्लॉक	मै0 टन	0	2318

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका सं0–6.7

दुग्ध समितियों की संख्या (माह–दिसम्बर, 2024 तक)

क0 सं0	जनपद का नाम	जनपदवार दुग्ध समितियों की संख्या माह दिसम्बर, 2024 तक	जनपदवार महिला दुग्ध समितियों की संख्या
1	नैनीताल	619	115
2	ऊधमसिहं नगर	447	147
3	अल्मोड़ा	260	104
4	बागेश्वर	66	118
5	पिथौरागढ़	228	112
6	चम्पावत	229	106
7	देहरादून	206	102
8	हरिद्वार	246	105
9	टिहरी	61	65
10	उत्तरकाशी	71	80
11	चमोली	73	97
12	रूद्रप्रयाग	42	93
13	पौड़ी गढ़वाल	121	100
	कुल योग–	**2669**	**1344**

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

राज्य योजना

1. डेरी विकास योजनाः– योजनान्तर्गत सचिव मानदेय ₹ 0.50 प्रति ली0 की दर से तथा ग्रुप सचिव वेतन हेतु प्रबंधकीय अनुदान, समिति से दुग्ध संघ तक दुग्ध प्रबन्धन हेतु यातायात अनुदान का भुगतान किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 439.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष माह 31 दिसम्बर, 2024 तक ₹ 339. 37 लाख की धनराशि उपयोग की गयी हैं।

2. महिला डेरी विकास योजनाः– राज्य सेक्टर में महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में ₹ 402.13 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 394.15 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

3. दुग्धशाला का सुदृढ़ीकरण– राज्य सेक्टर की दुग्धशाला का सुदृढ़ीककरण योजनान्तर्गत विभिन्न दुग्ध संघों को अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध करायी जाती है। चालू वित्तीय वर्ष

2024–25 हेतु ₹ 100.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 100 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है जिसमें विभिन्न जनपदों की दुग्धशालाओं का सुदृढ़ीककरण आधुनिकीकरण एवं क्षमता विस्तार कार्य किया जाता है।

4. दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजनाः– राज्य सेक्टर की दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादकों को योजनान्तर्गत 8.00 : एस.एन.एफ 7.50 से 7.99 : एस.एन.एफ की गुणवत्ता का दूध देने वाले समिति सदस्यों को ₹ 3.00 प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि राज्य अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है। वर्ष 2024–25 में ₹ 1600.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 1599.14 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2024 तक प्रदेश में कुल 49183 हजार दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया गया।

तालिका सं0–6.8

दुग्ध बिक्री का वर्ष 2020–21 से 2024–25 तक औसत दैनिक प्रगति विवरण (ली0 में)

क0 सं0	जनपद का नाम	2021–22	2021–22	2022–23	2023–24	2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)
1	नैनीताल	84410	84799	85409	82604	84780
2	ऊधमसिहं नगर	21649	20980	21805	18701	18922
3	अल्मोड़ा एवं बागेश्वर	10037	10461	9621	9318	9597
4	पिथौरागढ़	5564	5053	5419	5843	5889
5	चम्पावत	4246	5189	9246	7714	8204
6	देहरादून	17149	16504	16760	17130	18361
7	हरिद्वार	7910	7114	6282	6789	6684
8	टिहरी	156	422	298	1305	1455
9	उत्तरकाशी	1256	1291	1304	563	625
10	चमोली	1844	1781	1951	2293	2044
11	पौड़ी गढ़वाल एवं रूद्रप्रयाग	2332	2481	2093	1741	2401
	कुल योग–	**156553**	**156075**	**160188**	**154001**	**158962**

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

तालिका–6.9

गत वर्षो के सापेक्ष दुग्ध उत्पादन में प्रगति

क 0सं0	वर्ष	उत्पादन (कि0ग्रा0)
1	2019–20	183489
2	2020–21	189026
3	2021–22	201092
4	2022–23	185161
5	2023–24	188780
6	2024–25 (माह दिसम्बर, 2024 तक)	196868

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

चार्ट–3

राज्य दुग्ध उत्पादन की प्रगति (किलो0ग्राम)

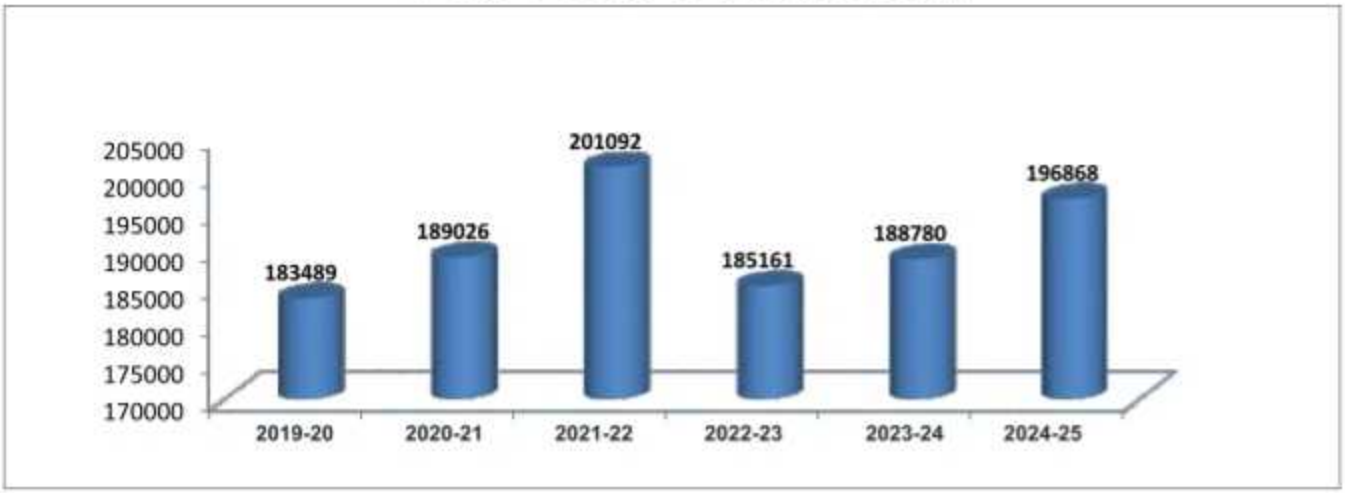

5. गंगा गाय महिला डेरी योजना संबद्ध एन0सी0डी0सी:– वित्तीय वर्ष 2024–25 योजना गंगा गाय महिला डेरी योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामीण स्तर पर कार्यरत प्राथमिक दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध समिति सदस्यों को योजनान्तर्गत 02, 03 एवं 05 पशु यूनिट उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु 75 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग सदस्य हेतु 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, किसानों की आय में वृद्वि करने के साथ–2 पशुधन बढ़ाया जा सके। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹ 250.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 207. 22 लाख व्यय की जा चुकी है।

6. दुग्ध संघ के कार्मिकों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना– प्रदेश में घाटे में चल रहे दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के कर्मचारियों हेतु स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना संचालित की गयी है।

7. साईलेज एवं दुधारू पशु पोषण योजना– योजनान्तर्गत दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उत्तम स्वास्थ्य एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से साईलेज एंव पशु पोषण योजना तैयार की गई है। जिसके अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों को उनके दुधारू पशुओं के उपयोग हेतु साइलेज, पशुआहार, मिनरल मिक्स्चर एवं प्रोबाईटिक्स पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप दी जाती है।

तालिका सं0–6.10

क्षेत्र का विवरण	साइलेज	पशुआहार प्रति किलोग्राम	मिनरल मिक्स्चर	प्रोबाईटिक्स	काम्पेक्ट फीड ब्लाक
पर्वतीय क्षेत्र	75 प्रतिशत	₹ 6.00	50%	50%	50%
मैदानी क्षेत्र	75 प्रतिशत	₹ 4.00	50%	50%	50%

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

8. पशुचारा परिवहन अनुदान योजनाः— दुग्ध सहकारी समितियां से जुडे दुग्ध उत्पादक सदस्यों के दुधारू पशुओं को आवश्कतानुसार पशुचारा यथा संतुलित पशुआहार, वैक्यूम पैक्ड साईलेज एवं कॉम्पेक्ट फीड ब्लाक उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचते हुए साईलेज एवं संतुलित पशुआहार की दरें, परिवहन व्यय बढ़ने के कारण अधिक हो जाती है। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु ₹150.00 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹ 129.90 लाख व्यय की जा चुकी है।

तालिका सं0–6.11

क्षेत्र का विवरण	साइलेज, फेडरशन देहरादून एवं पशुआहार निमार्णशाला रूद्रपुर से दुग्ध संघों अथवा उनके दुग्ध अव शीतन केन्दों तक परिवहन अनुदान	दुग्ध संघ मुख्यालय एवं उनके चिलिंग सेन्टर से दुग्ध समि तियो तक ढुलान हेतु	लोडिंग/ अनलोडिंग	योग
पर्वतीय क्षेत्र	वास्तविक व्यय धनराशि	रू0 1 .00	रू0 0 .25	रू0 1 .25
मैदानी क्षेत्र	वास्तविक व्यय धनराशि	रू0 0 .50	रू0 0 .25	रू0 0 .75

स्रोतः दुग्ध विभाग, उत्तराखण्ड

9.नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित (आर0आई0डी0एफ0) के अन्तर्गतः— योजनान्तगर्गत राज्य में गठित दुग्ध संघों एवं उनके दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं नये दुग्ध संघों की स्थापना का कार्य किया जाता है। ₹ 2467.67 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2024 तक ₹ 2237. 73 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत दुग्ध अवशीतन केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया।

विभाग द्वारा किये गये नवोन्मेषी (Innovative) कार्यों का विवरण

डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश में दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित वृद्धि न हो पाने के कारण विभागीय फील्ड कार्मिकों से कराये गये सर्वे के उपरांत ज्ञात हुआ कि प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में हरे चारे की अत्यंत कमी है। हरे चारे की कमी को दूर करने के लिए जनपद चम्पावत के चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत, के डेरी परिसर में 22,700 बड़ नैपियर घास की नर्सरी स्थापित की गई, जिन्हें प्राथमिक दुग्ध समिति, चम्पावत को निःशुल्क वितरित करते हुए स्थापित पशुओं हेतु हरे चारे की आपूर्ति के साथ–साथ दुग्ध उपार्जन में अपेक्षित वृद्धि पायी गयी है।

वर्तमान में जनपद के दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, चम्पावत में 224 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 16,000 ली0 औसत दूध को प्रतिदिन जनपद में क्रय किया जा रहा है। जिसके द्वारा लगभग 5500 दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत में स्थापित नर्सरी से जनपद के 46 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी दुग्ध समिति में नैपियर घास के 38719 बड, 1535 दुग्ध समिति सदस्यों को निःशुल्क वितरित किये जाने के पश्चात दुग्ध समिति में 919 लीटर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुयी है। इस प्रकार विभाग द्वारा विभिन्न नवोन्मेशी कार्यों के द्वारा वर्ष 2030 तक बढ़ा कर 45,000 ली0 प्रतिदिन करने एवं उपभोक्ताओं तक दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

➢ 6.3 मत्स्य (Fisheries):–

राज्य में मत्स्य पालन हेतु उपलब्ध जल क्षेत्रों के अन्तर्गत नदियों के रूप में 2686 कि0मी0, वृहद जलाशयों के रूप में 20587 हैक्टेयर, प्राकृतिक झीलों के रूप में 297 हैक्टेयर तथा तालाब/टैंक एवं पोखरों के रूप में 935 हैक्टेयर, 1500 ट्राउट रेसवेज से अधिक जलक्षेत्र उपलब्ध है, जिनके मात्स्यिकी दृष्टिकोण से समुचित उपयोग हेतु विभाग द्वारा विभिन्न कार्य किये जा रहे है।

तालिका सं0–6.12

मत्स्य विकास – एक दृष्टि में

क्र0 स0	मद	इकाई	संख्या
1.	आच्छादित जनपद	संख्या	13
2.	मत्स्य प्रक्षेत्र/हैचरियाँ केन्द्र	संख्या	12
3.	राज्य स्तरीयब्रूड बैंक	संख्या	02
4.	राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड एक्वापार्क (निर्माणाधीन)	संख्या	01
5.	फिश मार्केट/मण्डी	संख्या	03 एवं 01 (निर्माणाधीन)
6.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	संख्या	01
7.	राज्य स्तरीय ट्राउट महासंघ	संख्या	01
8.	जनपद स्तरीय फेडरेशन	संख्या	01
9.	मत्स्य किसान उत्पादन संगठन (एफ०एफ०पी०ओ०)	संख्या	06
10.	मत्स्य सहकारी समितियाँ	संख्या	239
11.	नदियों की लम्बाई	कि0मी0	2686
12.	वृहद जलाशय	संख्या हैक्टेयर	7 20587
13.	झील	संख्या हैक्टयर	31 297
14.	तालाब/पोखर/निजी तालाब	हैक्टेयर	935 .58
15.	ट्राउट रेसवेज	संख्या	1500

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

– **वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा प्रमुख नवोन्मेषी (Innovative) योजनाओं का विवरणः–**

- सरकार के नीतिगत एवं अभिनव प्रयासों से मात्स्यिकी क्षेत्र का समुचित विस्तार हो रहा है एवं इस वर्ष भारत सरकार द्वारा उत्तर–पूर्वी एवं हिमालयन राज्यों की श्रेणी में सवश्रेष्ठ राज्य हेतु उत्तराखण्ड को पुरस्कृत किया है।
- राज्य में मात्स्यिकी क्षेत्र के समुचित विस्तार हेतु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में सभी वर्गों, युवाओं, महिलाओं को दृष्टि में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 से नवीन योजना "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" संचालित की गयी है।
- "मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" अन्तर्गत राज्य में प्रथम बार महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है तथा एक पूर्ण महिला आधारित गतिवधि "मत्स्य सहेली" प्रारम्भ की गयी है।
- मत्स्य पालकों के समाजिक हितों की सुरक्षा के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मत्स्य पालकों को कृषि की भाँति न्यूनतम दरों पर विद्युत आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य करने की घोषणा के क्रम में 01 अप्रैल, 2024 से मत्स्य पालकों को कृषि दरों पर विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी है।
- ट्राउट मछलियों के विपणन हेतु वर्ष 2024–25 में सरकार द्वारा आई०टी०बी०पी० के साथ अनुबंध किया गया है जिसके क्रम में सीमांत क्षेत्रों में आई०टी०बी०पी० चौकियों को मछलियों के रूप में प्रोटीनयुक्त भोजन की आपूर्ति की जा रही है।
- भारत सरकार के कार्यक्रम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट "राज्य स्तरीय इण्टीग्रेटेड फिश एक्वापार्क" एवं "होलसेल फिश मार्केट" के निर्माण कार्य गतिमान है।

तालिका सं0–6.13
उत्तराखण्ड में जनपदवार मत्स्य उत्पादन
वर्ष 2023–24 एवं वर्ष 2024–25 (अनुमानित)

जनपद	वर्ष 2023–24		वर्ष 2024–25 अनुमाति मत्स्य उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)
	मत्स्य उत्पादन (हजार मेट्रिक टन)	मत्स्य उत्पादन का मूल्य (लाख रू० में)	
उत्तरकाशी	185. 7704	704.664	180.00
चमोली	289.0787	909.124	340.00
टिहरी गढ़वाल	189.2185	731.718	220.00

देहरादून	589.2901	838.560	630.00
पौड़ी गढ़वाल	113.5868	144.573	130.00
रूद्रप्रयाग	91.5031	315.100	120.00
हरिद्वार	2872.8518	3692.764	3300.00
गढ़वाल मण्डल	4331.2994	7336.503	4920.00
पिथौरागढ़	160.7738	440.343	200.00
अल्मोड़ा	79.0008	107.311	85.00
नैनीताल	94.0616	124.810	100.00
बागेश्वर	112.5242	373.783	140.00
चम्पावत	67.702	100.280	74.00
उधमसिंह नगर	4062.912	4819.426	4800.00
कुमायूँ मण्डल	4576.9744	5965.953	5399.00
उत्तराखण्ड	8908.2738	13302.45	10319.00

स्रोतः मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड

2– वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सृजित रोजगार सृजन का विवरण–

वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों से माह दिसम्बर, 2024 तक लगभग 342 प्रत्यक्ष जबकि 1026 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुये।

3– वर्ष 2024–25 में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, कार्यक्रमो तथा अभियानों के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों एवं समस्याओं का विवरण–

- प्राकृतिक आपदाओं, अतिवृष्टि आदि से मत्स्य पालकों की अवसंरचना एवं मत्स्य सम्पदा को हो रहे नुकसान के दृष्टिगत मत्स्य पालन क्षेत्र में बीमा की व्यवस्था स्वीकृत करायी गयी हैं, जिसके लिए बीमा कम्पनी से टाई–अप किया जा रहा है।
- मत्स्य आहार पर मत्स्य पालकों की अधिक धनराशि व्यय होने के कारण अधिकांश मत्स्य पालक

पारम्परिक रूप से मत्स्य पालन कर रहे हैं, के निदान हेतु वर्ष 2024–25 में अनुदाानित दरों पर प्रति व्यक्ति मत्स्य आहार मात्रा को बढ़ा दिया गया है।

- वर्तमान समय में मत्स्य बीज उत्पादन एवं पूर्ति में गैप होने तथा ट्राउट मत्स्य बीज की निरन्तर बढ़ रही मांग को पूरा करने हेतु इस वर्ष डेनमार्क से 13 लाख ट्राउट आईड ओवा का आयात किया जा रहा है।
- मछलियों की शेल्फ लाईफ कम होने के कारण मार्केटिंग हेतु मत्स्य पालकों को आ रही समस्याओं के निदान हेतु प्रंस्करण यूनिटों की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्यिगिकी संस्थान, कोच्चि के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षरित किया गया है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकरण कर कार्य आधारित पहचान दिलाये जाने हेतु 10272 व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है।

4– वर्ष 2024–25 में राज्य की अर्थव्यवस्था में रोजगार, आय तथा उत्पादन के संवर्द्धन हेतु नये निवेशों तथा तकनीकी तथा नवाचारों (Investment, Technology and innovations) हेतु किये गये प्रयासों का विवरण–

- राज्य में आयोजित इन्वेस्टर समिट 2023 अन्तर्गत मात्स्यिकी क्षेत्र में ₹ 1900 करोड़ अनुबंध हस्ताक्षर किये गये जिसके क्रम में निवेश हेतु आर०एफ०पी० (प्रस्ताव हेतु निवेदन पत्र) तैयार किये जा रहे है।
- मात्स्यिकी क्षेत्र अन्तर्गत सहकारिता स्ट्रक्चर विकसित किये जाने हेतु कुल 62 नवीन मत्स्य जीवी सहकारी समितियाँ गठित की गयी हैं।
- मत्स्य पालको की विपरीत परिस्थितियो में आर्थिक एवं समाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत वर्तमान वर्ष में 5147 मत्स्य पालकों को निःशुल्क बीमा से आवरित किया गया है।
- मत्स्य पालको को मत्स्य पालन हेतु वार्षिक निवेश हेतु धनराशि की आवश्यकता आदि के निराकरण हेतु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराये जा रहे हैं। वर्तमान तक 2841 व्यक्तियो को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त किया गया है।
- मत्स्य पालन की विविध गतिविधियो को एकसाथ आवरित किये जाने हेतु जनपद उधमसिंहनगर में राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड एक्वापार्क के साथ होलसेल फिश मार्केट की स्थापना की जा रही है।